season. In the case of Urad, no support price was announced for 1978-79 marketing season. In fixing higher prices for 1979-80 marketing season, the Government have been guided by the considerations, namely, (1) the need for providing requisite impetus to the development programme of these crops; and (ii) to help improve the supply-demand balance in respect of pulses.

The price support operations will be undertaken by the State Government/their agencies and Central agencies. They are being advised to make necessary arrangements in this behalf.

14.05 hrs.

ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY (AMENDMENT) BILL-contd.

MR. CHAIRMAN: The House will now take up further consideration of the following motion moved by Dr. Pratap Chandra Chunder on the 30th April, 1979, namely:--

"That the Bill further to amend the Aligarh Muslim University Act, 1920, be taken into consideration".

Shri Saced Murtaza was to continue his speech, but he has made a request that he wants to speak later. I am sorry that since he is in the midst of his speech, it would not be possible to permit him to speak later.

SHRI G. S. REDDI (Miryalguda): Mr. Chairman, Sir, the Aligarh Muslim University (Amendment) Bill is before us. It is a major issue because it concerns the minorities of India The Muslim minority is an important element in our country and when the Muslims of the whole country desire that the Aligarh Muslim University should be given a minority character, I do not understand why the Government is hesitating in this matter. Our Education Minister accepts that this University is meant to promote Muslim culture and the Muslim interests.

If that is so, I do not understand, why it should not be allowed to be administered by the Muslims of India also. There have been agitations for this for a long time.

Parliament has got the powers to give this University its proper character. In spite of the fact that the Supremo Court of India has given a different interpretation, it is left to us, the Members of this Parliament to consider deeply why this character should not be given to this University.

There are already several Billbefore Parliament which create tension and fears in the minds of minorities ii. India. There is the Bill concerning Cow slaughter, the Aligarh Muslim University Bill, Freedom cf Religions Bills etc.--all rre aheady creating tension and fear in the minus of :amorities; not only the Muslims, Christians, but Sikhs and other minorities also. What would happen to the secular character of our Constitution, if we are not able to take care of them? The Government should not, therefore, hesitate in any way, but should come forward to give right hand to these minorities to grow and develop and they should not fear the major communities in India. Some of the minority institutions enjoy minority character, but they for example, the Christian institutions had to go to the court to establish their minority character and rights under Article 30(1) of the Constitution. I have got a list of a series of these cares; they had to go to the Supreme Court because of the policies adopted by the different States to establish the minority character and the rights accruing to them under Article 30(1) of the Constitution. The hon Education Minister is a protector of Muslim interests and culture. I would appeal to the Government and to him that this should be translated into practice by granting this Muslim University the character of a minority institution under Article 30(1). I appeal that there should not be any hesitation, on our

[Shri G. S. Reddy]

part, to satisfy the minorities in our country. Ours is a secular country; and we should practise this secular character by means of these institutions which are so close to the hearts of these communities. Thank you.

को रक्षोद मसूद (सहारनपुर) : जनाब सदर साहब, माज यह खुशी का मौका है कि श्रलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी का बिल इस हाउस के घन्दर डिसकशन के लिए लाया गया है। गो इसको बहुत पहले मा जाना चाहिए था लेकिन मैं जानता हूं कि किस बजह से नहीं मा पाया । लेकिन देर मायद दुरुस्त प्रायद, यह कहे बगैर मैं नही रह सकता हं। पिछनी बार भीर भाज जो त श्रीरे यहां पर हुई उधर से भीर इधर से भी उनको मैंने बहुत गीर से सूना । मुझे प्रफाशोस है कि उधार के भाइयों ने उस वक्त इस तरह की तकरीरें नहीं की जब मुसलमानों के जजबात का खुन किया जा रहा था उस वक्त इन लोगी ने यहा के मुसलमानां के जजबात का खबाल किया भीरन युनिवसिटी के जजबात का ख्रयाल किया भीर न इस बात का खवाल किया कि वहां यहा माइनोरिटीज को भी कुछ हक हासिल है कि वे किसी इंस्टीट्यशन का कायम कर सकती है। उस बक्त ये नही जानते थे कि मार्टिकल तीस भी कोई कास्टोट्यशन का है जो एग्जिस्ट करता है। उस वक्त तो इनको यही पताथा कि इस मुल्क में एक हो शिखसयत है जो इस मुल्य को मालिक है भीर बहुजो हुक्म देगो उस पर इनको हर तरोके से भ्रमल करना हागा, उसके मुताबिक चलना पड़ेगा, हर तरीके के उसकी विशिष की पूरा करना होगा। मेरे खनाज में इनको याद होगा कि 1965 में एक बहुत मामुली सा वाका हमा वा और वाका क्यां भीर कैसे हुमा इसकी डिटेल में मैं नहीं जाळंगा भीर न ही माने का बह मौका है लेकिन उस बाके को लेकर मुस्लिम युनिवर्सिटी का जो करेक्टर या **असको बारम कर दिया गया या भीर इस**

वीज को माज भी हमें भ्गतना पड़ रहा है। चोदह साल हो गये हैं भीर इसको हम भुगत रहे हैं। मुसलमाना के जजबात को जो ठेम पहुंच रही है, उसके किम्मेद र कौन हैं ? पिछ जी बार चन्दर सहब ने कहा था कि 1965 मीर 1972 में जबिक इस युनिवर्सिटी का खुन किया गया था तब मुमलमान एजुकेशन मिनिस्टर थे। हमारे जो प्रीववियस डिक्टेटर थे उनकाता रवैया ही यह रहा था कि जिस कम्युनिटी का खून करना होता था, उसके हकूर को जरब पहुंचानी होती थी, उसका गला घोटना होता था तो वे समझ ते थे कि ऐमा करने का सब से बेहतर तरीका यही हो सकता है कि उस कम्युनिटो के घदमी का मागे कर के उसका खन किया जाए। खैर जो इमा वह सब घापके सामने है ।

University

(Amendt.) Bill

मैं घनतो हरू मत का मशकूर हंकि वह इस बिल को लाई है। जिन बाता की हमारी डिमांड थी उन मे से बहुत सी चीजा की इपमें गामिल किया गया है। ग्राप कोर्ट को लें। इसके कम्योजीशन को देखें। उसको इन्होने भाटोनोमी दी है भीर वह रूल बनाएगी जिन पर एरजे किटब समल करेगी। लेकिन कोर्ट के कम्योजीशन के बारे में मै ग्रर्ज करना चाहता हूं कि कोर्ट पालिसी मेकिंग बाडी है भोर इनके भन्दर 162 भादमियां में से 105 मादनी युनिवसिटी के रख दिए गए है भोर सिर्फ 57 भादमी बाहर के हैं। इसका मतलब य होता है कि यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं उन्हीं की विशिज के मुताबिक चला जाएगा, उनके जो इंटरस्ट्स होते हैं, उन्हीं को पूरा किया जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिये। जो पालिसी मेफिंग बाडी हो वह ऐसी होनी चाहिए कि पूरी कम्युनिटी को उसमें रिप्रजेंटेशन मिलें ताकि युनिर्वासदी की जो पालिसी वने वह तमाम कर्टनिटी के जजबात के मुताबिक वर्गे स कि

उनके मफाद के लिये जो कि यूनिवर्सिटी में पहले से ही मौजूद हैं भीर जिनके इंटरेस्ट्स इन्वाल्ब्ड हैं।

एम्जेक्टिव में भी रिप्रेजैंटेशन की बात को श्राप देखें। उस में भी रिप्रिजैंटेशन उतना नहीं दिया गया है जितना देना चाहिये था। स्टैंचूट 26 को श्राप एमैंड कर रहे हैं। उसके श्रान्दर फाइनेंस कमेटी का क्रियेशन किया गया है। उस में भी दो ही ऐसे मेम्बर हैं जो इलेक्टिड हैं, वर्ना बाकी एक्स श्राफिशो , या नामिनेटिड मेम्बर ही है। इसमें भी तरमीम होना चाहिये।

बहुत ज्यादा डिटेल्ज में जाने का वक्त नहीं है। मुझे यहां पर एक शेर याद म्नाता है जिसको पढे बगैर मैं इस वक्त नहीं रह सकता हु. :

किस्मत की खुबी देखिये टूटी कहां कमद दो चार हाथ जब कि लबे बाम रह गया।

तमाम खूबियों के बावजूद यह बिल ऐसा है, एक ऐसी दोशीजा के मानिन्द है, बुल्हन के मानिन्द है जो निहायत खब उत्त तो है, बहुत हसीन भीर एट्टैक्टिव तो है लेकिन जिसकी भांखें फोड़ दी गई हैं। यहां मेरा मतलब है कि इस सब के बावजूद कि इतना कुछ दिया है, वह चीज नहीं दी गई है जिसकी हम लोगों ने िमांड की थी, जिसको हम मांगते थे यानी माइनोरिटीज करेक्टर झंडर झाटिकल 30 (1)।

कल हमारे मिनिस्टर साहब ने जो स्पीच की है, उसमें तीन-चार चीजें बताई हैं, जिनकी बजह से उन्होंने इसको माइनः रिटी करेक्टर नहीं दिया। मम्बर 1, चैटर्जी कमेटी की रिपोर्ट, नं० 2, सुप्रीम कोटें का फैसला भीर नम्बर 3, एडमिनिस्ट्रेशन के अन्दर पालियोर्नेंट का हाच न होता। यह तीन बार्तें मैन हैं, फिर बाद में मैं एक और के बारे में कहुंगा।

चैटर्जी कमेटी की जो रिपोर्ट यूनिवर्सिटी एग्जीक्युटिए ने बनाई थी, उसकी क्वीट किया है। उससे यह साबित करने की कोशिश की गई है कि युनिवर्सिटी का करेक्टर हमेशा सैकूलर रहा है। इसमें कोई शक नहीं ह, मैं इसको बाउट नहीं करता हू, मैं कहता हूं कि कोई इंस्टीट्यून हो, उसका फंक्शनिंग सैकूलर र ना चाहिए भी युनिवर्सिटी का वह फंक्शन सैकुलर रहा है। उसकी मिसाल डा० साहब ने दी भी दी थी कि इसका पहला स्टुडैट बी० ए० की जिसने ग्रिी हासिल की वह नानम् स्लम था भौर एम० ए० की पहली डिग्री हार ल करने वाला भी नानमुस्लिम था। इसके प्रोफेसर्स भी बहुत से नान मुस्लम हैं। ग्राजभी इसके ग्रन्दर बहुत बड़ी तादाद टीचर्स में नान निस्लमों की है भौर स्ट्रेंड्स भी बहत बड़ी तादाद में नानमुस्लिम हैं। लेकिन इस चैटर्जी कमेटी की रिगोर्ट में 1872 की रिपोर्ट का भी ित आया हैं जिसमें कि मोहम्म इन एंग्लोब्रोरिएन्टल फंड वमेटी वा जिक है। मैं उसे पाकर सूनाता हं ----

"I think what we mean to found is not a college, but a university."

इमका मतलब यह हैं कि जब कालेज हमने बनाया, जब इस मुल्क के मुमल-मानों ने इकट्ठें होकर इम कालेज की बृनियाद रखने की बात सोची, तो उनके जहन में कालेज नहीं था, बल्कि यूनिवर्सिटी थी। तो यह बात बिल्कुल साफ है कि हम जिस चीज की बुनियाद लेकर चले है, वहां से यूनिवर्सिटी की लेकर चले है, न कि कालेज की।

दूसरी बात आपने फरमायी है सुप्रीम कोर्ट का फैसला । अजीज पाशा साहब ने 1965 का केस किया था । 1965 के केस में एस्टैब्लिश के एक खास मायने दिये गये—टू बिंग न-टू इंग्जिस्टैंस । जब कि उन्होंने लिखा है कि एस्टैबलिश के मायने दो हैं— फाउंड एंड टू बिंग

34°

इन एग्जिस्टैंस । दोनो को उन्होने इसमें मुत्तिक माना है कि यह दोनो मायने हैं, लेकिन मैं नहीं जानता कि किन वजहात की बिनाह पर उन्होने इस एस्टैंबलिण के बहुत महदूद से मायने—— टू ब्रिंग इन टू एग्जिस्टैंस ले लिये हैं।

जैसा भ्राप जानते है, भ्रगर भ्राज कोई भी यूनिवींसटी बनाई जाये तो यकीनन बह गवर्नमेट के एक्ट के मुताबिक ही वजूद मे भ्रायेगी, यही तो नही भ्रा सकती । भ्रगर इस बात को मान लिया जाये जैसे संक्शन 21, \23 यू०जी०सी० एक्ट मे है तो कोई यनिवर्सिटी गवर्नमेट के एक्ट के बर्गर वजूद मे नही ग्रा सकती है। तो मैं यह जानना चाहता हू कि क्या प्रार्टिकल 30 के प्रन्दर जो---ट् एस्टैब्लिश एड एडमिनिस्टर, इस्टी-ट्यशन्स ग्राफ देयर ग्रोन चायम दिया गया है, लिगुइस्टिक ग्रीर रिलीजस माइनौरिटीज को हक दिया गया कालेज बनाने का तो इसके जवाब मे यह कहा गया श्रजीज पाशा के केस मे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात से इत्तिफाक किया है कि इस्टीट्यूशन का मतलब युनिवर्सिटी भी है। तो माइनौरिटी यूनिवर्सिटी मगर कायम करना चाहते है तो वह कैसे करेगे? धगर यह बात मानी जायेगी कि एक के जिये करे, तो वही बात हो गई कि एक्ट के जरिये करे तो यूनिवर्सिटी तो माइनौरिटीज की नहीं है। हमे बताइये कि इस भ्राटिक्ल 30 का कोई मकसद रह गया है ? मैं समझता ह कि इसका कोई मक्सद नहीं है। इससे बेहतर है कि कांस्टीट्युशन मे अमेंडमेंट कर के भ्राप इस भ्राटिश्ल को निकाल दे। बगर बार्टिकल उसमे रहता है तो इसका पूरा हक हमे देना बाहिये । इसके इस्तेमाल का हक व्हिलम कम्बुनिटी को, सौर

दूसरी माइन।रिटी भौर लिगुइस्टिक माइनौरिटीज को मिलना चाहिये।

यह भी भ्राग्यूमेट दी गई है कि 1921 में तो प्राइवेट यनिवर्सिटी हो मकती थी। उम समय यह क्यो नही किया, इसको मुस्लिम यूनिवर्मिटी बना लिया होता ग्रीर गवर्नमेट के एक्ट के जिरिये इसको बजूद में नहीं लाये होते । जैसा भ्राप जानते है शुरु से ही जब से कालेज की बुनियाद पत्री, एग्लो मोहमङन वे बक्त से ही यह मकमद था कि मुसलमानो की माशी हालत जो खराब है, ' जो मुसलमान श्रप्रेजी नही पढते, जिसका ताल्लुक डायरेक्ट रोटी-रोटी मे है, उनका यहा पढ़ाया जाये जो म्रपनी रोजी-रोटी कमा सके, मुसलमानो, को भी गवर्नमेट मे मर्विम मिल सके । 1920 मे भी यही बात ग्राई, यूनिवार्मिटी कायम कर सकते थे, लेकिन यूनिवर्सिटी ग्रगर कायम करते तो क्या गवर्नमेट के मुला-जिमान से जगह होती ? मैं समझता हू कि बह नहीं होती । सिर्फ इसी बजह से कि हमको गवर्नमेट मे मुलाजमत मिल सके, हम ने इस बूनिवर्मिटी को एक एक्ट के मातहत बनाया, हालांकि हम युनिवर्सिटी को कायम करने की ताकत रखाते थे।

भाप को हिन्दुस्तान मे ऐसी कोई यूनिवर्मिटी नहीं मिलेग जिस का ड्राफ्ट बिल प्राइवेट लोगों में तैयार किया हो। मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में 1920 का जो बिल था, उपका ड्राफिटग उस मुस्लिम डेलीगेंगन के हाथों में दे बिया था, जो इस यूनिवर्सिटी को बनाने के सिलियले में मिलने के लिए गया था।

प्रजीज पासा के केस से सुप्रीम कोर्ट के रुप्तिंग का जिक्र किया जाता है 4 मैं प्रज करना चाहता हूं कि उसके कुछ दिनों के बाद कुछ भीर केसिज में भदा-लतों ने "टु एस्टाब्लिश" का मतलब "दु फाउड" माना है । लेकिन हमारी बदिकिस्मती यह है कि जब भी हम यह सवाल उठाते है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनौरिटी कैरेक्टर कायम किया जाये. तो ग्रजीज पाशा के केस मे सुप्रीम कोर्ट के जजमेट का है ही धा दिखा कर हमे डराया जाता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते है । सेट जेवियर सोमायटी एड वन ग्रदर वर्तस स्टेट ग्राफ गुजरात भीर स्टेट ग्राफ केरला वर्सस मदर प्राविशल, इन दोनो केसिज मे "टु एस्टाब्लिश" का मतलब "टु फाउड' लिया गया है । भ्रगर गवर्नमेट सिर्फ एक वर्ड की बिना पर ही हमे माइनारिटी कैरेक्टर का राइट देने से इन्कार कर रही है, तो मै प्रर्ज करना चाहता हू कि दूमरे केमिज मे"ट एस्टा-ब्लिश" के मानी "टु फाउड" भी माने गये है। तो फिर इम बात को प्रली-गढ यूनिवर्मिटी के मामले मे भी लागू न करने की क्या वजह है?

यह कहा गया है कि झगर इस युनिवर्मिटी को माइनारिटी कैरेक्टर दे दिया गया , तो पालियामेट को उसके मामलो मे किसी भी किस्म का कोई हक नही रहेगा। मैं समझता हू कि यह बात सही नहीं है। मैंने ग्रभी जो केस साइट किया है--सेट जेवियर सोसा-यटी एड बन ग्रदर वर्सस स्टेट आरफ गुजरात--- उसमे ही कहा गया है कि "दू एडमिनिस्टर" का मतलब "दू मैल-एडमिनिस्टर दि युनिवर्सिटी" हरगिज नहीं है। इसी केस में कहा गया है कि हुकूमत भीर पालियामेट को यह हक हासिल है कि वे कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिकान्ज इमपोज कर सकते है । एडमिनिस्ट्रेशन कोई ऐसी बात नहीं है, मूनिक्सिटी को माइनारिटी दे कर एव्य्रोल्युट बन जाती है। पालियामेट को यह हक हासिल है कि
रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इमपोज कर सके ।
कई बातों के बारे में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इमपोज की जा सकती है, जैसे कि
एफिशसी खाफ वर्किना खाफ दि इंस्टीयूशन
स्टैंडर्ड खाफ एजूकेशन डिसिप्लिन हैल्थ,
सैनिटेशन । इन बातों के बारे में पालियामेंट डायरेक्ट कर सकती है और कट्रोल
कर सकती है ।

मै यह भी समझता हूं कि प्रगर ग्राटिकल 30(1) के मुताबिक इस युनिवर्सिटी को माइनारिटी कैरेक्टर दे दिया आये, तो उसका हरगिअ यह मतलब नहीं है कि वह एक ऐसी इस्टीट्यशन हो जायेगी, जिस बारे में दूसरी बाड़ी का हक नही रहेगा। उस वस्त भी हुकूमत बौर पालियामेट मुर्परिधिर रहेने । फर्क मिर्फ यह है कि उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने का हक मुसलमान। को मिल जायेगा । यह काई मनरीजेनेबल बात नही है । जब कास्टीट्यूशन मे यह हवा दिया गया है, तो उन्हें यह हक मिलना चाहिए कि वे युनिवसिटी को एस्टाब्लिश करे और उसके एडमिनिस्ट्रेशन को चला सके।

भगर इस यूनिविस्टि को माइनारिटी कैरेक्टर देने का मतलब यह समझा जाता है कि उसमे सिर्फ मुसलमान ही स्टुडेट्स, टोचर्ज भौर प्रोफेसचे हो सक्ते है, तो यह मतलब गलत है—यह मतलब न कःभोधा, न धाज है भौर न कभी होना चाहिए । इस्टीट्यूशन का फक्शनिंग हमेशा सेकुलर होना चाहिए, मैं इस बात से मुलिफिक हूं। जैसा कि मैंने पहले कहा है, इस कालेज का पहला ग्रैजुएट हिन्दू था भौर पहला एम० ए० पास करने वाला हिन्दू था। भाज भी नान-मुस्लिम् की वहा पर बड़ी तादाद है। बहुत सी भ्रफवाहे फैला फैला कर लोगों

[र्श्वः रशीद मन्द]

को डराया जाता है कि प्रगर इस युनिवामटो का माइनारिटो करिक्टर दे दिना गया, ता हिन्दुमा को न दाखिले का हक होगा, न एडमिनिस्ट्रेगन मे प्राने का हक होगा प्रीर न प्राफेनर या लैक्बरर बननें का है। होगा । माइनारिटी करिक्टर देने का यह मनलब हरिंगज नहीं है ।

हम चाहते हैं कि मिनिस्टर माहब हमारी बात मान लें कि उह युनिश्मिटी मुमलमाना ने काउम को बो घोर उमको एडमिनिस्ट्रेशनन को च नते वे हैं: मुनलमाना कों हैं। इम के द बने तमाम मश्राहब के लोग ने लिए खुने हुए हैं। मिर्फ पहा के लोग ही नहीं, 22,33 गैर बमालिक के लोग बहा पढ़ने हैं। मुझे उम्मोद है कि मिनिस्टर साहब हमारी दरख्वस्त पर गौर फामायेंगे।

شری رشید مصود : آج یه غوشی

کا موقہ علی کو علی گوھ مسلم
یونیووسٹی کا بل اس ھاؤس کے اندو
قسکشن کے لئے لایا گیا ہے - گو اس
کو بہت پہلے آ جانا چاھئے تھا - لیکن
میں جانتا ھوں کہ کس وجہ سے
نہیں آ پایا - لیکن دیر آید دوست
آید - یہ کہتے بغیر میں نہیں وہ
سکتا ھوں - پحچھلی اور آج کی بار
جو تقریریں یہاں پر ھوئیں ادھو سے
اور آدھو سے بھی ان کو میں نے بہت
ور سے سفا تھا - مجھے افسوس ہے
طرح کی تقریریں نہیں کیں - جب
کہ ادھر کے بھائیوں نے اس وقت اس
طرح کی تقریریں نہیں کیں - جب
مسلمانوں کے جوبائت کا خوبی کیا جا
مسلمانوں کے جوبائت کا خوبی کیا جا
مسلمانوں کے جوبائت کا خوبی کیا جا

یہاں کے مسلمانوں کے جزبات کا حیال کیا اور نہ یونھورسٹی کے جوہات کا خیال کیا اور اس بات کا خیال کیا که وهاں یہاں ماتیورٹیز کو بھی کچھ حق حاصل هیں که ولا کسی (Institution) انستی تیوشن کو قائم رکہہ سکتے میں - اس وقت یہ نہیں جانتے تھے که آرٹیکل ۳۰ بھی کوئی کانستی تیوشن کا ھے - جو (exist) اگتجیست کرتا ھے - اس وقت تو ان کو یہی ہتم تھا کہ اس ملک میں صرف ایک هی شخصیت هے جو اس ملک کے مالک ہے - اور وہ جو حکم دے گی ا*س* کا ان پر ھر طریقے سے عمل کونا ھو کا ۔ اس کے مطابق چلفا ہوے گا۔ ہو طریقے سے اس کی رشو کو پورا کرن هوال - مهرے خیال سهی ان کو یاد هوکا که ۱۹۹۵ میں ایک بهت معمولي سا وأنعه هوا أور وأقعه کیسے ہوا اس کی ذاہل میں با میں جاونکا اور نا هی جایے کا یہ موقعہ ھے - لیکن اس واقعے کو لیکو مسلم یونیورسٹی کا جو فیریکٹر تھا اُس کو خدم کر دیا گیا تھا۔ اور اس جھڑ کو آج بھی ھیھی بھکتنا ہو رھا ھے۔ ۱۴ سال هرکیّه هیں اور اس کو هم بہکت رہے ھیں - مسلمانوں کے جزبات کو جو ٹھیس پہلیے وہی ہے۔ اس کے ذمے دار کون هیں - پنچهلی بار چلدر ملهب نے کیا تیا۔ کد ۱۹۳۵ میں اور ۱۹۷۲ میں جب کہ ا*س یون*ہورستے كا خون كها كها توا - تب مسلمان - &

هی کو پورا کها جائے گا - ایسا نہیں هونا چاهئے جو پالیسی میکلگ باتی هو ولا ایسی هونی چاهئے که پوری کمیونیٹی کو اس میں ریپریونٹیشن منے - تاکه یونهورسٹی کی جو بالیسی بلے ولا تمام کمیونیٹی کے جوبات کے مطابق بلے تاکه ان کے مفاد کے لئے جو که یونهورسٹی میں بہلے هی موجود هیں اور جن کے انٹریسٹس(involved)

ایگزیکنگو میں بھی رہندیزیلندش کی بات کو آپ دیکھبں - اس میں بھی رینوریلنیشن اتنا نہیں دیا گیا ھے جتنا دینا چاھئے تھا - (Statute) اسٹیجو ۲۱ کو آپ اسیلڈ کو رھے بھیں - اس کے ادر فانفیلس کینٹی اس میں بھی دو ھی ایسے مسہر میں جو الیکنڈ ھیں - ورنه بائی ایکس آفیشر یا نامیلیت مسہر ھیں -

بہت زیادہ تیتیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ معصے یہاں پر ایک شعر یاد آتا ہے جس کو پوھے بنیو میں اس وقت نہیں رہ سکتا ھوں۔ قسمت کی غوبی دیکھئے ٹوٹی کہاں کمفد دو چار ھانھ جبکہ لب بام وہ کھا

تمام خوبھوں کے باوجود یہ بل ایسا ھے - ایک ایسی دوشیزہ کے مائلد ھے دلہوں کے مائلد ھے جو نہایمت

ایمچوکیشن ماستار تیے - همارے جو پریویش دَنگیتار تیے ان کا تو رویہ هی یہ رها تها که جس کمیونیٹی کا خون کرنا هوتا تها اس کے حقوق کو زرب ہوتائی هوتی تهی - اس کا گلا گهوتان هوتا تها تو راہ سمجھتے تیے که ایسا کرنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ هوسکتا تها که اس کمیونیٹی کے آدمی کو آئے کر کے اس کا خون کیا جائے - خیر جو هوا راہ سب آپ کے ساملے

مهن ایلی حکومت تا مشکور هون که ولا اس بل کو لائی ہے - جن باتوں کی هماری تیماند تھی ان میں سے بہت سی چیزوں کو اس میں شامل کہا گیا ہے۔ آپ کورٹ کو لیں اس کے کمپوڑیشن کو دیکھیں - اس کو انہوں نے آٹونامی دی ہے۔ اور وہ رول بدائے کی - جی پر (executive) ایکنچیکٹڈو ممل کرے کی - لیکن کورے کے کمپوزیشن کے بارے میں مهن عرض کرنا جاهتا هور که کورت پالیسی میکیلگ باقی هے اور اس کے اندر ۱۹۲ آدمیوں میں سے ۱۰۵ آدمی یونیورسٹی کے رکھه دئے گئے هیں اور صرف ۵۷ آدمی باهر کے هیں۔ أس كا مطلب يه هوتا هي كه يونهورستي کے جو لوگ ھیں ان ھی کی وشز کے مطابق چا جائے ہ - ان کے جو (interest) انگریست مرتے هیں اور

[شری رشید مصود]

خوبصورت تو هے - بہت حسین اور (attractive) اتریکٹیو تو هے لیکن جس کی آنکھیں پہ ر دی گئی ہوں - یہاں میرا مطلب هے که ان سب کے باوحود که اتا کچھ دیا هے وہ جیز نہیں دی گئی هے جس کی هم لوگوں نے دیمالق کی تھی - جس کی هم لوگوں نے دیمالق یعلی مانیووٹیز کهریکٹر انڈر آرٹیکل بے ۱۱) -

کل همارے منسٹو صاحب نے جو۔
سپیچ کی هے اس میں تین چاو۔
چیزیں بتائی هیں جی کی وجه سے
آبوں نے اس کو مانیورٹیز کیریکٹو
نہیں دیا - نمبر ا چیٹر جی کمیٹی
کی رپورٹ - نمبر دو سپریم کورٹ کا
فیصله اور نمبر تین ایڈمنسٹویشن کے
فیصله اور نمبر تین ایڈمنسٹویشن کے
تین باتیں مین هیں - پیر بعد میں
آئی باتیں مین هیں - پیر بعد میں
آیک اور کے بارے میں کہونا -

چیگر جی کمیگی کی رپورٹ جو باز و باز

دی بھی تھی۔ اس کا پہلاء سالوتیامت

بی اے کی جس نے قادی حاصل

کی وہ نان مسلم تھا۔ اور ایم اے۔

کی پہلی قادی حاصل کرنے والا بھی

نان مسلم تھا۔ اس کے پروفیسرد بھی

بہت سے نان مسلم ھیں۔ آج بھی

اس کے اندر بوی تعداد ٹیجوز میں

نان مسلمز کی مے اور (Students)

سالوتیانا بھی بہت ہوی تعداد میں

نان مسلم ھیں۔ نیکن اس چیار جی

نان مسلم ھیں۔ نیکن اس چیار جی

کی رپورٹ میں ایک کی رپورٹ میں ۱۸۷۱ کی

رپورٹ کا بھی ذکر آیا ہے جس میں

کا ذکر ہے۔ میں اسے پوھا کر سانا

کا ذکر ہے۔ میں اسے پوھا کر سانا

I think what we mean to found is not a college but a University.

اس کا مطلب یہ ھے کہ جب
کالمج هم نے بلایا - جب اس ملک
کے مساءانوں نے اکٹھے عو کر اس
کالمج کی بنیاد رکیئے کی بات سوچی
تو او کے ذعن میں کالمج نہیں تھا بلکہ یونیورسٹی تھی - تو یہ بات
بالکل صاف ھے کہ ھم جس چیز کی
بللکل صاف ھے کہ ھم جس چیز کی
بللکل صاف ھے کہ ھم جس چیز کی
بللکل صاف ھے کہ ھم جس چیز کی

دوسری بات آپ نے فرمائی ہے که سہریم کورت کا فیصاء عزیز باشا صاحب نے 1910 کا کیس کیا تھا۔

که سهریم دورت نے اس بات سے اِنفاق کہا ہے کہ میں نہیں سجہتا کہ أنستى تيوشق ك مطلب يونيورستى بھی ھے - تو مانھورٹھؤ یونھورسٹی اگر قائم کونا چاھنے ھیں تو ولا کہسے اريلكي - اكر به بات ماني جائے كى که ایکسے کے ذریعے کویں تو وہی بات هوگی که یوایورسالی دو مانیورانیز کی نهين هـ - هنين بتقبيّه كه اس أرتيكل ٣٠ کا کوئي متصد ره کيا هـ - مهن سنجهتا هون که اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اس سے پہتر ہے که كانستى تهوش مين امهلقميلت كرك آپ اس آرٹیمل کو نکال دیں اگر أرقيكل اس مين رة كيا هے تو اس كا پورا حق همیں دینا چاھئے - اس کے استعمال کا حق مسلم کمهونیتی کو اور دوسری سانهورتیز کو اور للگوستک مانهورتيز كو ملنا چاهيه -

ایک خاص معلے دئے گئے - ٹو بونگ انٹو ایکھدسٹاینس جب که آبہوں نے." لکھا ہے که ایسٹیبنی کے معلے دو ھیں۔ ٹو قاونق اینڈ ٹو بونگ ان ایکجیسٹ نس دونوں کو آنہوں نے اس سے متنق مانا میں نہیں جانتا که کن وجوهات کی بنا پر آنہوں نے اس ایسٹیبنیش کے بہت صددود سے معلی ٹو بونگ انٹو ایکجیسٹاینس لے لئے عیں۔

جهسا أب جائم هيس أكر أج كوثي بهی یونیورستی بنائی جائے تو بقیناً وہ گورنمذت کے ایکت کے مطابق هی وجود مهن آلهگی - نهین و نههن آئیگے - اگر اس بات کو مان لیا ، حائے که جهسے سهکشن ۲۱-۲۳ يو - -جي - سي - ايكت مين هي - تو كوئي یونیورسٹی گورنمذت کے ایکت کے بغیر وجود میں نہیں آسکتی ہے - تو میں يه جانا چاهتا هول که کها آرثهکل 47 کے اندر دو دو ایستیماس ایلا ايدمنستر انستهتيشن آف ويدو آس چائیس دیا گیا ہے للکسٹک اور پ ريليمهنس ساتهورتهز كو حق ديا كيا کالبم بدانے کا تو اس کے جوآب سی یے کہا گیا کہ عزیز پاٹا نے کیس میں

سوال أتهاير هين اله مسلم يونيورساني ة مانيوولي كهايكتار قائم كها جائم تو عبيو ياشا کے کیس میں سیویم کروٹ کے ججمہنت کا حوا دکیا کر همیں قرایا جاتا ہے ۔ کہ ہم ایسا نہیں کر سکنے هيں - سيلت زياور سوسائلی ایند ون از ادعر ورسس سایت اف گھرات اور سٹھٹ آف کیریڈ ورسس مدر پراونسل کدرید ان درنوں کیسز میں تو ایستیبلش کا مطلب تو فارنڈ ر فها گها هے - اگو گورامانت صرف ایک ورة كى بدا پر هے ابك ورة كى بدا پر هی همهی مانهورتیز کرویکٹو کا رایت دیلے سے انکار کر رهی هے تو مهن ماض كونا جاعدا هون كه دوسوت کیسو میں تو ایستهباش کے معلی الله فاوند بهي مان کي هين - تواس بات کو علی گوهم یوندورستی کے معاملے میں ہوی لاگو تا کرنے کی کا وجہ - 2

یه کها گیا هے که اگر اس یونیورستی
کو سانهورتیز کیریکٹر دے دیا گیا تو
پارلیمنٹ کو اس کے سعاساوں میں
کسی بھی قسم کا کرئی حق نہیں
رھے گا۔ میں سمجھتا ھور، که یه بات
صحفح نہیں هے۔ میں نے ابھی جو
کیس تابت کیا هے سیلت زیگور
سوسائٹی ایلڈ رن ادھر ورسس ستیت
آف گجوات اس میں یہ ھی کہا
گیا هے که تو اید منسٹر کا مطلب
تو مال اید منسٹر دی یونیورسٹی ھرگز

[شری رشید مصود]

قاریکت روزی روثی سے ھے ان کو یہاں پوھایا جائے جو اپلی روزی روئی کما سکیں - مسلمانیں کو بھی گورنمڈے میں سروس سل سکے - ۱۹۲۰ میں کو سکتے تھے - لیکن یونیووسٹی آئر کرتے تو کیا گورنمڈٹ کے مازمان که ولا نہیں عوتی - میں سمجھتا ھوں که ولا نہیں عوتی - میں سمجھتا ھوں سے کہ ھم کو گورنمئٹ میں سالزمتیں مل سکیں ھم نے اس یونیووسٹی کو ایک ایکٹ کے ۱۳حمت بدیے - حالانکہ هم یونیووسٹی کو قائم رکیڈے کی طاقت میں وکئے تھے -

آپ کو هددوستان میں 'یسی کوئی یوایورستی نہدی ملے گی جس کا قرافت بل پراٹویت لوگوں نے تھار کیا ہو - مسلم یونھورسٹی کے بارے میں ۱۹۲۰ کا جو بل تھا اس کا قرافتدگ اس مسلم قیلیگیشن کے ها۔ ها۔ ها۔ میں دے دیا تھا جو اس یونیورسٹی کو بنانے کے سلسلے میں میلے کے لئے گیا تھا -

عزیز پاشا کے کیس میں سپریم کہرت کے رولنگ کا دکر کیا جاتا ہے۔ میں عرض کرنا چاھتا ہوں که اس کے کچھ دنیں کے بعد کچھ اور کیسٹ میں مدالتوں نے تو ایسٹیبلس کا مطلب تو فاوئڈ مانا ہے۔ لیکی ہماری بداستی یہ ہے کہ جب بھی ہم

ھے تو انہیں یہ حق ملفا چاھگے -که ولا یونهورسٹی کو ایسٹیہاھی کریں -اور اس کے ایڈمفسٹریشن کو چلا سکیں -

اگر اس یونهورستای کو مانیورتیز کیریکڈر دینے کا مطلب یہ سمجھا جاتا ھے کہ اس میں صرف مسلمان ھی ستودينتس اور تيمچرز اور پرونيسرز هو سكتے هيں تو يه مطلب غلط هے -یہ مطلب نا کبھی تھا۔ اور نا آج ہے اور نه کبهی هونا چاهئے -(Institution) انستى تيوشن كا فلكشفؤ هميشة سيكولر هونا جاهكے - ميں اس بات سے متفق ھوں جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے اس كالم كا پهلا گويتمويت هدو تها اور پہلا ایم - اے - پاس، کرنے رالا هددو تها - آج بهی نان مسلمز کی وهال يو بوي تعداد هے - بهت سی افواهیس پهیلا پهیلا کر لوگوں کو قرایا جاتا ہے کہ اگر اس یونیورسٹی کو مانیورتیز کیریکٹر دے دیا گیا تر هندووں کو نه داخلے کا حق هوا اور نه ایدمنستریشن مهن آنے کا حق هوگا اور نه پروفیسر یا تیجهر بلغے کا حق هولا - مانهورتیز کیریکٹر دیئے کا یہ مطلب ہرگؤ نہیں ہے -

ھم چاھتے ھیں که منسٹر صاحب ھیاری بات مان لیس که یه یونیورسٹی مسلمانوں نے قائم کی تھی اور اس کی ایڈمنسٹریشن کو چائے کا حق

نهير هي - اسي کيس مين کيانگيا ہے کہ حکومت اور پارلیمات کو یہ حق حامل هے که وہ کچھ ریزنیبل رجستریشن امهوز کر سکتے هیں -أيده نستريش كوثى أيسى بات نههن هے جو اس يونيورسالى كو سانيوروالهو کهریکتر در کر ایبسولهرت بن جاتی هے - پارلیمات کو یہ حق حاصل هے که ولا ریزنیمل (restriction) ریستریکشون امھور کو سکے - کگی باتوں کے ہارے میں ریزنیبل(restriction)ریسٹریکشوں امہور کی جاسکتی ہے حسے(efficiency) اینیسلسی آف ورکنگ آف دی انستى تىرشى- ستىلدرة أف ايجوكهمن تسهلن - هيا؟يه سيليايشن - او, باتون کے بارے میں پارلیملٹ قاریکٹ کر سکتی ہے - اور کلٹرول کو سکتی ہے -میں یہ بھی سمجھا ھوں کہ اگر آرتیکل ۱۹۴۰ کے مطابق اس یونیورسٹی کو مانیورتیز کهریکٹر دے دیا جائے تو اس کا هرکز یه مطلب نههن هے که ولا ایک ایسی انستی تیوشن هو جائیگی جس کے بارے میں کسی دوسری باقی کا حق نهیں رہے گا۔ أس وقت بهی حکومت أور پارلهمانت سپهرير رهيں کے - فرق صوف يه هے که اس کی ابدمنستریشن کو چلانے كا حق مسلماتون كو، مل جائهكا - يه كوئى ان ريزنيهل بات نهيي هـ - جب كانستى تيوش ميں يه حق ديا كوا 919 LS-12

[شری رشید مصود]

Aligarh Muslim

مسلمانوں کو ہے۔ اس کے دروازے تمام سڈھب کے لوگوں کے لئے کھلے ھوئے ھیں - صرف یہاں کے لوگ ھی نہیں ۲۲-۲۲ غیر ممالک کے لوگ وهال پوهنے هيں - مجھ أميد ه كه ملستر صاحب همای درخواست ير غور فرسائين گے -

SHRI NARENDRA P. NATHWANI (Junagadh): Mr. Chairman, the main controversy seems to centre round the point whether this institution, the Aligarh Muslim University, should be recognised as a minority institution under article 30 of the Constitution. Government have relied and relied very strongly, on the Supreme Court decision on this point. The point arose strictly and expressly before the Supreme Court. When Parliament passed the Act of 1965, it made radical changes regarding the management of the University. The petitioners challenged the validity of those provisions, contending that the Aligarh University was a minority institution within the meaning of article 30 of the Constitution and, as such, it had the right to manage exclusively its affairs. So, the question arose before the Supreme Court whether the Aligarh University was a minority institution. Article 30 says that a minority community shall have the right to establish and administer its educational institutions. So, the question arose whether the Aligarh University was established by the Muslim community in India or not, and the Supreme Court took the view that the University was established by an Act of 1920, the Aligarh University was a statutory body, a corporate body, which came into existence as a result of the Statute passed in 1920 and, therefore, it could not be said to have been founded or established by the Muslim community. That was one test which was applied.

Another test that was applied was whether in order to qualify itself as a University it had the right to confer degrees or not. The Supreme Court relied on section 6 of the Act of 1920 to show that but for this provision the University would not have the right to grant degrees and, therefore, one of the essential characteristics of a University was missing before its incorporation. So, the Act made such a provision.

This is the position, and the Government has relied on that decision. The Government is right in stating that when the Supreme Court decides a matter, unless and until you change the Constitution, you cannot nake a provision for vesting the management absolutely in the Muslim community, or treating it as a minority institution under article 30.

I am aware that the Minority Commission in its report has submitted that while deciding this point the Supreme Court has interpreted the word "established" in a particular manner but subsequently the Supreme Court has departed from this interpretation of the word "established". It has relied on more than one such decision to show that subsequently the Supreme Court has deviated from the meaning attached to the word "establish" in article 30. The Minority Commission refers to the Supreme Court decision in S. Azeez Basha vs. Union of India, re ported in AIR 68, Supreme Court, page 662. And then it proceeds to add that in a later case the Supreme Court has interpreted the expression "to bring into existence" to mean "to found" and cited the case of Kerala Vs. Mother Provincial reported in AIR 1970, S.C. 2079. The Supreme Court in that case observed:

"Established here means to bring into being of an institution and it must be by a minority community. It matters not if a single individual by his own means founds the institution or the community at

large contributes the funds. The position in law is the same and the intention in either case must be to found an institution for the benefit of the minority community by a member of that community."

The Minorities Commission adds:

"It may be noticed that the judgment in this case was of a bench of six judges whereas the judgment in Azeez Basha's case was by a bench of five judges. It is now well settled that the judgment of a larger bench which is also later in point of time prevails over an earlier judgment by a small bench."

In this case the Supreme Court treated the two expressions "to bring into existence" and "to found" as synonymous Therefore, this case is relied upon to say that the Aligarh University, having been founded by the Muslim comminity in India, must be treated as established by them But, with due respect to the Minorities Commission I wish to say this case has no application. I have got the case before me The Supreme Court has not at all telerred to the decision of 1968. In the Kerala case, the Supreme Court was concerned only with the question whether the institutions-colleges--were private founded by one or more members of the minority community. It deals with a separate point altegether. It does not deal with the question whether a body like a university cou'd be treated as having been founded by a minority community. An institution can be founded by a body corporate and that body corporate may be a statutor, corporation like the Aligarh University or it may be another legal entity, a company under the Indian Companies Act. Suppose an association is formed and incorporated, that may be a separate legal entity. Therefore, if such a

body establishes a college or an institution, the latter could not be said to have been established by the members of the minority community. If you read carefully the later decision of 1970 you will find this proposition well laid down. There were 36 petitioners-33 institutions-belonging separate categories or denominations of Christians, one run by a company -I forget its name, Sankaracharya's name is associated with 1t-another was Nayar Society. You will therefore, see that of the 36 pctitioners, there were some separate legal ef . tities, who conducted colleges; they could not be said to be members or any community. In that case, the Supreme Court laid down that article 33 did not apply to these institutions which were founded or established by a company or a society. In the eyes of the law they were separate entities.

If you say that the law has bee changed by the Supreme Court, why do you bother about it? You can straightaway approach the Supreme Court and get now its objectionable part struck down. It is not as if you have got no remedy.

There is another remedy also open to those who say that the law has been changed. You are not at the mercy of the Government or Parliament at all. You can get that decision reviewed if you like. Even if the law has not been changed, if you think that the Supreme Court decision of 1968 requires reconsideration because of certain important aspects having been lost sight of you can place your point of view before the Supreme Court. If you feel that the law has been subsequently changed, -the chemical word "establish" has been differently interpreted by the Supreme Court,-then also you can approach the Supreme Court,

In this connection, I would urge upon the hon, Minister to tell us whether, in view of the stand taken

[Shri Narendra P. Nathwani]

by the Manorities Commission Government thought at fit to consult the Attorney General, whether their contention was placed before him, and if so, what was the view expressed by him,

SHRI M. N. GOVINDAN NAIR (Trivandrum): Mr. Chairman, Sir, I am in support of this Bill since it aims at restoring the minority character of the University. I do feel that it needs improvement and the points which have been just now mentioned by my hon, friend who preceded me call for sending the Bill to a Select Committee.

My main point in supporting the Bill is that the basic structure of our State, of our society, is secular and democratic with sufficient protection for religious and linguistic minorities. It also provides for safeguards for the weaker sections of the society, like, the backward communities and the Scheduled Castes. No Government, whatever be the composition of that Government, should ever try to tamper with this basic structure of our society.

The framers of our Constitution, taking into account the composition of the people of this country framed all these provisions in order that the people may live in peace. Unfortu. nately, by the previous amendment of the Bill, the minority character of the University was changed. Then, there was the Supreme Court judgment about which he spoke and all those things are there. He quoted the example of an institution in Kerala associated with the name of Shankaracharya and all that. I do not want to go into all those things. Neither the institution not the Shankaracharya belongs to the minority community. I do not want to go into the legal aspect of it nor I am competent to do that. I am not doing that. Here, the main question is: Can we by our legislation give this assurance that this is a minority institution of the Muslims? I do not want to go into the history of at.

In article 30(1) of our Constitution, it has been very clearly and categorically stated—I quote:

"All minorities, whether based on religion or language, shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice."

So, this is what I have suggested in my amendment, that is, while defining the University, you substitute:

"The 'University' means educational institution of their choice established by the Muslims of India which was incorporated and designated as Aligarh Muslim University in 1920 by this Act."

If this amendment is accepted and, I think, the hon. Minister will have no hesitation to do it...

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUN-DER): I have hesitation.

SHRI M. N. GOVINDAN NAIR: Samsayatma Vinasayati, He should not have any hesitation.

Whatever be the legal subtleties, we are in a situation when the very secular nature or character of our State is challenged by a strong section of our people and it is the responsibility of the Government to come forward to state clearly and categorically that they respect the provisions made in the Constitution as far as the religious minorities are concerned in the matter of running their educational institutions. This is what is expected of this Bill. So also in the present set-up, in all the university bodies, representation for the teaching staff and non-teaching staff and also representation for the students should be granted. A

provision for that also should be made in this Bill. That way this Bill has to be improved, so that the staff working in the colleges, the students and the minority communities, all of them, may feel satisfied.

I do not want to say much. But I would only remind that the situation prevailing in our sountry today is one which is creating a feeling of insecurity in the minds of the minority communities, the religious minorities, whether they be the Muslims or the Christians or the Buddhists. This factor should not be ignored.

One hon. Member—it may be a Private Member's Bill—has moved a Bill—Freedom of Religion Bill. Whethere it is Freedom of Religion Bill or whether it is a Bill intended to curb the freedom of the religion is a matter.

SHRI OM PRAKASH TYAGI (Bahraich): Have you read that Bill?

SHRI M. N. GOVINDAN NAIR: You are the Member who has moved that Bill. We will try and discuss this question when your Bill comes up..

SHRI OM PRAKASH TYAGI It is asking for equal status for all.

SHRI M. N. GOVINDAN NAIR: That is according to you. But according to me and according to the entire Christian community in this country, that Bill is meant to curtail their sctivities and terrorise them. All over the country the Christians are protesting against your Bill. They should have ignored your Bill, but your Bill got importance when directly or indirectly the Prime Minister tried to bless that Bill in one way or the other. That is how your Bill has got the publicity. That is

why the Christian community all over the country are disturbed about it and they have held demonstrations.

Now, the Muslims have no safety. You know what happened in Aligarh and what is happening even today in Jamshedpur. If this is the way you are running the Government where they have no sense of security either for their life or for their property and where they feel that even their religious activities cannot be carried on, how can you maintain the secular character of the State? . That is the point on which we have to think. Do not think that the framers of our Constitution were ignorant about the situation in our country. You call Mahatma Gandhi as the Father of the Nation but you slight him you ignore him, you ignore his warning. Even at the time of or after the partition, when there was a very strong feeling all over the country that as against Pakistan, an Islamic State, we in India have a Hindu State, it was Mahatma Gaadhi who stood up, who rose to the occasion, and warned this country that "India is not a land of the Bindus alone, it is a land of the Christians, a land of the Muslims also". You should be proud that, even after the call of Pakistan, majority of the Muslims decided to reside here in Imdia, they wanted to be the citizens of India, not of Pakistan. Therefore, you should respect their sentiments, you should try to treat them as equals. But, on the other hand, what is the situation in Mis country today? Therefore, the context in which you are doing is also important. I am questioning your subjective thinking. But in the present context if you are alienating all the minority communities what does it mean?

Therefore...

SHRI SHAMBHU NATH CHA. TURVEDI (Agra): What is your definition of secularism? Is it identical with separatism? SHRI M. N. GOVINDAN NAIR: Secularism is something which gives complete protection to religious minorities and linguistic minorities...

SHRI OM PRAKASH TYAGI: Equal status for all.

SHRI M. N. GOVINDAN NAIR: When your Bill comes, we will have time to discuss it. Now, the Chairman does not want me to continue.

MR, CHAIRMAN: Your time is over.

SHRI M. N. GOVINDAN NAIR: What I am pointing out is that the Government has an opportunity now to offer and to assure the religious minorities, especially the Muslims that you are there to protect their interests and this Aligarh University which is their prestigious institution will be restored as a minority institution of the Muslims.

श्री बज भूषण तिवारी (खलीलाबाद): श्राज सदन के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विवेयक पेश हम्रा है । माननीय सदस्यों ने ग्रयने तरीके से इस पर राय दी है । ग्रलोगढ़ मस्लिम विश्वविद्यालय का मामला काफी दिनों से देश के अन्दर ग्रहिपसंख्यका के मन को कूरेदता रहा हैं। कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टीज के विरोध पक्ष के लोग ग्राज जितनो हमदर्दी दिखा रहे हैं उतनो उन्होंने अगर शुरू से हो दिखाई होती तो शायद यह स्थिति पैंदा ही न होती । 1920 के एक्ट के तहत यह विश्वविद्यालय ग्रस्तित्व में ग्राया । 1951 में इस में कुछ तरमोमें को गई। 1964 तक कभी कोई बात उठाई नहीं गई । इस विश्वविद्यालय के बेसिक कारेक्टर में कोई तरमोम नहीं हुई । लेकिन 1965 में संशोधन पेश किया गया जिस के जरिये कोर्ट जो बहत हो महत्व-पुर्ण संस्था होती है नोति सम्बन्धी ग्रांप प्रशासने सम्बन्धी मामलों में उस प्रभाव-

शालो प्रौर शक्तिशालो सस्था को शक्त-होन बना दिया गना । राष्ट्रपति जो विजिटर होता है उसको ग्रधिनार दे दिया गता कि वह बाइस चांसलर नियुक्त कर साते हैं। स्टेग्ट्स बनाने का जो अधिकार था वह भो ले लिया गरा। उसके बाव 1972 हा जो संगोधन था वह तो कमाल का संशोधन था। इन दो पशोधना ने ग्रल्पसंख्यक मुसलमानों के मन में यह शका पैंडा को कि अगर इस प्रकार से सरकारी हस्तक्षेप विश्वविद्यालयं के मामले में चलेगा तो पह केवल ग्रलोगढ मस्लिम विश्वविद्यालय का मामला नहीं रह जाएगा बल्कः देश के ग्रन्दर जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनके भी ग्रंदरूनी मामलों में सरवार हस्तक्षेत्र करते लग जाएगी ग्रीर शिक्षा के प्रसार ग्रोर प्रचार के लिए स्वस्थ वातावरण दूषित हो जाएगा, उसके हित में यह चोज नहीं होगी । मैं यह मान कर चलता हूं कि लोकसभा देश की सर्वोच्च प्रभुसत्ता सम्बन्न संस्था है ग्रीर तालोम के मामले देश की आवश्यकताओं के ग्रनसार हम को उसको ढालना पडेगा। नए ज्ञान, नए हनर, विज्ञान ग्रीर टैंक्ना-लाजो के दौर में अगर हम िछड गए तो शिक्षा का कोई मलतब नहीं रह जाएगा। शिक्षा जो ग्रादमी ग्रादमी में म्रलगाव पैंदा करे, नफरत पैंदा करे, देश में पथकता की भावना पैदा करे, उसकी बढ़ावा दे, उस प्रकार को शिक्षा को ग्राज देश ग्रौर समाज को कोई ग्रावश्यकता नहीं है। हमें ऐसी शिक्षा की जरूरत है जो देश ग्राज ग्राधनिक ज्ञान, नई खोज, नये विज्ञान, नई तकनीक के लिये ग्रावश्यक है, साथ हो साथ नये समाज, नई संस्कृति, नई तहजीब के निर्माण के लिये जरूरी है। ऐसी शिक्षा हमें चाहिये जो ग्रादमी के बोच में मोहब्दत पैदा करे ग्रीर पूरे देश समाज ग्रीर जो ग्रह्पसंख्या

है, गरीब ग्रीर कमजोर है, उनको ग्रापने साथ लेकर चले । उनको विशेष ग्रवसर देकर समाज को तत्रक्की से ग्रीर हर क्षेत्र से उनको विशेष मौना मिले शिक्षा का उद्देश्य यह है ।

जनता पार्टी ने भ्रपने चुनाव वायदे मेग्रह ऐलान किया था कि हम 1965 ग्रीर 1972 मशाबना द्वारा ग्रलीगढ मस्लिम यनिर्वासटी की ग्राजादी ग्रीर उसके किरदार का जो ध्रारत या चोट पहचाई गई हे, उस हो हम वापिस करेगे। माइनौरिटी कमीशन का भी निर्माण हम्रा उसने भी अपनी सस्तृति दी हे और वर्त-मान विधेयक पेश किया गया है। मझे प्रसन्नता है कि हमारे गिक्षा मत्री ने सदन को श्राश्वासन दिया , कि माइनौरिटी कसीशन की जो रिकमैडेशन्स है स्रोर भी बहत सी जो रिकमैडेशनज हे, कोर्टम एग्जी-क्युटिव काउसिल के बारे मे, जो विश्व-विद्यालय के डैमोक्रेटिक करैक्टर को बनाती है भीर उसकी भ्रटोनामी को बरकार रखती है या ग्रीर बढानी है. वह सारे सशोधन स्वीकार किये जायेगे भीर व्हाउँ घोषणा करेगे। मै उनकी इ.स. मका भीर घोषणा ास्वा 🤈 करता ह । ग्रलीगढ विश्वविद्यालय के बारे मे यह सही है कि यह केवल विश्वविद्यालय . **का ही म** मला ही है, देश के धल्प-.सज्यकों की भावनाम्रो का भी मामला है ग्रीर सर सैयद साहब ने जब इस , विष्:विद्यालय की स्थापना की थी तो यह ब.त साफ हो गई थी कि इसका मतलब यह या कि अपने देश के जो पिछड़े मूसलमान हैं, उनको नई तालीम दी जाये।

इसके बारे में 1961 की रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा गया है---

"भारत की तत्कालीन स्थिति का ध्यानपूर्वक भ्रध्ययन करने के बाद वह महान व्यक्ति स्वर्गीय सर सैयद ग्रहमद खा इस निक्का पर पहुचे कि मस्लिम ममदाय के पिछटेपन का कारण उनके लिए ब्राधनिक शिक्षा का सभाव है। भारत के स्वतव्रता सग्राम के बाद, ाजममे मसलानो ने बहुत ही महत्वपूर्ण भिमका श्रद नी थी, उन्हे निराणा मिनी, वे ग्रसगठित हो गए । वे पश्चिमी शिक्षा तथा पश्चिम सभी बातो ने मस्त खिलाफ थे। सर सैयद ने यह महसुस किया कि उनका यह दिष्टिकोण उनके हित में ही था। इसलिए उन्होने चाहा कि वे लोग पश्चिमी पद्वति पर ग्राधारित उदार शिक्षा का लाभ उठाए भ्रन्यथा उसके स्रभाव मे वे भ्रपनी जन्म-भिम, श्रपने देश की प्रगति मे पूर्ण महयोग नही रे पायेगे ।"

यह मनसद था ग्रीर इसमे नाफी काम-याबी भी मिली । यह विश्वविद्यालय ग्राल इडिया करेक्टर का है, प्रखिल भारतीय महत्व का है । मे इस सम्बन्ध मे मोहम्मद शफी िन्होंने 1920 ना बिल रखा था, उन्होंने ग्रपने भाषण मे नहा था, उसे क्वोट करता हू—

"Recognismg the all I on character of the Banaras Hundu University and the Aligath Musim University, the rules, framed u der the Government of India Act, have now proposed that these two universities should be a Central Subject and the responsibility, in connection therewith, henceforwar rests on the shoulders of the Government of India"

इससे यह साबित होता है कि इस विश्व विद्यालय का कितना रूप था। बाद मे

University (Amendt.) Bill

[श्र कक भूतण तिवारी]
इसके संस्थापकों ने यह भी कहा कि
यह विश्वविद्यालय केवल भारत के मुमलमानों के लिए नही है, बिन्क यह दुिया
मे ज्ञान का एक महान् केन्द्र बनेगा और
दूसरे देशों के भी विद्यार्थी भा कर यहां
पर विद्याध्ययन करेगे ।

इस विश्वविद्यालय में दाखले के मामले में 1920 के एक्ट में साफ तौर पर लिखा था कि हर एक विद्यार्थी को, जो भी विद्याध्ययन करना चाहेगा, चाहें वह किसी भी मजहब, जाति या रग का हो, विश्वविद्यालय से दाखला दिया जायेगा और उसे इन्कार नहीं किया जायेगा। हा, 1920 के एक्ट में यह प्रावधान जरूर था कि कोर्ट के मेम्बर गैर-मुस्लिम नहीं हो सकते हैं। लेकिन 1951 के संशोधन में इस बात को भी खत्म कर दिया गया और इसके लिए वह ध्रावध्यक शर्त नहीं रखीं गई।

मेरे कहने का मतलब यह है कि शुरू ही से 1964 तक इस विश्वविद्यालय का जो स्वरूप था, उसमे कोई परिवर्तन नहीं किया गया, कोर्ट धौर ए क्सिक्यूटिव कॉमिल के अधिकारों को बरकरार रखा गया और उन की शक्ति को बढ़ाया गया। उसके स्वरूप को बिल्कुल सैकुलर रखा गया है।

यह सही है कि मुसलमानों ने उस विश्विद्यालय की स्थापना में श्रपा। योगदान दिया । और यह भी सच हैं कि जहां उम विश्वविद्यालय का मकसद ज्ञान-बर्द्धन, शिक्षा देना, नई तालीम देना था, बहां उसका सब से महत्वपूर्ण मकसद यह था कि मुसलमान युवकों को, जो पिछड़े हुए थे, तालीम दी जाये !

मुझे प्रसन्नता है इस विश्वेयक मे कृतिवर्षिटी की जो परिभाषा की गई

इस बात को तस्लीम उसमें कि यह मसलमानों के द्वारा स्थापित की गई है-"एस्टाब्लियह बाई दि मुस्लिम्ब झाफ़ इंडिबा।" केवल एक बहस है कि इसको माइनारिटी कैरेक्टर दिया जाये या नहीं। सरकार मूल रूप में यह स्वीकार करती है कि इस विश्व-विद्यालय की स्थापना मुसलमानों ने की है, यह श्रल्प-संख्यकों की भावनाओं का केन्द्र बना हम्रा है। केवल एक बात सरकार की तरफ से उठाई गई है कि धगर संविधान के मार्टिकल 30(1) के तहत इसे माइनारिटी कै रेक्टर दिया जाता है, तो संसद को वहां के मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई श्रधिकार नहीं होगा। माइनारिटीय कमीशन ने माना है कि संसद के इस मधिकार को रोका नही ः सकता है। मैंभी इस बात को मानता है। एस लिए इस बारे में कोई तालमेल होना चाहिए कि संसद् का अधिकार बना रहे भीर हम इस यूनिवसिटी को स्वायसता, द्वा मदी भीर माइनारिटी कैरेक्टर दे दें। करन्तु भगर माइनारिटी कैरेक्टर का मतलब होता है मैल-एडमिनिस्ट्रेशन चन्द वेस्टेंड इन्ट्रेस्ट्स का प्रभूत्व, मलीगढ़ विश्व विद्यालय के स्वरूप में परिवर्तन भौर इसके संस्थापकों के समनों को चूर-चूर करना, तो हम इस माइनारिटी कैरेक्टर की भाड़ में इस विश्वविद्यालय को नष्ट नहीं होने देंगे ।

चटर्जी समिति ने कहा है कि हालांकि
यह प्रल्पसंक्यकों का संस्थान है, फिर भी
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को उस
मिश्रित संस्कृति के विकास में राष्ट्रीय योगदान
के स्प में समझा जाना चाहिए, जिस पर
देश के सभी लोगों को उचित गौरव हो सकता
है। घाज केवल 10 फ़ीसदी के करीब
बाहर के मुसलमान छात अलीगढ़ मुस्लिम
विश्वविद्यालयमें पढ़ते हैं। वहां की प्रीफेशनल
एजूकेशन—मेडिकल, इंजीनियरिंग द्यादि
में मुसलमान विद्यालयों की तादाद बहुत कम
है। इस के लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए,
क्योंकि देश में सरकारी नौकरियों में धायादी

के बाब उनका धनुषात घटा है, चाहे प्रशासकीय सेवार्ये हों, सेना हो या पुलिस हो ।

15.90 hrs

इस बात को खुसरो साहब ने भी लिखा है कि अलीवढ वृक्तिवसिंडी के बन्दर से एक परसेट, भी ऐडविभिस्ट्रेटिक आफिसर नहीं आते थे मगर उन्होने देनिंग की जो नयी स्कीम चलायी है उससे कुछ म र्पात पन्द्रह बीस परसेट के करीब बढ़ा है। मैं बाहुगा कि अगर सबम्ब अल्पसंख्यकों के मन मे यह विश्वास पैदा क्रम्ता है कि वे भी इस देश के निर्माण मे हकदार है और उन का भी इस में हिस्सा है तो उन का अनुपात उनकी श्राबादी, योग्यता भौरक्षमता के भाधार पर सही तरीके से सरकारी नौकरियों ग्रीर सार्वजनिक क्षेत्र मे होना चाहिए। मगर नहीं मिलेगा, चाहे उस के जो भी कारण हों तो इसी प्रकार के विचार उन के मन मे पैदा होंने शकाए वैदा होगी भीर तम म लोग गलत तरीके से उस का इस्तेमाल करेगे। बदि वे सारी शकाए निर्मूल हो जारे भीर उन के मन मे यह विश्वात पैदा हो जाय, साथ ही संसद के अधिकार भीर यह जो माइनारिटी कैरेक्टर, है इस के बीच से तालमेल की या बीच की कोई स्थिति निकल जाय तो मुझे कोई भागति उसमे नहीं होगी कि इसे माइनारिटी कैरेक्टर दिया जाय मगर उसके साम यह शर्त जरूर है कि संस्थापको जिल सपनों को लेकर या जिस स्वरूप को लेकर इस विश्वविद्यालय की स्थापना की वी वह बरकरार रहे।

भो हतीनुद्दोन महमव (किशनगंज):
सभापति महोवय, मैं भाप का सुकिया भवा करता हूं कि भाप ने मुझे भलीगढ़ मुस्लिम मूनिवसिटी भमेंडमेंट विल पर बोलने का मौका दिया है। विल की मौजूदा शकल अवर्षे पूरे तौर पर मुसलमानों को इत्मीनान नहीं दिलाती, फिर भी बहुत हद तक वह काबिले कबूल है। सन् 20 के ऐस्ट के जरिए जो मराधात भीर हकूक मसलमानों को हासिल थे वह सारे के सारे सन् 65 भीर 72 के अमेडमेट से छीन लिए गए। यह श्रीमती इदिरा गाधी के दौर मे किए गए थे जिन्होंने अपने दौरे इक्तिदार मे मुसलमानों की सादालोई से नाजायज फायदा उठा कर मुसल-मानो का वोट हासिल करने के लिए बार बार गलत बाय हे किए, उन के बिल को मखकह किया भीर उन के जजबात को ठेस पहुंचाई।

सभापित महोदय : झह्मद साह्ब, झाप जरा झागे आ जाये तो लोगों को सुनने मे झासानी होगी । झाप माइक के करीब झा जाये ।

श्री हलीमृद्दीन घहमव सन् 77 के एलेक्शन के मैनिफेस्टो मे जनता पार्टी ने भी धकलियत को जायज हकूक दिलाने का बादा किया था। मुझे खुशी है कि जनता सरकार ने मौजूदा धमेडमेट बिल के जरिए मुसलमानों के जबम को भरने के लिए यह कदम धारो बढाने की कोशिश की है।

मै इस बिल की ताईद करने के लिए कुछ सिफारिशात सरकार के भामने रखना चाहता ह भीर उम्मीद करता ह कि सरकार ठडे दिल से गौर करेगी भौर मुनासिब कदम उठा कर सककारी अमेडमेट के जरिए मसलमानो के बाकी मढालबात भीर ब्वाहिशात को पूरा करने की कोशिश कईगी। इस देश मे लगभग 10 करोड मुसलमानों की भाबादी है। मैं भी उन का एक फर्द हूं। ब्राजादी के बाद से मुसलमानों की दिली डवाहिश रही है कि वह इस मुल्क की तामीर भीर तरक्की मे बराबर के सामीबार बने रहें। मुझे यकीन है कि मुसलमान इस काम के लिए अपने प्रन्दर माकूल सलाहियत काबलियत भीर करेक्टर रखते है। मगर शकसोस की बात है कि ये हमेशा नित नये मसायम में इसलिये उलज्ञाए रखे जाते हैं कि इन्हें कुछ सोचने चौर

372

्रिश्च हल मुद्दान इ.हमद]

करने का मौका ही न मिले। ये अपनी सारी ताकत और लियाकत छोटे मोटे मसायल के उलझाव में जाया कर देने पर मजबर हो जाते हैं। इस तरह जिन्दगी के दौर में वह पीछे पड़ते जा रहे हैं। मैं जब इन मसायल पर गौर करता हं ना पात: हं कि देश में कुछ मफ़ादपरस्तों का गिरोह है जो ग्रांगे दिन ऐते वारदा । खडे कर उलझ व ग्रोर तनाव पैदा करा कर ग्रपना उल्ल सीधा ारता वाहते हैं। ये मफ़ादबरस्त फ़िरका-वारान जहनियत रखने वाले लोग एमें शहनारे साथ खेल खेला करते हैं ग्रीर हमें एक किरका-वाराना फ़साद की जद में लाकर सारी सताहियत जाया करा देते हैं। हमें अपनी महा-फ़ज़त ग्रीर बचाव की तदबीर में सारा वक्त जायां कर देंना पड़ता है। कहीं जबान पर झगडा है ता हड़ां महला रस्तात का। ऐपा मालूम पड़ता है कि यह सब सोचे समझे प्तान के तहत किया जा रहा है। हिन्द्स्तान के बटवारेका जिम्मेदारठहराकर हमारेखिलाक नफ़रतं फ़ैलाई जाती है। बटवारा एक तारीकी हकीकत बन चका है। जो लोग बटवारे के हामी थे वे तो चले गए लेकिन वे लोग जिन्होंने इस देश को मादरे वतन समझ कर गले लगा रखा, सारी तकलीफ़ों को बरदाश्त किया, देश की धरती से चिमटे रहे, उनका स्राज भारतीयकरण करने की कोशिश करना और उन पर शबहा करना ज्रहम पर नमक छिड़कना नहीं तो ग्रीर क्या है ? इस: जहिनयत की बिना पर मुल्क ग्रीर कौम को नुकसाने अजीम पहुंच रहा है।

मेरा अकीदा है कि अक्सीरियत अगर थोड: रवादारी से काम लेती तो सारे फिरके-वाराना तनाव खत्म हो जाते ग्रौर ग्राजादी के 32 साल बाद मुस्लिम बजाए बोझ होने के इस मुल्क के लिए पूंजी साबित होते।

इन तमहीदी बातों के बाद मैं ग्रब ग्रलीगढ़ मस्लिम गुनिवर्सिटी ग्रमेन्डमेन्ट बिल, 1979 की िस्यत ग्रपने कुछ खयालात जाहिर करना चाहता हूं भौर साथ ही कुछ सिकारिशात

भी ग्रापके जरिए सरकार के सामने रखना चाहता हं।

ग्रली गढ़ म्स्लिम युनिवर्सिटी की बनियाद क्यों पड़ी ग्रौर कैसे पड़ी, इसके पणे-मजर को देखना जरूरी है। यह तारीखी हकीकत है कि हिन्द्स्तान की हकमत को ग्रंग्रेजों ने मसलमानों से छीना था। श्रंग्रेजों की नजर में -मसलमान दश्मन नं ा समझे जारे अगे थे । 1857 की जंगे आजादी ने आग में तेल डालने का काम किया । अंग्रेज फ़ातेह कौम के नाते मुसलमानों की तहजीबो तमद्रन ग्रौर तालीम को बरबाद करने पर तल थे। ग्रंग्रेज ग्रंग्रेजि को सरकारी जबान बनाने की कोशिश करने लगे। हमारे मल्लाम्रों ने श्रंग्रेजी तालीम की सख्त मुख लिफ़त की। हम ग्राहिस्ता ग्राहिस्ता जिन्दग के हर शोबे में पीछे पड़ने लगे। यह वह वक्त था जब सर सैयद श्रहमद खां की जाते गिरामी ने हालात की नजाकत को समझा और मसलमानों के पिछडेपन ग्रीर बदहाली को दूर करने की सोची, वक्त की नब्ज पर हाथ रखा ग्रीर 1875 में प्रलीगढ में मुसलमानों को जदीद ताल म से रं शनास कराने के लिए एक स्कूल कायम किया जो 8 जनवरी, 1877 में मोहमडन एंग्लो ग्रोरिएंटल कालेज के नाम रे मशहर हुया । एम ए स्रो वालेज स्रौर मुस्लिम युनिवसिटी एसोसिएशन की अनथक कोशिशों के बायस 1920 में अल गढ़ मुस्लिम यनिवर्षि ही की बनियाद पड़ी । इस यनिवर्धिट का मकसद खास कर मुसलमानों के तार्ल मे मधार को बुलन्द करना था। इसमें ग्राहिस्ता ग्राहिस्ता बहुत से शोबे इस्लामिक स्टर्ड ज के खोले गए जिनमें इस्लामी तालीमात दी जाने लगी। इस यनिवर्सिटी के जरिए मस्लिम फ़िलार फ़ी, इस्लामिक हिस्ट्री, मुस्लिम ला और पश्चिम एशिया की जबान अरबी औं फ़ारर्स की तालीम का मुनासिब बन्दोबस्त किया गया। यनिवर्सिटी की कलचरल जबान उर्द बनाई गई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की डिग्री को कानुनी दर्जा दिलाने के लिए

सरकारी मंज्री जरूरी थी इसलिए एम. ए. ग्रो. कालेज सोसाइटी ग्रीर मुस्लिम युनिवरिटी एसोक्षिएशन ने अपना सारा इक्षाक्षा और नकद 25,000 रूपना सरकार के हवाले कर श्रजीगढ़ मुस्लिम एनिवसिटी की कानूनी मंजूरी ली जो 1920 का एक्ट कहा जाता है। ग्रब ग्रार यह कहा जाए कि सरकारी एक्ट के जरिए हो अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी काथम हरीतो यह जल्म नहीं तो और क्या है ? क्या हुन ग्रीर ग्राप इस बात को मानने के लिए तैयार हैं कि हिन्द्स्तान की स्राजादी हमारी जदी-जहर, कुर्बानियां ग्रौर खून पसीना बहाने के सिले में हमें नहीं मिली बलिक ब्रिटिश पार्लमेन्ट के ऐक्ट के जरिए मिली है ? मामूली समझ रखने वाला इनसान भी इसे कब्ल नहीं कर सकता है। मुलक कानून के तहत हर तालीमी दर्सगाह, ख्वाह वह प्राइमरी हो, सेकेन्ड्री हो या यानवसिटी दर्जे का हो--सरकारी मंजुरी के बगैर चलाया नहीं जा सकता है। मंजुरी देना सरकार का कानुनी फ़र्ज है ग्रीर कायम करना एक फ़र्द की जिम्मेदारी है। किसी भी इमारत की बनियाद रखने में एक एक ईंट जमा करने की जरूरत पड़ती है, फ़िर जोड़ना पड़ता है, खन पसीना एक करना होता है ग्रौर तब जाकर मकान तैयार होता है। यह कैसे मुमिकन हो सकता है ि इन सारी लवाजमात को भूलकर रिकग्निशन का एक जुमला बनियाद का हफ़ी-ग्राखिर साबित हो जाए ?

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिविस्टिं। का माइनारिटी करेक्टर बहाल करने के बारे में कहा जाता है कि सुपीरियर कोर्ट का फ़ैसला सरकार के लिए रुकावट है। 32 वर्ष की आजादी के दर्म्यान करीब 59 बार दस्तूर में अमेन्डमेन्ट हुए हैं। इनर्जेसी के दौरान भी कानून बनाए गए और सारे कानूनों को पार्लमेन्ट के जिए तरमीम किया गया है। कहा जाता है कि कीम और मुल्क के मफ़ाद में यह सारी

तरमीमात की गई हैं। क्या अर्ल गढ मस्लिम युनिवर्सिटी को माइनारिट वरैक्टर देना मुल्क ग्रीर कौम के मफ़ाद में बेहतर नहीं होगा जबिक अलीगढ़ मुस्लिम एनिवर्सिटी एक ग्राला कौर्मः तार्लमी इदारा है जहां विसी भेदभाव के बग़ैर हर जात ग्रौर फ़िरके के लड़के तालीम पाते हैं ? 1965-72 के श्रमेन्डमेन्ट्स ने इस युनिवर्सिटी के माइनारिटी करैक्टर को जल्द पहुंचाई ग्रीर बनियादी हक्त से मुक्तलमानों को महरूम कर दिया गया। जो मुसलमानों के लिए जहनी कृपत का बायस बना हुन्ना है। उस वक्त से न्नाज तक पालियामेंट ग्रौर पालियामेंट के बाहर मुसल-मानों की तरफ से माइनोरिटी करेक्टर बहाल कराने का एहतजाज जारी है। जब सन् 1920 के एक्ट के बहुत सारे मराश्रात वापस किये जा रहे हैं तो कौमी नुक्तेनजर से माइना-रिटी करक्टर की बहाली मेरे ख्याल से अजहद जरूरी है। माइनोरिटी कमीशन की सिफारिश ग्रौर राज्य सभा से बिलं की मजरी भो काबिले-गौर है।

हमारे दस्तूर के दफ़ा 29 ग्रौर 30 में श्रकलियतों के लिये दिये गये मराग्रात के बारे में हमारे मुल्क के सुप्रीम कोर्ट के बहुत से फ़ाजिल जजों ने ग्रपना ग्रपना खयाल ग्रौर राज फ़्रांसला देते वक्त जाहिर किया है, जो काबिले गौर है। मि० मंध्यू ग्रौर चन्द्र वूड़ जजों ने ग्रहमदाबाद सेंट जेबियर सोसाइटी के मुकदमे में राय देते हए कहा है:

"Application or recognition without which the educational institution established by the minority for imparting secular education will not effectively serve the purpose for which they were established and cannot be made an instrument of suppression of the rights guaranteed."

AIR, 1974 S.C. page 1389.

में यह दर्ज है।

[श्रो हलोसुद्द न ग्रहमद] स्रागे यह भी-कहा है

"The fundamental rights cannot be surrendered or bartered away."

डम मुकदमे के फीमले मे श्रीखन्ना, जज, मुत्रीम कोर्टने कहाहै कि

"Liberal, generous and sympatetic approach is reflected in the Constitution in the matter of preservation of the right of minorities, so far their educational institutions are concerned."

इसके झलाका सुप्रीम कोर्ट ने 1968 में झलीगढ मृस्लिम यूनिवर्मिटी की रिट पर राय देते हुए यह कहा है ?

"There is no bar for the Parliament to make law for governance of Aligarh Muslim University as it thinks fit" (AIR 1968 S C page 662—para 34).

चैयरमैन साहब, मार्टीकल 30(1) के मन्दर यूनिवासिटी का कायम करना एक एबसीलू श्रेट राइट हैं लेकिन साथ ही दस्तूर में ऐसी कोई शतं नहीं है कि यूनिवासिटी लेजिस्लेटिव एक्ट के जिए ही कायम होनी चाहिए जैसा कि भाज से पहले कल भी कहा गया था कि सुत्रीम कोर्ट ने "एस्टाबिलिश" का इस्टरप्रीटेशन नेरो सँस में किया है भीर उस पर जो राय दी है वह मुस्लिम मकाद के खिलाफ होती है। मौक्सफोड डिक्शनरी देखने के बाद, "एस्टाबिलिश" का जो माइने पाते है, वे ये है

"to secure permanent acceptance for (custom, precedent, belief etc.) धौर "एडमिनिस्टर" के माइने जो घोवमफोर्ड । डिक्ककरी में दिये गये है, वे ये है

"to apply (remedies to), centribute to (one's comfort etc.)

यह मैं इसलिए कह रहा हू कि "एस्टा-विलिश" का जो इन्टरप्रीटेशन सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, वह नेरो सेन्स में लिया गया. है बौर उसको बहुत वाइड तरीके के लेना चाहिए। यह मैं इसलिए कह रहा थ्रा क्योंकि घाटिकल 30(1) के घन्दर यूनिवर्सिटी का कायम करना एक फत्कमेन्टल राइट है लेकिन माथ ही दस्त ते ऐसी कोई घर्त नहीं है। इसलिए घलीगढ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट में घगर कोई लेकना रह गया है, तो उससे प्रकलियतों के फन्डामेन्टल राइट, जिसकी जमानत दस्तूर ने धाटिकल 30(1) में दो है, उससे मुसलबानों को महरूम नहीं किया जा सकता जैसा कि मृत्क के घाला घवालत सुप्रीम कोठ के फाजिल घौर काविल जजो वं धपने धपने फैंगले में राय कायम की है, जिसवा जिक मैं पहले कर चुका ह ।

इन कारी बातो को मह्नेजर रखते हुए यह कहा जा सकता है कि दक्तरे-हिन्द के जमरी होने के बक्त धलीगढ मुस्लिम यूनिवर्मिटी एक्ट, 1920 रामज था जिसके जरिए यह हक हासिल था कि धलीगढ मुस्लिम यूनिवर्सिढी कोर्ट के मेम्बरान और धफसरान मारे के सारे मुसलमान होगे ।

इन बालोका जिक मैने इसलिए किया कि अलीगढ मुस्तिम य् विविसिटी को मुसलमान-ए-हिन्द ने कायम किया था। 1968 की सुप्रीम कोट की राय ने तारीख हकीकत से इनकार तो नहीं किया बल्कि कानूनी मुश-गाफिया निकाल कर मसलहत बक्त का साथ दिया, तकाजाए बक्त का नहीं जैसा कि मुल्क के बड़े बास्टीट्यशनल एक्सपर्ट भी एम० एम० सीरवई ने सुप्रीम कोट के फैमले के बारे में कहा है

"The verdict is clearly wrong and productive of great 'public mischief".

मुम्क की फला-बहबूद के लिए घीर सरकारी फलौंसी की महेनबर रखते हुए जकरी है कि सरकार घनीगढ मुस्लिम

यु । वींसटी बिल 1979 में सरकारी एमेडमेट्स ला कर था पालियामेट के जरिये कानून बना कर इस देश की शब्द में बडी प्रक्लियत मुसलमानी के जायज दस्तुरी हक्क बहाल करे। वरना हिन्दुस्तान के सेक्युलर डेमोक्रेटिक चेहरे पर एक बदनुक्या दाग बाकी रह जाएगा । वह इसलिए भी कि मलीगढ मुस्लिम यूक्विसिटी रिट पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैमला 1968 मे किया वह मारी माबिका ग्वायत के खिलाफ है। इसमे यहले धौर बाद भी जब कभी श्रविलयते का कल्चरल भीर एज्केणनज मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने पाया तो ग्रदालते ग्रालिया ने बहुत हो बुमग्रत श्रीर ग्राला स्प्रिट का मुजाहरा करते हुए फैसला दिया। जैमा कि मै पहले बता चुका ह ।

र्वभरमेन साहब, हमारे देश मे 104 युनिवर्सिटिया है। ध्रगर उन मे से एक भलीगढ युनिवर्सिटी को माइनोरिटी करेक्टर दे दिया जाए तो कोई फर्क नही पड सकता है। जब कि इसी युनिवर्मिटी के जरिए मारे इस्लामी ममालिक से बेहतर रिश्ता कायम करने में मदद मिल मकती है। ग्रब यह सारा मामला सरकार की ख्वाहिश, तवज्जो घौर रझान पर मुनस्सिर है। न ही युनिवर्सिटी एक्ट और न दस्तुर मे भ्रमेडमेट गैर-ममिकन है। प्रक्लियत के जायज हक्क की बहाली भौर देख रेख पर ही सरकार की कामयाबी का दारोमदार होता है। इसलिए वैश्वरमेन साहब, मैं भ्रापके जरिए वजीरे तालीम भीर सरकार से सिफारिश करता हं कि वह भ्रमेडमेट ला कर घलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी के माइनोरिटी करेक्टर को बहाल कर दे।

क्रह्ता हू बही बात समझता हूं जिसे हक न भवलए मस्जिद हुं न तहक्रीब का फरजन्द

इन्हीं क्यालात और सिफारिशात के साथ मैं समकी वास-बरम करता हू। شرى حليم الدين احد (كشن كلم): سهها پای مهودے - میں آپ کا شکریہ ادا کرتا میں که آپ نے معجمے علم گوہ مسلم یونهورستی امیندمینت بل پر بولنے کا موقعه دیا ہے ۔ بل کی موجودة شكل اگرچه پورے طور پر مسلبانون کو اطمهفان نهیر دلاتے پهر بهر بہت دد تک وہ قابل قبول ھے - سلم ۱۹۲۰ کے ایکٹ کے ذریعے جو مواعات اور حقوق مسلمانوں کو حاصل تھے وہ سارے کے سارے 1940 اور ۱۹۷۶ نے امیلڈ سیلٹ سے چھیدن لله کلے - یه شریمتی احوا ندهی کے دور سیں کئے گئے تھے جلہوں نے ائے دور اقتدار میں مسلمانوں کی سادة لوحم سے تا جائز فائیدہ اٹھا کر امسلمانوں کا ووق حاصل کونے کے لگے ہار بار فلدا وعدے کئے - ان کے دل کور صحوروے کیا ان کے جوبات کو

سله ۱۹۷۷ کے الیکشن کے مینھمیستو میس جلتا پارٹی نے بھی اقایدت کو جائز حقوق دینے کا وحدہ کیا گھا - محمد خوشی ہے کہ جلتا سوکار نے موجودہ امیلقمیلت بل کی ذریعے مسامانوں کے زخم کو بھرنے کے لئے یہ قدم آئے بوھانے کی کوشھر، کی ھے -

تهيس پہاھاتے -

میں اس بل کی تائید کرتے کے اللہ کچھ سدارشات سوائر کے سامنے

هماری ساته کهیل کهیلا کرتے هیں اور همیں اکثر فرقہ وارانه فساد کی
زد میں لا کر ساری صلاحیت فائع
کرا دیتے هیں - همیں اپلی متحافضت
اور بچاؤ کی تدبیر میں سارا وقت
فائع کر دینا پوتا ہے - کہیں زبان
پر جہاوا ہے اور کہیں مذعبی رسومات
کا - ایسا معلوم پوتا ہے که یہ سب
سوچے سمجھے پلان کے تحت کیا جا
رہا ہے -

هدوستان کے بتوارے کا ذمے دار تہرا کر هارے خالات بدوس پهیائی جانی هے - باوارہ ایک تاریخی حقیمت بن چکا هے - جو لوگ بترارے کے حامی هے وہ چلے گئے - لیکن وہ لوگ جنہوں نے اس دیعن کو مادروطن سمتھیہ کو گلے لگ رکھا سارے تکلیموں کو برداشت کہا دیعن کی د رتی سے کوئے کی کوشش کرنا آج بھارتھہ کرن کوئے کی کوشش کرنا اور ان پر شبه فرنا زخم پر نمک چھوکلا نہیں تو فرنا زخم پر نمک چھوکلا نہیں تو اور کہا ہے - اسی فعلم پہلے ملک اور قرم کی نتصان عطیم پہلے ملک وہ قرم کی نتصان عطیم پہلے

میرا عقیدہ ہے کہ اکثریت اگر تھوڑی رواداری ہے کام لیتی تو سارے فوقے وارائہ تاؤ ختم هو جائے - اور آزادی کے ۳۲ سال بعد مسلم بجائے بوجھے هونے کے اس ملک کے لئے پولجی ٹاہمی هوتے -

[شرى حلهم الدين احمد]

ركهنا جاهدا هور - اور اسيد كرتا ھوں کہ سرکار ٹھلڈ یہ دال سے غور كربكي - اور مدسب قدم الها كو سرکارہ امهدة مهد ع فريعے مسلمانوں کے باقی مطالبات اور خواہشات کو ہورا کرنے کے کوشش کریگی - اس دیش میں لگ بھگ دس کروڑ کی مسلمانوں کی آبادی ہے - میں بھی ان کا ایک فرد هوں - آزادی کے بعد ہے مستانوں کی دلی خواہش ہو رهی هے که ولا اس ملک کی تعمیر اور توقی میں ہواہو کے ساجھے دار بلے رهیں - مجهے یتین هے که مسلمان اس کام کے لگے ایے الدر معدال صلاحيت قابليت اور كريكار وكهلان هين - حكر أنسوس كي بات هے که یه همیشه دے نگے مسائیل مين الجهائم ركه حاتم هين - كه انہیں کچھ سوچئے اور کرنے کا موقعہ ھی نه ملے اور یہ ایلی ساری طاقت اور لهاقت چهوتے موتے مسائیل کے النجهاؤ میں ضائع کو دیئے یہ مجهور هو حالیں - اس طرح زندگو کی درو مين يه پيچه پريا جا ره هين -مهن جب ان مسائهل پر غور کرتا هون تو پایا هون که دیغی مهی کنهه مفاد پرستوں کا گروہ ہے جو آئے دس ايسے واردات کرکے الجماء اور تلاؤ يهدأ كرا كر اينا ألو سيدها ١٠١٠ جاهتم هیی - یه مداد پرست درقه واراثه ذهلیت رکھنے والے لوگ همنه

1۸۷۵ میں علی کوهه میں مسلمانوں کو جدید تعلیم سے روشناس کرانے کے لئے ایک سکول قائم کیا جو ۸ حلوری ١٨٧٧ مهي ماهمدن ايفكلو اورنثل كالبر کے نام سے مشہور ہوا - ایم - اے - او كالم أرو مسلم يوجورستي أيشق کی انتہک کوشھ کے باعث ۱۹۲۰ میں علی گوهه مسلم یونهورسٹی کی بنیاد ہی - اس بونیورسٹی کا مقصد ہ ص کو مسلمانوں کے تعلیمی معیار كو بلك كرنا تها - اس مين آهسته آهسته بهت سے شعبے اسلامک ستبتی کے کھولے کئے - جن مھن اسلامی تعلیمات دی جانے لکیں - اس یودی رستی کے دویعے مسلم فالسفی اسلامک هستری - مسلم لا اور پنچهمی ایشها کی زبان مربی اور فارسی کی تعلیم کا مقاسب بقدوبست کها گیا -يوليورستى كى كلمچرال ريان أودو بنائي گئے - علی کوهه مسلم بونبورسٹلی کی ڈگوی کو قانوای درجه دلانے کے لئے سرکری نظرری ضروری تھی ۔ اس لئے ام - ا _ - او - كليج سوسائٹى اور مسلم یونهورستی ایسوسی ایشن ہے ايدًا اينا سارا اساسه أور نقد ٢٥ لاكه رویه، سرکار بے حوالے کو علی کوهه مسلم یوبهورسالی کی قانونی مقطوری لی - جو ۱۹۲۰ کا ایکٹ کہا جاتا ہے -اب اگر یه کها جائے که سرکاری ایکت کے دریعے ھی علی گو ته مسلم یو بورسٹی أقام هوئي - تو يه ظلم بهيس مو أور

ان تمہیدی باتوں کے بعد میں اب علی کوھہ مسلم یوبیوسٹی امیلڈمیلٹ بل 1979 کی نسبت اللہ دچھہ شارشات طاعر کرنا چاھٹا موں - اور ساتھ ھی کچھہ شفارشات بھی اب کے ذریعے ۔رکار کے ۔۔ رکیا چاھٹا ھوں ۔

على گوهه مسلم يونبورسٽي کي بنیاد کبوں پڑی - اور کیسے پڑی اس کے پھی مدعر دو دیکھذا بہت ضروری هے - به ناریعی حقیقت هے - که هندوسنان کی حکومت و انگریروں ہے مسلمانوں سے چھدفا دیا - انگریروں کی نظر مدن مسلمان دشدن بمهر ایک سمحه جاد لکے سے ۱۸۵۷ کی جنگ آرادی ہے اک میں بیل ڈاللے کا کام دیا انگرر داسم قوم نے باطے مسلمانون کی تهذیب و تمدن ارز تعلیم کو درباد کرنے یہ بلے میے - انگریز ا کویؤی کو سرکاری زبان بغاے کی کوشش کرنے لکے - همارے مالوں نے الكريزي تعليم كي سحمت محالفت کی ۔ ہم آهستہ آهستہ زندگی کے هر شعبے میں پیدھ بود لگے۔ یہ وہ وقت تها حب ساسد احدد خان کی دات گرام_د نے حالات کی بزادت کو سمجها - اور مسامانوں کے پچھوےیں اوو بد حالی کو دور اورے کی سویی -وقت کی نیش پر هابه رکوا - اور

MAY 2, 1979

پارلیملت کے ذریعے ترمیم کیا گیا ھے - کہا جانا ہے کہ قوم اور ملک کے مفاہ میں برمینات کی گئی ھیں -کها علے گوهه مسلم یونیورستی کو مانهورتى ئهريكتر دينا ملك أور قوم کے مقاد میں بہتر اور مفید بہیں هوگا - جهکه علی گوعه مسلم یودهورستی ایک اعلی قومی اداره هے - جاس کسی بھید بھاؤ کے نغدر ھر دات اور ورتے کے لوکے تعلیم پاتے هیں - سله 1940 و سنه 1941 کے امیلڈمیلٹس یے اس یونہورسٹی کے مانہورٹی کیریکٹر کو زد پہنچائی - اور بنیادی حقوق سے مسلما وں کو محدوم کر دیا گیا۔ جو مسلماتوں کے لئے دعلی کفت کا ہامث بنا موا ھے - اس وقت سے آبے تک پارلیمات اور پارلیمات کے باہر مسلمانوں کی طرف ہے مانیوراثی کیریکٹر بحال کرایے ۲ احتجاج جاری ھے - جب +191 کے ابکت کے بہت سارے مواقات واپس کئے جا رہے ھیں تو تومی نقطه نطر سے مانیورٹی کیریکٹر کی بحمال میرے خیال سے ازحد ضروری هے - مانهورتی کمیشن کی شقارش اور راجیه سبها سے بل کی منظوری بھی قابل غور ہے -

همارے دسمور کے مفاد دفعہ ۲۹ اور ۳۰ میں اقلیتوں کے لئے دئے کئے مواعات کے بارے میں همارے ملک کے سہریم کورٹ کے بہت ہے فاضل جمعوں نے اپنا اپنا خیال اور

[غرى حليم الدين احمد] کیا ہے - کیا ہم اور آ*پ اس بات کو* مالنے کے لئے تیار ھیں - که هلدوستان کی آزادی هماری حد و جهد قربالیان اور خون پسبله دہانے کے ملے میں هيين تهين ملي - بلکه برٿهن پارلیملت کے ایکت کے درسے مای ہے -معمولي سمحهم وكهله والا أتسان دهي اسے قبول سین کو سکتا ہے - ملکی فانون کے تحصت هر تعلیمی درسگالا خوالا ولا يراسري هو سيكندن هو يا یونیورستی درجے کا هو سرکاری منظوری کے بغیر چلایا بہیں جا سکتا ہے۔ منظوری دینا سرگار کا فا وئی فرض ہے -اور قائم کردا ایک درد کی دمے داری ھے۔ کسی بھی عدارت ہی بقیاہ رکیدے میں ایک ایک ایدے جمع کرے کی صرورت ہونی ہے ۔ پھر جوزنا پونا ھے - خون پسینہ ایک کرنا ہوتا هے - اور تب حا کر مکان تھار ھوتا ھے - یہ کیسے معکن ہو سکتا ہے کہ ان ساری لوازمات کر بهول کر ریکگلیشن کا آیک جمله بنیاد کا حرف آھو ثابت ھو جائے۔

على گوعه مسلم يونهورسالي كا مانیورٹی کیریکٹر تحال کرنے کے ہارے میں کہا جاتا ہے کہ سہریم کورٹ گا فیصله سرکار کے لگے رکاوٹ ہے - ۲۲ برس کی آزادی کے دوسیان تویب وہ بار دستور مین أميلةمهلت هويّه هين -ایمرجیلسی کے دومیان بھی قانون بغائے گئے - اور سارے قارن کو رائے فیصلہ دیتے واحت ظاہر کہا ہے۔ جو قابل غور ہے۔ مستر سیتھیو اور چادر جوز ججوں نے ادعدآباد سیلت زیبیئر سوسائیتی کے مقدمے میں رائے دیتے ہوئے کہا ہے۔

385

"A plication orrecognition which the educational without Institution establi**s**hed by imparting secular mino ity for education will not effectively serve the purpose for which they were established and cannot be made an instrument of suppression of the rights guaranteed". AIR 1974, S.C. page 1389.

آئے یہ بھی کہا ہے۔

"The fundamental rights cannot be surrenderd or bartered away".

اس مقدمے کے فیصلے میں شبی کہلہ - جبے سپریم کورٹ نے کہا ھے کہ

"Liberal, generous and sympathetic approach is reflected in the Constitution in the matter of preservation of the right of minorities, so far their educational institutions are concerned".

اس کے علاوہ سہریم کورٹ نے 194۷ میں علی گوہہ مسلم یونیورسی کی ریٹ پر رائے دیاتے ہوئے یہ کہا ہے۔

"There is no ban for the Parliament to make law for governance of Aligarh Muslim University as it thinks fit (AIR 1968 S.C. Page 662—para 34).

g19 L. S.-

چهگرمهن صاحب آرتهکل ۲۰ اندر یونهورسی کا قهام گرنا ایک ایدسولهوت رائهته – لهکن ساته هی دستور میں آب کوئی شرط نهیں نوریعے هی قائم هونی چاهئے – جیسا که سهریم کورت نے (establish) که سهریم کورت نے (establish) میں کیا هے اور اس پر جو رائے دی میں کیا هے اور اس پر جو رائے دی میں کیا هے اور اس پر جو رائے دی میں دو ایکسفورق ڈکشلری دیکھنے کے هے – ایکسفورق ڈکشلری دیکھنے کے بعد دد ایستیہائی یہ کا جو معلی پاتے هیں وہ یہ هیں –

"to secure permanent acceptance for (custom, precedent, belief etc.)

اور ایڈمنسٹر کے معلے ہو آکسنورڈ ڈکشنری میں دئے کئے ھ.س وہ یہ ھیں -

To apply (remedies to) contribute to (one's comfort etc).

یه میں اس لئے کیہ رہا ہوں کہ ایسٹیہاہی کا جو انٹرپریٹیشن سپریم کورٹ نے لہا ہے اور وہ نیرو سپنس میں لیا گیا ہے اور اس کو بہت وائیڈ طویقے سے لیٹا چاھئے۔ یہ میں اس لئے دیہ رہا تیا - کیونکہ آرتیکل ۳۰ (۱) میں یونپورسٹی کا تام کونا ایک متذامیئٹل رائیٹ ہے لیکن ساتو ہی دسکور میں ایسی کوئی شرط تیہی ہے اس لئے علی

هوں -

[شرى حاوم الدين احمد] كوهه مسلم يونهورسالي ايكت مين اكر کوئی لیکونا رہ گیا ہے تو اس سے اقلیتوں کے فلڈامیلٹل رائیت جس کی ضانت دستور نے آرٹیکل ۲۰ (1) میں دی ہے - اس سے مسلمانوں کو محصوم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جهسا که ملک کی اعلے عدالت سهریم کورے کے فاقل اور قابل جھوں نے أنها نه فيصاون مون رائه قائم كي ه جس کا ذکر میں پہلے کو چکا

ان ساری باتوں کو مدنظر رکھتے هوئے یہ کہا جا سکتا ہے که دستور هلد نے جاری ہوے کے وقعت علی كوهه مسلم يونهورستي أيكت -197 رائم تها - جس کے ذریعے یہ حق حاصل تها که علی گوهه مسلم یونیورسٹی کے کورے کے صمہران اور افسران سارے کے سارے مسلمان عونکے۔

ان بانوں کا ذکر میں نے اس لگے کہا کہ علی گوہہ مسلم یونورسٹلی کو مسلمانان هند نے قائم کیا تھا۔ 191۷ کی سہریم کورٹ کی رائے نے تاریشی حقیقت سے انکار تو بھیں کها بلکه قانونی موشکامهان نکال کر مصلحت وقت کا ساته دیا - تقاضائے وقمت کا نہیں جیسا کہ ملک کے بجے کانسٹھالموشلل ایکسھرے شری ایس ایم سروئی (sarva i) نے سہریم کورٹ کے فیصلے کے بارے مین کہا جے

University

(Amendt.) Bill

"The verdict is clearly wrong and productive of great public mischief".

ملک کی فلام و بحمود کے لئے اور سرکاری پالیسی کو سد نظر رکھتے ھوئے یہ ضرورہی ہے کہ سرکار علی گوھہ مسام یونورستای بل ۱۹۷۹ مهن سركاري أسهلقملاس لا كو يارلهملت کے ذریعے قانوں بنا کر اس دیس کی سب سے ہوی اقلیت مسلمانوں کے جائز رستوری حقوق بھال کوے ورنه هدوستان کے سهکولر ڈیموکریٹک چهرے پر ایک بدنما داغ باتی وا جائے کا - وہ اس لئے بھی که علی گذهه مسلم یونورستی رف بهتیشن پر سپریم کورے نے جو فیصله ۱۹۹۸ مهی کیا ولا ساری سابقه روآیت کے خلاف ہے - اس سے پہلے اور بعد بهی جب کبهی اقلیت کا کلنچول اور اینچوکیشلل معامله سهریم کورت کے سامنے آیا تو عدالت/ عالمه نے بہت هی اعلے سپرے کا مظاهرا کرتے هوئے فیصله دیا جیسا که میں پہلے بتلا چکا هوں -

جهرمين صاحب همارے ديش مهن ۱۰۴ یونورساتیان هیر، اگر آن میں ہے ایک علی گوهه یونووسائی کو مانیرتی کریکٹر دے دیا جائے تو کوئی فرق نہیں ہو سکتا ہے - جبکہ

اسی یونورسٹی کے آردھے سارے اسلامی ممالک سے بہتر رشتہ قائم کرنے میں مدد مل سکای ھے - اب یہ سارا معاملہ سرکار کی خواهس توجه اور رحجان پر مندصور ہے نہ ھی یونورسٹی ایکٹ اور نہ دستور میں امیلڈمیلٹ کی بحالی اور دیکھ ریکھ پر ھی سرکار کی کامیابی کا داررمدار ھوتا ھے - اس لئے چیرمین صاحب میں آپ کے فریعے وزیر تعلیم اور سرکار سے شفارش کرتا ھوں کہ وہ امیلڈملٹ اور علی کوعه مسلم یونورسٹی کے مائیورٹی کریکٹر کو بہال کر دیں -

کهتا هوں وهی بات سمجهتا هوں جسے حق نه اهل مسجد هوں نه تهذیب کا فرزند

انہی خیالات اور شفارشات کے سابھ۔ میر ایقی بات ختم کرتا ہوں۔ شکویہ

SHRI G. M. BANATWALA (Ponnani): Mr. Chairman, Sir: The Aligarh Muslim University (Amendment) Bill is under discussion. I have moved an amendment to refer the Bill to a Joint Committee of both the Houses, with instructions to report to this House by the last day of the first week of the next session.

The Statement of Aims and Objects appended to the Bill has made several claims. It is however, unfortunate that all these claims are not adequately

reflected in the provisions of the Bill. The Bill also does not concede that the Aligarh Muslim University is a minority institution, as envisaged by Article 30(1) of the Constitution. The Minorities Commission has also not been consulted by the Government before the Bill was introduced in this House.

The Minorties Commission, their letter dated 9th March 1978 specifically requested the Education Minister to give it an opportunity to express its views with respect to the Aligarh Muslim University before any Bill to amend the Act was introduced in the House. It is unfortunate that the Government chose to neglect totally the request of the Minorities Commission. On May 4, 1978, the Education Minister made a statement in the House announcing the decision of the Government to amend the Aligarh Muslim University Act. The Minorities Commission learnt of the next day through the Press. On 5th May, 1978 the Government wrote a letter to the Minorities Commission; but in this letter also, the Government said not a ward about the specific request of the Minorities Commission. This shows how shabbily the Minorities Commission has been treated by the Government. The Minorities Commission has submitted its report. The report, after our repeated demands, has been laid on the Table of the House. This is what the Minorities Commission has observed in their report, at paragraph 6:

"The Commission had expected to be consulted in a matter which is essentially one with which the Commission are concerned, and one in regard to which the Commission had specifically requested an opportunity to make their recommendation to the Government...

. . . "The Commission regrets that they were not so consulted in the preparation of the Bill."

392.

I have raised this point only to ask why was the Government fighting shy to consult the Minority Commission? What was it that they wanted to hide? What was it that they feared from the Minority Commission created as a result of executive order of this very Government?

In fact the Aligarh Muslim University's Art. 30 is translated into reality. The Aligarh Muslim versity represents the hopes and the aspirations of the Muslims in India. It is most unfortunate of course, that the amendment Acts of 1965 and 1972 strangled the Aligarh Muslim versity. The present Bill claims to ameliorate the situation; but the provisions of this Bill do not adequately and substantially satisfy the aspirations of the Muslims. Great were the hopes and high were the expectations of the Muslims from this Janata Party Government, But I am sorry to say that today disappointment and dismay has set in everywhere. In the first place, the Bill does not ensure to the U iver it , as I said, the protection under Article 30, clause 1 of the Constitution as a minority institution.

Now, with respect to the autonomy of the University, while there is some improvement in the Bill, there are basic shortcomings of a very serious nature. Several examples can be cited, but because of the paucity of time, I will restrict myself to a few of the provisions of the Bill. In the first place, it is claimed that the status of the court as the supreme governing body with statute making power has been restored by this Bill. That is the We must understand the nature of the claim. The claim is that the Bill restores the status of the court as a supreme governing body with statute making power. Now, Mr. Chairman I invite the attention of this House to clause 18 which substitutes section 28 of the principal Act. It is very clearly mentioned that the court will have nopower whatsoever to amend or alter
the statutes except with the prior
approval of the visitor, namely, the
President of India. The President of
India, therefore, has arbitrary powers,
and the entire court, therefore, is
helpless in this particular matter. The
claim that has been made in the
statement of objects and reasons is
therefore not truly reflected in the
Bill. The claim is a great farce that
has been created.

Then it must be remembered that the most important change that was made by the Act—I should black Act of 1972-was to replace all the statutes then prevalent with another set of statutes. It is unfortunate that these statutes are retained even by this Bill The Act of 1972, as far as statutes are concerned. threw its net far and wide covering subjects like terms and conditions of services of teachers, terms and conditions of the services of even the temporary teachers, terms and conditions of the services even of those teachers appointed on removal of vacancies. employees, courses of study, maintenance of discipline among students and so on. The black Act of 1972 made statutes respect to all these matters; these statutes are retained by present Bill and the court has no change those statutes to without the prior sanction of the visitor, namely the President of India.

Let us take statute 4(1) which is about the appointment of Pro-Vice-Chancellor; that statute is maintained even by the present Bill. The Pro Vice Chancellor will be apointed by the executive council on the recommendations of the Vice Chancellor. The Vice-Chancellor recommends to the executive council and if the executive council does not like the recommendation of the Vice Chancellor the matter goes to the President and the President may himself appoint the

recommended Pro-Vice Chancellor. Such are the sweeping shortcomings still to be found in the present Bill inspite of some improvement that has been made.

Look at the appointment of the Vice Chancellor. According to Bill the Vice Chancellor will be appointed by the visitor, namely, the President of India, from a panel to be submitted by the court. The court is also not free to submit a panel to its own. The court has to select for its panel people suggested in the panel submitted by the executive council. Look at the composition of the executve council. It is overwhelmingly packed with nominated members and by those representing internal interests, there are hardly 5 members elected by the court on the executive council. Further examples may be cited. Section 12(2) of the principal Act confers arbitrary powers on the visitor. Look at the sweeping nature of the limitation. The court is helpless in establishing special centres, laboratories, specialised research institutions etc. for the furtherance of its objectives without the prior sanction of the visitor, namely, the The court is President of India. subordinate to the visitor. Therefore, prior sanction is necessary even in such matters.

The present amending Bill makes new statutes Nos. 32, 33 and 34. These are provisions for students' unions, for teachers' association, and for other staff association. The provision is most undemocratic in nature. These associations and unions are not allowed to have their own constitution; it will be prescribed by the statutes and these statutes cannot be altered without the prior approval of the visitor. These are the many shortcomings of a sweeping nature that have to be considered by this House.

There is parrot like repetition of untenable, ill-conceived and outmoded arguments. It is argued that

contributions have been received from non-Muslim donors, that the principal of the M.A.O. college was an Englishman, that non-Muslims are also admitted as students and so on. I have dealt at length with this particular point, last time when I moved my own non-official Bill on this matter and I have pointed out that none of these arguments compromise the fact that the university a minority institution under article 30(1) of the Constitution. The donations were given to avowedly minority institutions. The donors would have felt insulted by the present suggestion that their denation deprived the institution of minority character. They really gave the donation so that minority institution may come into existence. Further, surely the employment non-muslim staff cannot be considered as destructive of the minority character of the Aligarh Muslim University. With respect to admissions, Supreme Court in its own opinion in Kerala Education Bill 1977 have already opined that this does not militate against the minority character.

There is one very important point to which I would like the Government to give its thought and this House to give its serious consideration. have been demanding the restoration of the minority character of the Aligarh Muslim University. The definition given, therefore, must be properly changed. But the Government had suggested the definition of the word 'university'. I put this question specifically-what is the purpose of this definition which has been suggested by the Government? What is the purpose of the definition suggested in the Bill by the Government? Does this definition give the University the protection under Article 30(1)? It does not. If it does not, it does not satisfy the Muslims. But further what happens? The hon. Minister has himself clarified that this definition, and the Bill also are in accordance with the opinion of the Supreme Court in Aziz Basha's case. In Basha's case the

[Shri G. M. Banatwala]

Supreme Court held that the University was not established by Muslims-Now, what the Government is doing is simply endorsing the opinion of the Supreme Court. What the Muslims asked was the correction of the situation resulting out of the judgement of the Supreme Court. What we were demanding was that the word 'university' should be so defined that minority character comes up. On the contrary the Government comes forward to endorse the judgement that has been given by the Supreme Court. The definition given by the Government in the Bill explicitly makes a distinction between the Aligarh Muslim University on the M.A.O. College. definition of the Government says that it was the MAO college that was established by the Muslims and not the University That is the definition given by the Government. definition endorses once and for all decision of the Supreme Court and closes all the doors whatever respect to the fate of the University. We asked with great restlessness to change the definition, to change the situation resulting from the decision of the Supreme Court and the Government in complete defiance of all our sentiments have come forward merely to endorse what the Supreme Court has said. What will be the fate? Tomorrow, we will not even be left with the alternative of approaching the Supreme Court to revise decision. Then the Supreme Court will say that the definition has albeen changed and readv definition changed by the Parliament has said that the University is established by the Muslims. That means the opinion of the Supreme Court endorsed by this Parliament closes the door once and for all for us even to approach the court to review its decision. This is a clear deception and great fraud that is being committed upon the Muslims. I ask, if the definition suggested by the Government does not give ug the minority character, then what is

exactly the purpose of changing the definition? If you keep the original definition of the Act of 1920 'University' means Aligarh Muslim University then at least there is no finality of opinion given by this. Parliament. At least the doors will be open for the people to go to the court. However, I say that this Bill and this definition puts the seal finality on all arguments concerning the minority character of the Aligarh Muslim University and says to one and all in its definition, in accordance with the Supreme Court decision, that the university has been established by the Act and the M.A.O. College was established by Muslims., This is only a point I was making. What we want of the Government is to come forward in accordance with all the historical facts to, so change the definition as to give us the minority character, i.e. to give us the protection under article 30(1). I plead with the Government to consider the sentiments of the millions of Muslims of India. I hope the demand, which is a very just demand, will even at this late stage, be conceded by the Government. There are a few improvements in the present Bill. There are, however, serious shortcomings that I have pointed out. It is absolutely necessary that these shortcomings be. removed. I once again appeal to this House and to the hon. Minister tothese things. Governconsider all ment is indeed bound by the decision in Azeez Basha's case, but the House is Supreme and it can effect the changes that it wants, and that exactly the plea that we make before this House. Please accept the amendment to the definition of the word which the Minoritles 'university' Commission has suggested with a view to give us the protection under article 30(1) of the Constitution.

भी कंबर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : सभापति महोदय, मैंने अपने मित्र श्री बनतवाला का भावण बढे ज्यान से सुना और मैं यह भी

जानता हुं कि झलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में मुसलमानों की भावनाएं बहुत उलेजित है, विशेषतः 1965 भीर 72 के संशोधन के बाद यह एक जर्बदस्त माग म्सलमानों में है कि इस का माइनारिटी कैरेक्टर रहना चाहिए भीर इस की माटोनामी भी इस के साथ रहनी चाहिए। मेरी जो म्रप्रोच है वह केवल इस यूनिवर्सिटी के बारे मे नही, बल्कि देश की सभी यूनिवर्सिटीज के बारे में एक समान है। वह बड़ी धनकन्वेंशनल है। मै यह समझता हं कि युनिवर्मिटी जिम उद्देश्य के लिए बनाई जाती है वह उद्देश्य पूरा होना चाहिए न कि कोई युनिवर्सिटी माध्नारिटी की है, कोई मेजारिटी की है, कोई हिन्दू की है, कोई म्सलमान की है। मैं चाहता ह कि यह चीज देश मे 33 साल की श्राजादी के बाद तो खत्म होनी चाहिए ग्रौर जब तक यह खत्म नही होगी यह दुर्भाग्य की बात होगी । यह दुर्भाग्य है ग्राज भीर उस के लिए मै बनतवाला जी को दोषी नहीं ठहराता, हम अपने आप को दोषी ठहराते हैं कि शायद हम इन के मन में जो विश्वास पैदा करना चाहिए यह पैदा नही कर पाए। इसके लिए हम दोषी है। खास तौर से मेजारिटी कम्युनिटी दोषी है। मैंने श्री बनतवाला साहब की स्पीच को सुना मान लीजिए कि मुस्लिम करैक्टर को मान लिया जाता है तो क्या लाभ होगा ? इससे विशेष लाभ क्या होगा ? मेरे इलाके में करीब 40-50 हजार मुसलमान बोट हैं।

भी बसन्त साठे: भौर कुछ नहीं होगा तो विश्वास पैदा होगा ।

श्री कंवर लाल गुप्त : यहां दिल्ली में मेरे इलाके में करीब 50 हजार मुस्लिम बोट है। मैं दिल्ली में पैदा हुआ हूं। मैंने देखा है मुसलमानों की बस्तियों में, पहले अपने बचपन मैं जब स्कूल में पढ़ता था तब धीर आज भी जब जाता हूं तो उनके रहन

सहन का तरीका, उनकी द्यार्थिक द्यवस्था, उनकी एकोनामिक कंडीशंस, प्रायः मोटे तौर पर एक जैसी ही है। एक घर में 40 साल पहले भगर तीन व्यक्ति रहते थे तो भाज 8-10 हो गए हैं लेकिन उनका घर वैसा ही है। अगर बात लोहा कृटता था तो उसका लड़का भी लोडा कृटता है भौर उसके लड़के का लड़का भी लोहा कूट रहा है। मुझे बनतवाला साहब सें इस बात की शिकायत है कि मुसलमानों की जो लीडरशिप है उसने भ्रभी तक सेंटीमेंटल सवाल तो उठाए हैं लेकिन भार्थिक सवाल नही उठाए है । उनकी हालत सुधारने के लिए, उनके स्टैंडंड को ऊचा करने के लिए कोई मवाल नहीं उठाए है। मेरे पास डा० खुसरो का भाषण है, मैने उनसे व्यक्ति गत बात भी की, उनसे पूछा कि मलीगढ युनिवर्सिटी ने भभी तक कितने म्राई० ए० एस० म्राफिसर पैदा किए, कितने म्राई० पी० एस० म्राफिसर पैदा किए मौर सेन्ट्रल सर्विसेज मे वहां के कितने लोग हैं। म्रापको जानकर माश्चर्य होगा कि 1975-76 तक सारी यूनिवर्सिटी से एक भी व्यक्ति सेन्ट्रल सर्विसेज में नहीं गया । ग्रभी पिछले एक दो साल से कुछ शुरुब्रात हुई है। हम शिकायत करते है कि मुसलमान बड़ी जगहों पर नहीं है लेकिन क्यों नहीं है ? जब तक म्राप मलीगढ़ यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड ऊंचा नही करेंगे, उसके लिए कोशिश नहीं करेंगे वहां पर ग्रच्छा स्टाफ नहीं होगा, ग्रच्छी टीचिंग नही होगी तब तक केवल मुस्लिम करैक्टर बनाने से कोई लाभ नही होगा।

एक बात मैं मानता हूं कि मुसलमानों की करूबर, उनका इतिहास बना रहना चाहिए भीर उसमें हमारी सरकार को भी मदद करनी चाहिए ? मैं उन लोगों में से हूं जो यह समझते हैं कि दोनों चीजों को मलग मलग करना चाहिए । भगर कोई मुस्लिम इंस्टीट्यूबन है जोकि मुस्लिम करूबर के बारे में भ्रष्ट्यम कराती है जैसा कि शायद भगरोहा में है, देवबन्द भीर दूसरी जगहों पर हैं हो

400

[श्र. कथर लाल गुप्ता]

उनको सरकार प्राफिशियली मदद करे।

मैं इस बात का स्वागत करता हूं। मैं चाहूंगा

कि मुसलमानों की जो कल्चर है उसकी
स्टडी मुसलमानों को भीर दूसरे लोगों को भी
करानी चाहिए कि हमारे देश में क्या हुआ
लेकिन धगर उस चीज को प्राप यूनिवर्सिटी

में लायेंगे तो वह उचित नहीं होगा। क्या जो
हमेशा धलय प्रलग रहे वे धलय प्रलग ही
रहेंगे ? क्या हम मेनस्ट्रीम में नहीं घा सकते ?
हम कब तक प्रलग प्रलग रहेंगे ?

म्रापने भ्रार्टिकिल 30 की बात कही। ठीक है, जब देश का बटवारा हुमा तो लाखों लोग इधर से गए और लाखो लोग उधर से भाए । उस समय एक खास परिस्थित थी, एक खास सिच्युएशन थी जिसमे आर्टिकल 30 बनी । शायद हमारे विधान निर्माता इसको बनाने पर मजबूर हुए कि एजुकेशन के मामले में भी सेफगार्डस रहनी चाहिए। पें समझता हं कि मान 32, 33 साल के बाद क समय भाया है कि हम उस भाटींकिल के बारे में रिब्यू करें भीर खास तौर से मुझे भीर चीजों में एतराज नहीं है लेकिन एजुकेशन में कम से कम यह जरूर होना चाहिए एज्केशन के मामले में हिन्दू, मुस्सिम, ईसा ई पादरी वगैरह जैसी चीज नही होनी चाहिए। वह सब के लिए समान होनी चाहिए। वैसे द्माप कल्चर के बारे में कुछ सुरक्षा रखिये, धर्म के बारे में रिखये भीर दूसरी किसी चीज के बारे में रिखये भीर उस के लिए सरकार से मदद चाहिए तो मैं उन लोगों में हूं जो यह चाहते हैं कि उनको मदद दी जाए । मेरी निगाह मे एक सच्चा मुसलमान बहुत भ्रच्छा है अगर वह नमाज पढ़ता हैं और मस्जिद में जाता है, उसकी बजाय जो भगवान को नहीं मानता । मैं चाहुंगा कि कोई मुसलमान कीई ईसाई, कोई हिन्दू, जो भगवान को मानता है, वह गिरजापर में जाए, भगर वह जाना बाहता है, वह मस्जिद में नमाख पढ़ने के लिए जाए, बहु मी दर में जाए। ... (अवकान)
मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर हिन्दू है, तो
बहु मन्दिर में जाए, मुसलमान है तो बहु
मस्जिद में जाए और ईसाई है तो गिरजावर
में जाए क्योंकि वहां जाकर उस को अपने
धर्म के बारे में जान होता है। मैं इस को बुरा
नही मानता।... (व्यवकान) ... इसमें
आप का मेरे से मतमेद हो सकता है लेकिन मैं
इस को ठीक समझता ह।

श्री बसन्त साठे (ग्रलोला): कितने पाखंडी वे लोग हैं, मंदिर मे जा कर सारे पाप करते हैं।

श्रीकंबर भाभ गुप्त: सारे पाखंडी नहीं होते हैं, सारे बुरे नहीं होते हैं, अच्छे भी होते हैं। मेरा कहना यह हैं कि कोई मुस्लिम जो नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है या मस्जिद में जाता है। मेरी निगाह में वह 10 गुना ज्यादा भ्रष्ठा है उस व्यक्ति से जो भगवान को मानता ही नही । इसलिए मैंने बड बात कही कि अगर आप कल्चर के लिए सेफगार्ड करें, तो उस को सेफगार्ड करने के लिए सरकार को पूरी मदद करनी चाहिए। उस के लिए किताबों की छपाई है या वच्चों के रहन-सहन को ठीक करने की बात है तो वह होनी चाहिए। मैं तो यहां तक इस के लिए तैयार हं कि मस्लिम लीडरशिप डेवेलप होकर ग्राए भीर यह मांग करे कि हमारी एकोनामिक कंडीशन्स ठीक होनी चाहिए लेकिन माज वह हो नही रहा है। माज 32 साल में, मैं अपनी कांस्टीट्येन्सी में यह देख पहा हं कि जिस का बाप लोहा कूटता था, वह भी खुद लोहा कुटता है और उस का सड़का भी लोहा कूटता है। इसके लिए मैं कुछ कहंगा तो मेरी बात एक खास बैकग्राउन्ड में समझी जाएगी लेकिन मैं यह चाहूंगा कि मुस्लिम लीडरिशप डेबेलप हो चाहे इधर की हो भीर वाहे उधर की हो, वे भाषिक सवालों को लेकर इकटठा हो भीर उसकी ठीक करें। घगर वे ऐसा करते हैं, तो बह

सारी समस्या ठीक हो जाएगी । घलीगढ़ के खुसद साहब का भाषण मेरे पास है। खुसद साहब ने क्या कहा है, यह मैं घापको पढ़ कर सुनाता है:

"Dr. Kuzro pointed out that the University did not believe in making any special reservations for the Muslims, either in admission or appointment, or in its highest executive body of 210 members, the Court. There have been suggestions of reserving seats for Muslims in the Court, but so far we have resisted this"

ये डाक्टर खुसरु है, जो म्रलीगढ़ यूनीवर्सिटी के वाइस चान्सलर है। वे मागे यह कहते हैं:

"The University, Dr. Kuzro admitted had been hampered by a minority complex under which the students never become competitive or worked themselves up to a levels of excellence to which they were capable. However, attitude of diffidence, he maintained, was fast disappearing, particularly after the introduction of the competitive training course for examinations. Initially, the number of AMU students getting into Central Services ran from 0 to 1 per cent."

This is the position.

प्रध्यक्ष महोवय मेरे कहने का मतलब यह है कि

33 साल के बाद भी भाज यह मसला हमारे
सामने है। हमारी जो लीडरिशप है भीर
उधर को भाई बैठे हैं सभी से में हाथ जोड़
कर प्रायंना करना चाहता हूं कि अगर जब
तक भाप सही मायनों में मुसलमानों की
इकोनोमिक कंडीशंस, एजूकेशनक कंडीशंस
और सोशल कंडीशंस को नहीं सुधारेंगे तब
तक मुसलमान भाई वैसे के वैसे ही रहने वाले
हैं। हम ने सीस साम तक उन्हें नारे देकर रखा

है। मैं पूछना चाहता हूं कि मगर इस यूनिवसिटी का माइनोरिटी करेक्टर बन जाएगा तो क्या बहां सब ठीक हो जाएगा । भापने यह कैसे साच लिया कि प्रगर वहां मुसलमान होगा तो वह चाहेगा कि मुसलमान ठीक हो और हिन्द्ओं के जाते ही वह ठीक नहीं रहेगा। सब त ह के लोग होने है। ग्रापको इस तरह से नही सोचना चाहिए । ग्राज 33 साल के बाद हम एक हैं। मुसलमान यहां किसी की दया पर नहीं है। सभापति महोदय, मुझे याद है, जब 1967 के चुनाव हो रहे थे, मैं उस समय जनसंघ मे था तो हमारे देश के एक गणमाण्य नेता प्रधान मंत्री जी ने उस समय मुसलमानौ से कहा या कि ग्रगर जनसंघ यहां पर ग्रा जाएगा तो तुम्हारी मस्जिदें गिरा वी जायेंगी तुम्हें खत्म कर दिया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि क्या मुसलमान किसी एक पार्टी या किसी एक व्यक्ति की दया पर यहां रहेंगे ? नहीं । यहां पर मुसलमान हैं भ्रोम देघर घोन राइट। जैसे मै हूं वैसे भाप है। हम में कोई फर्क नहीं है। धगर मैं यह कह कि जनता पार्टी रहेगी तो मुसलमान रहेंगे या कांग्रेस पार्टी रहेगी तो मुसलमान रहेंगे तो यह बेवक्फी की बात होगी। प्रगर कोई यह कहता है तो गलन कहता है । मैं समझता हुं कि इस तरह से मुसलमानों से कहना गलत होगा ।

श्री सौगत राय (बैरकपुर): भ्राप इण्डियनाइज्ड करने की बात कहते हैं।

श्री कंवर लाल गुप्त : झाज इण्डियनाइण्ड सारे हिन्दुस्तानियों को करने की जरूरत है।

We have just heard Mr. Saugata Roy. He has read in the press that about 15 military officers of different ranks were indulging in espionage for Pakistan, and I think majority of them are Hindus. There is hardly any Muslim. So you have to Indianise all the Indians, not only you and me or Mr. Banatwalla, but I think all the three.

403

भी सौगत राय: क्या शाखामा मे ले जाकर करेंगे?

श्री कंबर लाल गुप्त : ऐसी जो शाखाएं हैं वह बहुत अच्छा तरीका है। अगर आप भी भा जाएं तो देखेंगे कि वे कैसी है। मेन स्ट्रीम में लाने की बात को आप छोड़ दें। किसी फिरहेकी भावनाओं को उभाड कर बक्नी कुछ फा⊣दा उठाया जा सकता है लेकिन मै नहीं समझता हं कि इस तरीके से हम उस फिरके की कोई सविस करने है, कोई खिदमत नहीं करते हैं। मुसलमानों को नशीली चीज लाकर जो धाप उनको नशे मे रखते है उसकी जरूरत नही है। मुसलमानों एज केशन, उनको को चाहियें नौकरिया, चाहिये कि उनकी इकोनोमिक कडिशन सूबरे। श्रगर व १ नान बनाने का काम करता है या बिस्तिट बनाता है तो उसका लडका बड़ा भ्रादमी क्यों नही बन सकता है? दस बीस मुसलमानो को मिनिस्टर या पार्लि । मैंट का मैर्यर बनाने से मुसलमानों की प्रावलैम साल्य नहा हो सकती है। तीस साल तक यही होता रहा है। थोडे से लोगों को पकड कर धार उनको मंत्री बना कर हम धारो ा कर उन-को घुमाते रहे है। इस तरह की बात से कुछ होने वाला नहा है। हम को जड को पकडना चाहिये, नीचे से काम शुरू होना चाहिये ।

मैं प्रापकी भावनाओं की कद्र करना हुं। में निर्फ युनिवर्सिटी के बारे में नहा बल्कि सभी के बारे में कहता हूं। जहां तक कल्चर का सवाल है मुसलमानों की कल्चर को धार्ग बढ़ाने के लिए जैसे देवबन्द हैं उनको सरकार को मलग में ग्राट देनी चाहिये, जितनी दे रही है उससे कई गुना प्रधिक देनी चाहिये। ऐसा किया गया तो मुझे खुशी ही होगी। इस यूनिवर्सिटी भीर बनारस यूनिवर्सिटी से नामों को हटा कर ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि वहां प्रच्छी तालीम विद्यार्थियों को मिले, कम्पीटीशंख मैं वे लोग झाएं और कामबाब हों। इस तरह की व्यवस्था भ्रापको करनी चाहिए।

University

(Amendt.) Bill

इन शब्दों के साथ जो बिल है उसका मै पूरी तरह से समर्थन करता ह।

श्रीमती मोहसिना किववई (ग्राजम-गढ) ग्रापकी मशकूर हू कि ग्रापने मुझे मौका दिया है। ग्रलीगढ मुस्लिम युनिव-सिटी मुस्लिम कम्युनिटी जो हिन्दुस्तान मे बसती है उसका एक सरमाया है। ग्रपनी ' मानदार रवायात के साथ ग्रपने पानदार तमहन के साथ वह ग्राज भी नैशनल सर्विस ग्रजाम दे रही है। उसने बड़े बड़े स्कालर, साइटिस्टम भ्रौर हिस्टोरियज पैदा किए है जिन्होने हिन्दू-स्तान मे ही नहीं बल्कि पूरी दूनिया में नाम कमाया है।

इस यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत कुछ यहा कहा जा चुका है। मैं उस मे जाना नही चाहती ह। मैं चन्द चीजे ही ग्रापकी खिदमत मे पेश करना चाहती हु। उस वक्त मुल्लिम कौम काजो हाल हो रहा था, जो एक निराशा का वातावरण था, खुददारी खत्म होती जा रही थी, डिमारेलाइजेशन धा रहा था उसकी देखते हुए सर सैयद ग्रहमद खा को खयाल भाया भौर मुस्लिम कौम हमेशा उनकी ममनून रहेगी, तो दुंनया ममनून रहेगी और उनका नाम रहेगा कि न सिर्फ इतनी बड़ी चीज इस मृत्क को बल्क दुनिया को उन्होंने दी भीर इस यूनिवर्सिटी को कायम किया। दुनिया के तमाम हिस्सों से यहां लड़के पढ़ने के लिए बाते हैं। मर सैयद बहुबमद खा ने एक ऐसा सरमाया छोडा है जिस ने बहुत कुछ इस कौम को दिया है। अब उन्होंने इस यूनिवर्सिटी के बारे में सोचा था तो उनके दिमांग में यही चीज यी कि मुस्सिम कीम के बच्चों की भी पढ़ने लिखने और खास तौर से हायर एजुकेशन

[अ.मनः मोहासना किदवाई]

का मौका मिलना चाहिए ताकि वे भी मुरु की खिदमत कर सके भीर प्रपनी इक्तसादी हालत को सुधार सके। जिस वक्त उन्होंने इस यूनिवर्सिटी की बात की उस वक्त मुसल-मान कौम मे भी उनके खिलाफ एक जज़बा उभरा। चूकि उस वक्त प्रयोजो के खिलाफ एक जबदंस्त नफरत का जज़बा मु:लमानों में था इसलिए लोगों ने कहना गुरू कर दिया कि सर सैयद घ्रहमद खा मुस्लम कौम को ला जहब कौम बना रहे है, उसको घ्रपने दीन से बे बहरा कर रहे है घ्रयेजी तालीम दे कर घोर मुल्क के नौजवानों को बरबाद करने जा रहे है लेकि: उन्होने बडे हौसले घीर हिम्मत के साथ सारी वात सही और यह डगकेबल चली।

एजुकेशन मिनिस्टर की स्पीच को सून कर मुझे बड़ा ताज्जुब ग्रीर श्रफसोम हुग्रा जब उन्होने एक दलील यह दी जोकि बड़ी बच-काना, बड़ी चाइल्डिश थी कि पहला ग्रेजएट जो इस युनिवर्सिटी से निकला वह नान-मुस्लिम था। वह बात उन्होने बड़े फछा के साथ कही है। यह कोई दलील नहीं थी जोकि मुस्लिम कारेक्टर के खिलाफ पेश की जा सकती हो। यह तो फब्र की बात-है इस युनिवर्सिटी के लिए कि वह नान-मस्लिम था, खशी की बात है। ग्राज भी वहां चालीस परसेंट के करीब तालिब इल्म नान मस्लिम हैं। टीचर्स भी वहा नान-मुस्लिम हैं। यह तो वहां के करेक्टर की बात हुई। इस युनिवर्सिटी को कायम करने का बुनियादी मक्सद क्या था। इसको मुसलमानों के जरिए एस्टैबलिश किया गया भीर उनके जरिए यह एडमिनिस्टर की जा रही है, मैनेज की जा रही है। उसका करेक्टर कायम रहना चाहिए। मुझे ताज्जुब हुआ यह सुन कर जब उन्होंने अपनी स्पीच में आखिर में यह कहा:

"I was taking up the very important question concerning the

character of the University. It is said that the minority character should be restored. Now we are trying to understand what is meant. by the minority character."

16.00 hrs.

बापने जिस दक्त बपने 1977 के मैनिर्फरटों में रखा था कि माइनोरिटी करेक्टर बहाल करेंगे, माफ के जिए एजू के कन मिनिस्टर साहब, बापको 'उस वक्त इसके मायने नहीं मालूम थे कि माइनोरिटी करेक्टर का मतस्ब क्या होता है ? जो पोलिटिक ल पार्टी बपने मैनिर्फस्टों में रखें कि हम माइनोरिटी करेक्टर बहाल करेंगे झौर झाज झाप झपन तकरीर में कह रहे हैं कि हम देख रहे हैं, कि माइनीरिटी करेक्टर का मतस्ब क्या होता है।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र यहकोई माइ-नोग्टी करेक्टरका सवाल नही है।

श्रीमती मोहसिना किदवई : ग्रापने बारबार यही वहा। जब मै म्राज्मगढ मे इलैक्शन लड रही थी तो ग्रापके सदर साहक वहा गये. प्राप उनकी उस वक्त की स्पीच निकाल कर देख ली िए, उनसे वहा सबास किया गया कि आपने माइनोिटी वरंबटर की बात ग्रपने मैंनिफेस्टो में की है कि यह ग्राप बहाल करने जा रहे है तो कब बहाल करने जा रहे है। ग्रलीगढ़ मुस्लिम युनिवरिटी काबिल कब इन्ट्रोड्यूस करने जारहे है? उन्होने कहा कि हम जाते ही, जैसे कि सैशन मभी हो रहा है हम जाते ह[ं]। इसे इ∗टो-ड्युस करने जारहे है। उन्हेंने वहा कि हम जाते ही इसे इट्रोड्य्सकरेंगे। ग्राप उस वक्त का प्रोसोडिंग्ज निकलवाकर देखिए कि इली-क्शन के बं च में वह बिल यहां इन्ट्रोड्युस हका था. महज इसलिए कि ग्राजमगढ़ का इलैक्शन जंत लिया जाये, लेकिन, इतफाक से आपकी बदर्किस्मर्तः भौर हमारी खशकिस्मर्त , उसमें अनता ने ग्रापके खिलाफ फैसला किया।

[आमर्तः मोहसिना किदवाई]

भाज भाष उस माइनीरिट करैक्टर का मतलब समझना चाहते ने कि उसका मतलब गुप्ता होता ज तकरर मे कहा कि म्रापको राय है। धाप यह कह सकते है कि हमने क्यो मही किया। हमने जो गलती की, उसको ध्राप भी दोहरायेगे जरूर, ऐसा लगता है। मैं कहना चाहता हू कि उस बक्त क वजारे-म्राजन के नाथ कछ ऐसे नादान दोस्त मीर ना-समझ लोग थे कि जिन्होने करोडो जोगो के जजबात का एहमाम नही किया और म्राज उसः का खिमियाजा हम भगत रहे है भीर शायद श्राप भी नगतेगे, ऐसा मैं समझती ह। मैं उसवक्त भ चाहन थ भीर भ्राज व कहना चहतः ह कि कुछ लोगा ने प्रपने जाती मफाद भीर जात। रजिश के लिए हसती-खेलत एक ऐस इस्टोटयशन को खत्म करने की कोशिंगक जो भ्राजभ मग्बलन्द होकर ध्रपन दास्तान बयान कर रह है और धारो भ्रपने मुनतकबिल के ख्वाब देख रह है।

्र मैं ने ग्प्ताजः कतकरीर बडेगौर से स्ना, इसमे मजहब का सवाल क्या उठता है? इममें कही यह नहीं है कि इस यनिवर्सिट। कादरवाजादूसरों के लिगुबन्द है। ग्राप एक तरफ बात कर रहे हैं कि हमने ब्राटोनामा देवा हमने पुनिवसिट क बाजादा बहाल कर दो भ्रौर जो सुप्राम गर्वनिग बाड जिसका ग्राप कोर्ट कहते है उसका ग्रापने ऐसे बाध कर रखा है कि नो। मनेसन के लिए एग्ज क्युटिव कमेट बनायें उसके जिये भ्राप कोर्टके मेम्बर को लायेंगे। उसके मेम्बर को यह हक नहीं है कि वहा अपने बाइस चासलर कः पैनल भेज सके। मैं आरप से पूछन चाहत हु कि द्यापने जो मेन स्ट्रोम कः बात का। यूनिवर्सिटी कोर्ट को जब अधितयार था अपने पैनल भेजने का उसमे चाहे जिमाउद्दान साहब हो, जाकिर हुसैन साहब हो, प् कर्नल बकार हुसैन जेवा हो या 🗻 लीयावर जंग हो भीर चाहे बदकहीन

तैयबजी हो, उसमे कौनसा ऐसा बाइस चांसलर थाओं मेन स्ट्रीम की बात नहीं था? कौनसा वाइस चासलर था जो मजहबी फिरकेबारियत को हवादेताथा? जितने भा मैंने नाम गिनाये है. सब का धपन धह-नित थी उनक हैसियत थी। उन्होने इस मल्क मे नहीं बल्कि दूसरे मुल्को में भी अपना नाम कमाया है। तो कोर्ट ने इतनी जिम्मेदारी के साथ ग्रपन जिम्मेदारी की समझते हुए पैनल भेजा वि उन्हाने मुल्व के मफाद को सामने रखा ग्रीर ऐसे लोगो को चना जिन पर भ्राप शक नहः कर सकता हैं अगली नहीं उठा सकते हैं। वह लोग वहा के वाइस चामलर हुए। भ्राज उसो कोर्टको यह भ्रस्तियार नही है कि पैनल भेज सके। यह ग्रस्थितयार है कि 5 का पैनल जो विजट र के पास श्रायेगा, उसमे 2 के नाम को डिल ट कर सकता है, कह सक्ताहै कि इस न्ही लेगे। आज आप बात करते है कि हमने 72 के बिल मे भी जो **ज** जे नहीं थी, वह इस में वरदा है किएव धान-रेरी ट्रेजरार होगा जिसको एग्ज क्यटिव चने-गो, लेक्नि जो ऐकाउन्ट्स हागे वह एक भाडिट रिपोर्ट के साथ पालियामेट के सामने रखे जायेगे। फाइन्नेस माफिसर का उस पर कोई ग्रस्टितयार नही है। यह सार। चीजे क्सि किस्म की है। श्रापने जो भी नारा दिया, श्राज दो साल श्रापक सरकार को ग्राये हुए हो गये, घाप हमेशायह कहते घ्राये कि माइनौरिट करैक्टर हम बहाल करेगज्ञ। पार्की चाहे इनकी हों या मिनिस्टर हो, उनकी स्पोचिख को निकलवा कर देखिए, उन्होंने हमेशा यह बात कही। भीर भाज मिनिस्टर साहब यह बिल लेकर आये है कि हम माइनारिटी कैरेक्टर नहीं दे सकते हैं। उन्होंने तो इस यूनिवर्सिटी के डेमोफेटिक के रेक्टर तक को छीन लिया है। द्याज उसकी हैसियत क्या रहेगी। क्या मुस्लिम युनिवर्सिटी सिर्फ़ाएक कागजी नाम रहेगा। युनिवर्सिटीय मेसे एक युनिवर्सिटी माइनारिटा

के नाम से वाबस्ता हो जाये, तो क्या आफ़त या कथामत आ जायेगी ?

उत्तर प्रदेश की तकरीब र सब यूनिवसिटीज भ्राज बन्द हैं। कही कोई पढाई नहीं हो रही है। बी० ए० के रिजल्ट्स अभी तक नहीं भाये है और नये एडमिशन भी नही हो रहे है। लेकिन उत्तेर प्रदेश मे अलीगढ की सैंट्रल य निवसिटी ऐसी है, जहा डिसिंग्लिन काथम है, सही तरीके से पढ़ाई भी हो रही है, सेशन्ज भी हो रहे है श्रीर काई परेशाना या दिवनत की बात नहीं है। मैं समझता हू कि इस यूनिवर्सिटी के मामले मे मञ्हब का नाम बीच मे नहीं लाना चाहिए। ग्रान वल मेम्बर कहते है कि मुस्लिम कल्चर, तहर्जाव ग्रीर तमहून रहना चाहिए । गुप्ता जा माफ करे, यह कल्चर, तहर्जाब और तमहून आज भा हिन्दुस्तान मे नुमाया है, आज भा उनका एक हास्यत है, लाग उसका जानते है, देखते है और मानते है।

पता नहीं, खुसरा साहव ने कहा से उनका यह इत्तिला दे दा है कि अलीगढ़ यूनिवर्मिटा के लड़ के 1976-77 से पहले आई० ए० एस० आर आई० एफ० एस० वर्ग रह म नहीं आते से। बह इस यूनिवर्मिटा का पिछली हिस्ट्रे। उठा कर देखे—अलागढ़ यूनिवर्मिटा के लड़ के बराबर आई० ए० एस० और फारंन सर्विस में आते रहे हैं। पिछले साल से पिछले साल वहा के एक लड़ के न आई० एफ० एस० से टाप किया था। वहा क लड़ क बड़े-बड़े इजं।नियं डाक्ट जं, साइटिस्ट्स और स्काल जं बने हैं। वहा क महदा हसन साहब केन डिखा जिल्ल क टाप क डाक्टर है, जा अपना साना नहीं रखते है, दूसरे मुलका से लाग उनसे शिक्षा लेन क लिए आत ह।

म बार-बार दरस्वास्त करूग। कि इस युनिवसिटी के माइनारिट। ईरेक्टर की बहाल

किया जाये। धव सारी पावर सैंद्रल गवर्नमेट को दे दी गई है, चाहे वह विजिटर ने जरियें हो, बाइस-चासलर के जरिये हो और चाहे एक्सीक्यूटिव कमेटी के जरिबे हो। 200 के करीब म्बर होंगे, जिनमे कुल 28 मुसलमान होगे। 1972 के एक्ट के मुताबिक एक्सी-क्यूटिव कमेटी मे श्रोल्ड बायज की तादाद 15 थी, लेकिन इस बिल में उसको 10 कर दिया गया है--- 5 घटा दिये गये है। उस मे इतने नामी नेशन्या किये जायेगे कि वह ज्यादातर एक नासीनेटिड बाडी रहेगी, कहने ने लिए चद इलैंक्टिड मेम्बरान होगे। सरकार जो भी चाहेगी, वह करा सन्गी। सरकार से मेरा मतलब जनता पार्टी कः सरकार से नहीं है। ग्राज जनता पार्टी का सरकार है, कल कोई दूसरी सरकार आ जायेगी, और ग्रगर गुप्ता जा क सरकार थ्रा जायेगी, तो हम तो बेमीत मर जायेगे (ध्यवधान)

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : श्राज भी हमार गवनंसट है।

खुदा के लिए इस यूनिवर्सिट। को दूसरे लोगा के रहमा करम पर न डालिये। उसका भाटोनामः को बरकरार रिखये भौर उसका भाजादः को बहाल का जिए। में दाबे क साथ कह सकता हूं कि यह यूनिवर्सिट। कमा भा किसः कम्युनल लाइन पर नहीं चलता है। हिन्दू, मुस्लिम, सिख भीर ईसाई जिस तरह बहा रहते हैं, बैसा माहाल किसः मारेखांडे शल यूनिवर्सिट। में नहीं रहा है। में भापको भी दावत देना चाहता हूं कि भाप बहा जाकर देखें।

[श्रीमता नोहसिना किदबाई]

मिनिस्टर साहब ने न बेग कमेटी का नजिकरा किया है भीर न खुसरो कमेटी का तजिकरा किया है, जिन्होने पूरी तरह से रीकमेड किया है कि कौन कौन सा बाते इसमे रहनी चाहिए भीर कौन कौन सी बाते निकाल देनी चाहिए। मझे ग्रफसोस है कि मिनिस्टर साहब ने सिर्फ माइनोरिटीज कमीशन का तज्जिका किया है, लेकिन बेग कमेटी भीर खुनरा कमेटी की रीकमेडेशन्ज का कोई तज़िकरा नहीं किया है। मै पूछना चाहती हु कि ग्राखिर उन्होने बेग कमेटी ग्रीर खसरो कमेटी की रीकमेडेशन्त को क्यो नही माना, जिन्हे खास तौर से इमके लिए बिठाया गया था। ऐसी कौन मी वजह थी कि वह सिर्फ माइनारिटीज कमीणन की रीकमेडेशन्त्र तक रह गये ग्रीर उन्होने बेग कमेटी की सिकारिश को मेनशन तक नही किया । मै भ्रापको पढ कर सुनाना चाहती ह कि बेग कमेटी ने क्या कहा है। उसने कहा है

"that, notwithstanding any judgement, decree or order of any court or tribunal to the contrary, the Aligarh Muslim University shall be deemed to have been established by the Muslim minority of India as an educational institution of its choice and shall be administered and managed as provided for in articles 29 and 30 of the Constitution or the University be defined as a University established by the Muslims of India"

इसी तरह की रेकमेडेशन खुसरो कमेटी में भी की है। लेकिन किसी भी चीज का क्षंज्ञिकिंग मिनिस्टर साहब ने नही किया है। जितना पहले हमने उस बिल में दिया था 72 में उससे भी कुछ चीजों को निकाल कर खारम कर दिया। नतीजा यह है कि सिर्फ कानूनी पहलुओं में उलझा कर रख दिया।

सुप्रीम कोर्ट का हवाला भ्राप देते है। सुप्रीम कोर्ट का हवाला कोई माने नही रखता है इसलिए कि पालियामेट को ग्रस्तियार है, उसका यह हक है कि वह जब चाहे कास्टी-च्युशव को बदल सकता है। ग्रगर ग्राप दिल से यह लाना चाहते है, घ्रापके जबबात मे सच्चाई है ग्रीर ग्रापने जो इस मुल्क की माइनारिटी से वायदा किया था माइनारिटी कैरेक्टर का. धगर धाप वाकई उस का लाना चाहते है तो मैं मानती ह कि ग्राप की राह में कोई रोड़ा ग्रटकने वाला नही है ग्रीर ग्राप कास्टीच्युशन ध्रमेड करके इस चीज का माइनोरिटी को वापिस दे सकते है। इसमे कोई कानुनी पहलु की बात नही हो सकती है। इसमे मिर्फ जो एक जजबानी लगाव है करोडो मुमलमानो का, इम युनिवर्सिटी से, उसकी मैं बात करती हु भीर मैं समझनी हू कि यह भ्रकमरियत की एक फराखदिली होगी, बडप्पन होगा कि वह भ्रक्तियत की एन इस्टीच्युशन को उसका माइनारिटी कॅरेक्टर बहाल करके श्रपने पर भी भरोशा पैदा कराए। ग्रापन जो बादा किया था उसे पूरा करे वरना न ध्राप के बादे की कोई बकत हैन कोई इज्जत है भ्रौरन काई उस के ऊक्टमरोसा करत, है कि ग्राण्का वादे करने है क्योंकि म्राज तक मैनि-फेस्टो काएक भी बादा ग्रापने पूरा नही किया है। तो भाज मैं भापसे कहना चाहती ह कि इन तमाम चोजो को छोडिए, कान्नी पहलू, मेन-स्ट्रीम इन सब चीजो को छोड कर एक श्रखलाकी पहलू से, सामाजिक पहलू से भीर जजवाती पहलू से गीर करहे जैसा भ्रापने वादा किया था माइनारिटी कैरेक्टर बहाल करने का उसे बहाल कर के इस मुल्क की माइनारिटी में एक भरोता और एतमाद पैदा करने की कोशिश कीजिए।

जी राम विश्वास पासवान (हाजीपुर) सभापित महोदय, प्रभी इप विल पर जो चर्चाए चली है उन में प्रार्टिकल 30(1) का हवाला दिया जा रहा है। मैं भ्रापके सामने मार्टिकल 30 सब क्लाज (1) पढ रहा है :--

"All minorities, whether based on religion or language, shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice."

इस देश का दुर्भाग्य है कि नीति घौर नीयत में कही तालमेल खा नहीं रहा है। हमारी नीयत कुछ रहती है धौर नीति कुछ भौर बनती है। ग्राज क्या कारण है कि ग्राजादी के 31 वर्षों के बाद भी जो मुस्लिम समुदाय है या जो हरिजन है, ग्रादिवासी है उनका विश्वास इस देश में किसी भी सरकार पर नहीं जम रहा है? यह तहुन बड़ा विचार-णीय प्रश्न है। 31 साल गुजर गये घौर 31 साल गुजरने के बावजूद भी क्यो हम अमुरक्षित महसूम करने है? जब तक ग्राप इस बुनियदी सवाल का हल नहीं निकालेंगे तब तक हम समझते है कि समस्या का निदान नहीं होगा।

माननीय मदस्य त्यागी जी यहा बैठे हुए है। इन्होने सच्छे इटेशन से ही वह रेलिजस इस्टीच्युशम का बिल मुव किया है। लेकिन पूरे देश मे एक कोहराम मचा हुन्ना है। बह क्यो है ? जो झादिवासी है, उन मे जो किश्चियन धर्म को मानते है क्यो उनके दिमाग मे भाक्रोश पैदा हो गया है ? इसीलिए न कि यदि कोई ग्रादिवासी है भीर वह किश्चियन सन जाता है भीर एक वह जो किश्चियन नहीं है दोनों के रहन महन मे भासमान भौर जमीन का फर्क है भीर जब तक सरकार उन समुदायों के लिए जो किश्चियन नहीं हैं, उन लिए उनसे झिक काम नहीं करता है जो मिशन उनके लिए करता है तब तक हम लाख चिल्लाते रहेगे धर्म परिवर्तन से उतको रोक नही सकते है। इसलिए सब से बड़ा काम हैं कि घाप मिशनरी

को रोके । लेकिन मिशनरी को कहिएगा कि तुम हिन्दुस्तान से निकल जाम्रो तो हिन्दूस्तान के भन्दर ही जो लोग है उन को गस्मा ध्राएगा । सब से बडा उन को निकालने का एक ही तरीका है कि ध्रगर मिशनरी एक रुपया खर्च करती है भ्रादिवासियों के ऊपर तो भ्राप दो रुपया खर्च कीजिए भीर यह देखिए कि उत का सही ढग से यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं । मिशनरी का डाक्टर दिन रात वही मोया रहता है, जा कर उन क दवा दारू करता है ग्रीर हमारा डाक्टर, वहा पहच नही पाता है। इसलिए जो ग्रन्पसम्ब्यक लोग है उन ग्रल्प-सङ्यक लोगो के दिमाग से जो एक भावना बैठ गई है उस भावना को हमे निकालना है । प्रलीगढ युनिवर्सिटी के सम्बन्ध मे कहा गया कि 1875 मे मोहमडन एग्लो इडियन कालेज के नाम से स्थापना की गई थी। उसकी स्थापना करने वाला मे मर संयद ग्रहमद साहब थे। 1918 में उनकी मृत्यु हो गई ग्रीर 1920 मे प्रलीगढ मस्लिम युनिवर्सिटी के नाम से इपको घोषित किया गया। उस ममय तीन भर्ते दी गई थी। पहली शर्तयह थी कि इसमे 77 एकड जमीन होनी चाहिए श्रीर बीस लाख रुपया होना चाहिए । उन मतौं की पूर्ति कर दी गई। 1951 में समर् में जो कानून बना उसके तहत इसकी एकोनामी को, स्वतवता को ममाप्त कर दिया गया । 1965 में फिर एक आर्डिनेन्स भाषा भीर इसकी पूरी स्वत्न ता छीन ली गई। यह काम मिलमिलेवार बढता गया । तमाम देश मे इसका विरेध किया गया। 1972 में नुरुत हमन स.हब, शिक्षा मत्री ने ऐसा कानुन बनाया कि जिन. थोड़ी बहुत बची हुई स्वतन्नता भी समाप्त हो गई। फिर तो समुखे देश में एक धान्दोलन चला । उम समय फीरोजाबाद, बनारम धौर झलीगढ में गोलिया तक

[श्रा राम विलास पामबात]

1973 में ब्रलीगढ मुस्लिम युनिवर्सिटी ऐक्ट पर सम्मेलन हम्रा । जो लोग यहा पर इस वक्त बैठे है इनमे अधिकाश ने जाकर उसमे भाग लिया और सभी ने कहा कि ग्राप लोगो की माग जायज है भीर जो कुछ भी हो रहा है बह ग्रापके साथ ग्रन्याय है । उस समय बहुत से लोगो ने गिरफनारिया दी थी। यहा पर राजनारायण जी नही, डा० फरीदी भीर तन मौ भ्रन्य लोगो ने गिर-फ्तारिया दी थी । 1975 मे खमरा कमेटा के सामने यह मामला गया । खुसरो कमेटी की रिपोर्ट भी ब्राई लेकिन मभी तक उसको नही माना गया । इस प्रकार से यह मोटी-मोटी बाते है जिनकी बुनियाद पर यह युनिवसिटी चल रही है। जहां तक भ्राजादी की लड़ाई की बात है, मै उन लोगो मे से ह जो यह नही चाहते कि इम देश मे नोई फिरकापरस्ती हो ।

माननीय कवरलाल गुप्त जी यहा से चले गए, इस देश में देवी देवताश्रो के लिए क्हाजाता है कि जमीन दी जाए, मन्दिर मस्जिद ग्रीर गिरजाघरो के लिए जमीन दी जाए, मुर्तिया जिनमे जान नहीं है उनके लिए कहा जाता है कि जमीन दी जाए लेकिन जो भादम। है व भृखेमर जाये। मैकहता इदस देश मे सभी की पूजा होनी चाहिए लेकिन जहा पेट जलता हो वहा पर धर्म की पूजा नहीं हो सकती है। इसलिए पहले ग्राप भुखें लोगो को प्रन्न दीजिए, वस्त्र दीजिए, उनकी पढाई की व्यवस्था कीजिए उनके लिए मकान की ब्यवस्था कीजिए धौर उसके बाद धर्म-कर्म धौर पूजा-पाठ की व्यवस्था कीजिए।

श्राजाद का लडाई म महात्मा गार्धा को महात्मा का पहल खिताव श्रगर किसा ने देना यातो वह श्रलागढ़ मुस्लिम यूनिवन्दि ही थी । खान प्रवद्गल गफ्फार खा, डा॰ खाकिर हुंपेन, मौलाना मृहम्मद धली, शौकत धनी, रफी धहमद किदवई, शेख धवदुल्ला, राजा महेन्द्र प्रताप सिष्ट्य-यह सभी धलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट रहे हैं। जहा तक इस यूनिवर्सिटी मे छात्रों के नाविनेशन की बात है, वहा पर पहले 36 परसेट नान-मुस्लिम स्टूडेन्ट थे फ्रांर अभ। भ। मेडिकल तथा इजीनियरिंग कालेजेज म 60 परसेंट से ध्रधिक नान-मुस्लिम स्टूडेन्ट हैं।

श्रानी गढ म इतना वडा दगा हुंशा, हमारे प्रधान मली जी श्रानी गढ गए थे, उन्होंने भराहना की, श्राना गढ यूनिवर्सिटी के लड़ के रिलीफ के काम में लगे हुए थे। एक तरफ रायट्स हो रहे थे श्रीर दूश री। तरफ वहा के लड़कों मं इस तरह का जाश था। वे इस देण का मुख्य धारा में जुड़े हुए हैं। वे वहा पर उस समय रिलीफ के वाम में श्रीर एकता स्थापित करने के काम में लगे हुए थे।

भरकार अर्जाज वाणा वसेज यूनियन आफ इडिया के स का हवाला देती। है। मैं भरकार स वहना चाहता हू कि इसने सरकार के लिए कोई बडी बात नहीं है क्यों कि प्रीवी पर्स के मामले में भी सुप्रीम कोट ने विरोध किया था। बैंक नेणनेश्वाइजेशन का मामला आया था, जिस में विरोध में दिया गया था। इसना गो-खध की जब बहुस च्ली थी। तो गो-खध के बारे में भी उस दिन मैंने कहा था और यही बात कही थी कि बिनोबा जी के प्रति हमारा सारा सम्मान है लेकिन जिस देश में हरिजन, आदिवासियों की हत्या हो रही है, वहा सरकार गो-हत्या के सामने तो शुक जाती है लेकिन हि जनो की जब हत्या होती। है और माइनोरिटीज की जब हत्या होती है, तो

बहां सरकार को प्राथमिकता देनी चाहिए भीर उन को बचाना चाहिए। यदि कोई थाथा, थिंद इस देश में कोई शकराचार्य इन लोगों के खिलाफ कोई ऐमी बात कहता है, या करता ₹. भो पहले उस के लिए कुछ करना चाहिए, उसके लिए मरना चाहिए ग्रीर उस के लिए अनमन करना चाहिए । आज आप देखिये कि चारो शकाराचार्यां का मिलन हो रहा है भीर यह एक बहुत भीषण मामला है। चारो शकराचार्य पूरी म बैठ कर कोई वहा से फरमान जारी करेगे, कोई कही दूसरी जगह मे फरमान जारी बरेगे भीर कोई वही भीर से फरमान जारी करेंगे। आप उन की स्पाची को सनिये। पटना मे शकराचार्यने यह कहा कि ये जो लाग है ये पैदायणो ग्रष्ठत है। जब ऐसी बाते होती है तो मै ग्रापमे बहता हू कि इस देश में ग्राप को ग्रोर भरकार को बहत बारीकी से साचना पडेगा इस सम्बन्ध मे । ग्राप कहते है कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। गी-हत्या के मामले मे भी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी। उत्तमे ग्राप नवे सविधान संशोधन का मामला ला सवते है। प्रीवी पर्स के मामले मे भी ला सकते है सुप्रीम कोर्टकी रूलिंग के विरुद्ध धीर वैक नेशनेलाइजेशन के विरुद्ध भी लासक्ते है। तो क्यो नहीं, जब सुप्रीम कोर्ट इस मे बाधक होता है, भाप सूत्रीम कोरं को यह कहते हैं कि ठीक है हम इसके लिए कानन बनाते हैं, सभद सर्वीपरि है सविधान में सशोधन करने के लिए, श्राप इसको मानिये। मैं यह नहीं कहता कि ग्राप यह करे ग्रीर वह करे लेकिन मैं स्पष्ट रूप से वहना चाहता ह भारत सरकार से, जनता पार्टी की भरकार से कि जनता पार्टी की भरकार के द्वारा ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जिसते हरिजनी, कादिवासियो भीर भ्रत्यसख्यकों के मन मे एक प्रधायक चिन्ह उठे कीर ऐसा करना शरकार का दायित्व हो जाता है। जब धरकार यह कहती है कि हमारी नीयत ब्रिटक्स भाफ है। जब ग्राप की नीयत बिल्कुल

शाफ है, तो आप अपनी नीति भी भाफ कर दीजिए। तीन चीजों के सम्बन्ध मे जो यह मामला है कि माइनोरिटी करेक्टर जोडना भाहिए, मार्टीनिल 30 (1) के तहत इसका मवालन होना चाहिए और जो कोर्ट के स्टेटस को धनाने का मामला है, जिस को पावर नहीं दी गई है भीर जो कोर्ट के कम्पोर्जाशन का मामला है कि इस में जो 160 लोग है. उन 160 में से 50 युनीविभिटी के एम्पलाइज हां ग्रीर 57 बाहर के लोग हो, तो इस तरह व जितने मामले हैं, भरकार को चाहिए कि इन भारी चीजो का उभ म इन्क्लंड करें जिसमे ग्रल्पसंख्यका के मन म किसी तरह का भय न हो और उन के दिमास में किसी। तरह की शका न रहे श्रीर जो झलीगढ म्स्लिम यनिवर्भिटी का जीवन है, वह ध्रपने ध्राप को राष्ट्रीय धारा क साथ जोडें। मैं वहा के विद्यार्थियो, शिक्षको भीर देश के तमाम **ग्रत्पसख्यको संयह ग्राग्रह करूगा कि वे यह** सोचे कि हम किसी की मरमी पर नहीं है। यहा के अल्पनख्यक किसी की मरसी पर जिन्दा नहीं रह रहे है। यह उन का देश हैं और वे इसमे ग्रपने अधिकार चाहते है श्रीर वे अधिकार उनको मिलने चाहिए लिकन जो देश की मध्य धारा है, श्रपने श्राधकारों की बदोलत, उसमे वे मिल जाए ग्रीर वे यह समझे कि यह देश हमारा है। इस को समझकर वे सारे कामो के बारे में सोचे।

इन शब्दों के साथ में ग्राप को धन्यवाद देता हु ग्रीरग्रपना भाषण समाप्त करता हुं।

MR. CHAIRMAN Before I call Shri Shyamnandan Mishra, I would like to inform you that the time for general discussion, including the Minister's reply, will be over by 5 pm and the Minister will take about half an hour. So, it is the pleasure of the House to extend the time?

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes. MR CHAIRMAN. So, the time for general discussion is extended by half an hour.

की स्थामनन्दन निक्य (बेगुदराय): दामापति जीं, मैं इने एक बड़ी खुर्किस्मती मानता हूं कि झाज मुझे इद विवेयक परवोलने का झवदर प्राप्त हुआ है।

जित तमय 1972 में वह काला विश्वेपक बाया था. जिल को लेकर बड़े-बड़े मजाहिरे हुए थे सारे हिन्दुस्तान में, धारे देश में, भीर जी हमारे यहां क प्रकलियत के लोग हैं, उन लोगों की भावनाए अब्ध हई थीं, भड़की बी, आज उस विवेयक के सारे बरे असरात की खत्म करने के लिए यह विश्वेषक यहां श्राया है। मैंने उस समय भी उस के खिलाफ भावाज उठायी थी और जो एक बढ़ा सम्मेलन हमा बाउसमें भी मैने भाग लिया था । उम समय यह उम्मीद नहीं हो रही भी कि उस समय के निजाम को जिसने जो काला विश्वेयक बताया या उस को खत्म करने में हमें बहुत जल्दी कामयाबी हासिल होगी। लेकिन बाज उस कामयाबी को सामने देखते हुए कुछ ख्शी भी होती है भीर कुछ गरूर भी होता है।

भाज हम लोगों ने देश में ऐसा माहौलपैदा किया है जिसमें भक्तियतों की नजरों में एक नयी उम्मीद जाग वयी है भीर भ्राज उस उम्मीद को पूरा करने की कोशिश हम इस विश्वेयक के जरिये कर रहे हैं।

सभापति जी, मेरी राय मे इस विधेयक को बहुत पहले भाना चाहिए था। यह बहुत देर से भा रहा है। इस सबाल पर भाइनोरिटी के लोगों मे एक बेसबी थी भीर उसी बेसबी से मगर वे खामोर्भा के साथ दो साल तक इसकी तरफ बेखते रहे। माइनोरिटी में यह बेसबी ही भीर हम इस बिधेयक को जल्दी न ला सके, यह भच्छा बही मालूम होता था। जब हम इस बिधेयक को देर से लाये तो इसके बारे में हमें माइनोरिटीज कमीसन से विवार-विनिमय करना चाहिए था। वह सरकार नहीं कर पायी। जब हम ने माइनोरिटीज कमीसन बनाया है तो उसकी राय को बजन देना चाहिए था उस से पूरी मदद

लेनी चाहिए थी। लेकिन हम उस से पूरी मदद नहीं ले रहे हैं इसका मुझे कुछ खेद है।

इस बिल को बहुत जल्दी लाना चाहिए या क्यों कि 1965 भीर 1972 के संबोधनों के बाद हमारे घल्पसंख्यक, घकलियत के क्छ बेचैनी पैदा भाइयों मे बहुत हो गयी थी । मैं नहीं जानता कि इन दो सालों मे इस वर्ग को सरकार मे भ्रपनी नजरों से पीछे न्यों रखा ? खैर, देर मायद दूरूस्त मायद । माज यह विधेयक माया है। इस मे कोई शक नहीं है कि 1965 भीर 1972 के संशोधनों के बाद जो बुराइया था गयी थी उन को इस विधेयक कड़ारा बहुत दूर तक खत्म किया जा रहा है। इस में सारे मुल्क के लोग सहमत होंगे भीर खास कर के भलीगढ़ मुस्लिम यनिवर्सिटी के लोग भी सहमत होगे। मैं भाज चाहता ह कि सदन मे अलीगढ़ मुस्लिम युनि-वसिटी के भाइयों के प्रति घपना भीर सदन का प्राभार प्रकट करू क्योंकि जिस समय इस विश्वेयक का निर्माण हो रहा था, जब इस के बारे मे सोच-विचार शुरू हुन्ना या तो उनकी कीमती शिरकत इस में मिली थी और उन्होंने जिस भावना की, जिस नजरिये की मिसाल हमारे सामने पेश की बी उसके बारे में सोच कर मुझे बेहद खुशी होती है। उनकी तरफ . से कोई ऐसी बात सामने नहीं आई जिससे कि इस विश्वेयक के सही रूप देने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती। यह बाद ठीक है कि उनकी राय थी कि विधान में धारा 30 के तहत जो संरक्षण प्राप्त है, वह पूरी तरह से उन्हें प्राप्त हो । जहां यह बास ठीक है वहां उसी जगह पर मैं यह भी मर्ज कर दू कि इस के बारे में जी कुछ वैद्यानिक या कानूनी दिविधा पैदा हो गयी है भीर दो फीसले हमारे सामने था गये है उनके समाधान के लिए यहां पर एटानी जनरल की धाना चाहिए वा। मैं बराबर इस राय का रहा हं कि एटार्नी जनरल को यदा नशी न बनाये जाये और इस तरह से पदी नहीं न बनाया जाए कि पांच सालो से एक बास भी उनका वहां दोदार न हो सके । एटानी जनरस को

[श्री श्मामनन्दन मिश्र]

विद्यान के बन्तगंत ब्रधिकार है कि वे यहां बायें। लेकिन उनको बलाया नही जाता। सरकार एक प्रेस्टिज का इस्यू (मुद्दा) बना लेती है जिस से उनको यहां पर नहीं लाती। हमारा भ्रधिकार है कि हम एटानों जनरल की हाजरी तलब करे भीर वे इस के बारे में भपनी राय दें ताकि हम अपनी राय इस में ठीक ढग से कायम कर सके। इस मे दो राय पैदा हो गयी है- मजीज पाशा के केम के बाद भीर उस के बाद जो केरल के मामले में उससे बडी बेंच ने फैसला दिया भ्रीर जिसकी तरफ माइ-नोरिटीज कमीशन ने इशारा किया है। जब दो रायें माफ तोर पर हमारे मामने या गई है तो एक दिक्कत भीर दुविबा की स्थिति हमारे सामने पैदा हो गई है। उसको दूर करने के लिए एटानी जन रल साहब को यहा तशरीफ लानी चाहियेथी। अस हम मार्गे बढेंगे तो मैं समझता हं हमें उनको ब्लाना पड़ेगा घोर उनको तशरीफ लानी होगी, किसी भी स्टेज पर उनको सदन में बलाने की जरूरत पड़ेगी। इसका कारए यह है कि कानुनी भीर वैधानिक स्थिति ऐसी पैदा हो गई है कि उसका समाधान संयद के सामने उनके द्वारा होना चाहिये।

जिस पौधे के बारे में हम विचार कर रहें हैं वह बड़ा नाजुक पौधा है। मलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सही मानो मे देश के सामने एक मिशाल बन कर खड़ी है जिस पर सारे भारत के लोगों को फख़ होना चाहिये। इसकी जो तबारीख है उसके बारे में बहुत चर्चा हुई है। माप इतनी दूर क्या जाते हैं? सभो जो मलीगढ़ में साम्प्रवाधिक दंगे हुए थे उनमें जो इस विश्वविद्यालय का रोल रहा है वह बड़ाही शानदार रहा है। इस विश्वविद्यालय के मन्दर एक मैडीकल कालेज मी है जहा पर मायल लोग इलाज के लिए पहुंचाए जाते थे, किसी को टाग कटी हुई तो किसी को बाह, सरहतरह से मायल हुए लोगों को यहां पहुंचाया स्था था। इन मायलों को वेख कर बहां के जो

लंक्चरार, प्रोफेसर या तालिबें इत्म थे उनके जजबे भड़के नहीं, उन्होंने बहुत शान्ति के साथ उन सब का इलाज किया और साथ साथ सारे शहर में शान्ति का पैगाम फैलाया । यह मिसाल सारे भारत के लोगो को भपने सामने रखना चाहिबे । कम्युनल हार्मनी के मामले ही नही बल्कि स्टेडर्ड के मामले में भी उसने देश के सामने एक भिशाल पेश की है। बहत से स्थानों में उस तरह का शिक्षा का स्तर नही है जिस तरह का यहां है। बिहार के बारे मे मैं कह सकता हं कि वहां जिस तरह से स्तर गिरा है उसको देखते हुए भलीनढ़ मुविस्लम युनिवसिटी एक मिशाल होनी चाहिये । दोनो के स्तर मे जमीन झासमान का फर्क है। स्टेंडर्ड के बारे में जब हम सीचते है तो बड़े बड़े एज्केशनल सेंटर्ज से भी इसके स्तरको हमबेहतर पाते हैं भीर हमारे लिए फब की बात है। इसीलिए देश के लोग ही नहीं बल्कि 38 देशों के भी तालिब इल्म यहा ब्राज पढ़ रहे हैं घीर इस तरह इस विश्वविद्यालय ने सारी दुनिया में भ्रपना नाम कमाया है। ये सब चीजें हमे भ्रपने सामने रखनी चाहियें।

माइनोरिटी करेक्टर के बारे में यहां बहुत बाते कही गई है। मैं समझता है कि इस बिबेयक मे घुमा करके नाक को छुने की कोशिश की गई है, इसी तरह की प्रक्रिया अपनाई गई है, नाक को सीघे नहीं बल्कि सिर के पीछे से मुमा करके छुमा गया है। इससे इन्कार नहीं किया गया है कि इसकी जड़ यहां के मुसलमान भाइयो ने कायम की थी। इससे इंकार नहीं किया गया है कि एम ए ग्रो कालेज की स्थापना मुसलमान भाइयां ने की थी। जब जड़ मुसलमान भाइयो ने कायम की तो साफ है कि भागे चल कर जो फैसला होगा उस में कोई दो रावे नहीं होगी, बाबे के कोर्ट के फैसले में भी इस बात की साफ कर दिया जाएगा कि मसलमानो के द्वारा ही इस संस्था की कायम किया गया था। जहां तक स रकार

[बी श्याम नन्दन मिश्रा]

का ताल्लुक है सुप्रीम कोर्ट के फैमले के सामने उसकी मजबूरी है, उसको इस फैसले को कानूनन मानना होगा। वर्ना जहां तक सरकार के मन्तव्य का सवाल है यह विल्कुल साफ है कि सरकार ने इससे इन्कार नहीं किया है कि इसको मुसलमान भाइयों ने कायम किया है। इससे इन्कारभी कैसे किया जा सकता था जबकि जमीन मुमलमान भाइयों ने दी है, पैसे उन्होंने दिये थे। सारा इन्तजाम करन वाला संगठन मुसलमान भाइयों वे पैदा किया था।

माइनोरिटी कारेक्टर होने से सेक्युलर कारेक्टर मे बाधा था सकती है, यह भी यहा कहा गया है। उस संदर्भ मे सरक्षण और ब्दमुख्तारी के मामला मे मरकार की लाचारी का जिक्र भी किया गया है। इसके बारमे मैं बाद मे धर्ज करूगा। पहले मै यह कहना बाहता हु कि धगर माइनोरिटी वारेक्टर **उसका स्वी**कार किया जाता है तो क्या सैक्युलर कारेक्टर मे कोई बाधा धाएगी, जो इमाराधर्मं निरपेक्षता का दृष्टिकोण है उम कोई बाधा म्राएगी इसकी चर्चा मैं करना चाहता मैं हिन्दू हुं, तो इसके मायने क्या हैं ? ग्रगर स्याम नन्दन मिश्र कहते हैं, एलान करते है कि मैं हिन्दू हू तो क्या इसके मायने यह हो जाते है कि मैं धर्म-निरपेक्ष नहीं हु? ग्रगर कोई भाई मुसलमान है और कहता है कि मै मुसलमान हं तो क्या इसके मायने यह हो जाते है कि वह धर्म-निरपेक्ष नहीं है, सैकुलर नहीं हैं ? जो इन्सान के लिये सही है, वही इस्टी-दूयुषम के लिये भी मही होगा । इसलिये मैं भपने सभी भाइयों से श्रर्ज करूगा कि जहा तक यह सवाल है इसे दूसरी तरह से देखें पहले हम कहते थे, सुनते थे, हम लोगो के बरों से ऐसी बाते होती थी, एक रूढ़ियत और परम्परामत मावना होती थी कि मुर्गी खाये तो मुसलमान हो जाये मनर बाज मुनी पर हिन्दू इतना हाथ साफ करते हैं कि मुर्गियां मुसलमानो को मिलना भी मुहाल हो रहा है।

उसी तरह की बात उर्दू के बारे में भी कही जाती है कि उर्दू मुमलमानो की जबान है। मगर उर्दूकोई जबान पर लाये तो उसको मालूम होगा कि उममे क्या लुत्फ है। इसलिये उद्दंको मुसलमानो की जबान कहना बिल्कुल गलत है। ग्राज भी कहा जाता है कि हमारे मुसलमान भाइयो ने प्रपना मैक्षणिक योग्यता ग्रीर विकास के लिये कायम किया था । जब उन्होने ऐसी मिमाल दी है कि दूसरो के भी शैक्षणिक विकास मे उसमें कोई बाधा नहीं पडती है--भीर भव यह बात साफ तौर पर नुमाया हो गई है--तो मै समझता ह कि इस सम्बन्ध मे कोई भी सदेह दिमाग में लाना बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिये मेरी दो राय है---एक तो जैसा मैने भ्रजं किया कि भ्रटानी जनरल साहब यहा तशरीफ लाये और इसके बारे मे कानूनी स्थिति साफ करें और दूसरी बात यह है कि सरकार कहे कि मजबूरिया तो ग्रभी सुप्रीम कोटं के फैमले के मृताबिक है। लेकिन हमारा इरादा है कि धारा 30(1) के तहत जितने भी सरक्षण प्राप्त है, वे मारे सरक्षण प्रलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्मिटी को प्राप्त होगे। सरकार को यह कहने मे कोई कठिनाई नही होनी चाहिये । क्या भ्राप समझते हैं कि उनकी खुद-मुख्तारी इस दर्जे तक जायेगी कि उसमे बहुत कुछ बुराईया मा जायेगी?

राइट टू एडमिनिस्टर के मायने यह नहीं होते कि राइट टू मैल-एडमिनिस्टर । सरकार को बराबर यह मिल्कार होगा कि मगर वहा किसी तरह की बुराई म्राये तो उसको देखे भौर जहा तक हो सके, उसका सुधार करे । ससद् का भी रोल है इसमे वह जो कानून बनाये, ससद जो कानून बनाये, तो मेरी राय मे भगर सरकार यह माम्बासन देती है भौर सुप्रीम कोट के फैसले के मुताबिक हम कुछ ज्यादा करने से ममबूर हैं क्योंकि सुप्रीम कोट ने जो फैसला किमा वह हमारे सिये कानून है, मगर जो कुछ भी इरादे हैं घारा 30(1) के तहत वे सारे इरादे हम पूरे करेंगे। घगर सरकार का यह कस्द है कि वह उन सारे संरक्षणों को चलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को दे, तो जो हमारे माइनोरिटी के भाइयों के दिमाग मैं जो थोड़ा बहुत शक है वह भी दूर हो जायेगा। हालांकि उनके शक बहुत कुछ दूर हो चुके हैं, यह मैं मानता हुं।

मै दो, तीन तफसील की बातों की तरफ आपका घ्यान दिलाना चहता हूं। हमने तो कहा है कि इसमें हम स्वायत्तना, खुद-मुझ्तारी लायेगे और इसका जो प्रशासन है, उसे हम लोकतातिक बनायेंगे। यह हमने कहा है कि हम जम्दूरी निजाम फिर से वहा लायेंगे क्योंकि 1972 और 1965 मे जो संशोधन हुए थे उनसे वहां की जम्दूरियत और अम्दूरी निजाम पर काफी करारी चोट घायी थी, हमने कहा है कि हम वहां स्वायनता फिर से लायेगे, जम्दूरियत लायेंगे, हमने साफ तौर पर इस बिल के स्टेटमैट घाफ रीजन्स मे कहा है, उसके मुताबिक काफी बाते पूरी होगी।

मैं विश्वविद्यालय कोर्ट के बारे में ग्रापका । ध्यान दिलाना चाहता हूं। कोर्ट की तादाद है 162 भीर उसमें 105 यूनिवर्सिटी के झन्दर के लोग है, 57 बाहर के हैं। वह पालिसी मेकिंग बौडी होगी, नीति निर्धारित करेगी। मै पहले पूरी तरह से इसमे नहीं गया था ती यह बात मेरे दिमान में बाई थी कि ठीक सिलसिला सरकार ने सोचा है और विधेयक में रखा है। लेकिन जब मैं इसमें गहराई में जाता हूं, तो मुझे लगता है कि नीति बनाने का सारा अधिकार यूनिवर्सिटी के भाइयों को ही नहीं देना चाहिये। जब उन की तादाद 105 रखी गई है, भीर बाहर के लोगों की चिफ्र 57 तो ऐसी स्थिति में तो उसका नाम "कोर्ट" न रखा जाये, उसका नाम ' एकँडेगिक कौंसिल" रख दिया जाये। अगर

मंत्री महोदय उसका नाम कोर्ट रखते हैं, तो उन्हें उसे सही मानों में कोर्ट बनाना चाहिये। उसमें बाहर के तत्वों, ग्राउट साइड एलिमेटस, को भ्रन्छी तादाद मे लाना चाहिए। जो डानर्ज है जिन लोगों ने उस जमाने मे बहुत दान दिये हैं--इस भावना से दिये हैं कि शिक्षा का विकास हो भौर हमारे बहुत से तालिब-इल्मों को जो पहले उस तरह की शिक्षा नहीं मिलती थी वह उन्हें मिले,---उनकी तादाद ज्यादा हो। इस यूनिवर्सिटी के एक्स-स्टुडेंटस की तादाद भी बढ़ाई जाये ! यानी मिला-जुला कर कोर्ट को सही मानों म नीति निर्घारित करने वाली संस्था बनाना चाहिए, भ्रौर उसमे बहुमत यूनिवर्सिटी के ग्रन्दर के लोगों का नहीं होना चाहिये। भगर ऐसा ही करना हैं, जैसा कि अभी है, तो उसका नाम एकैंडेमिक कौसिल रख दिया जाये; यह ज्यादा उपयुक्त होगा ।

एक्सीक्यूटिव कौसिल में भी इन्ट्रेंनल एलिमेटस, अंदर के तत्वों की प्रवलता है, बहुमत है, जितना नहीं होना चाहिए। उसमें उन के व्यक्तिगत स्वार्थ भी निहित होते हैं। जिनके व्यक्तिगत स्वार्थ हों, वहीं वहां के मालिक बना दिये जायें, यह ठीक नहीं लगता है। इसलिए एक्सीक्यूटिव कौसिल में बाहर के तत्वों को लाना चाहिये; तभी एक संतुलित एक्सीक्यूटिव कौसिल हो सनेनी, वर्ना एक्सी-क्यूटिव कौसिल का रूप बहुत कुछ अनवैलेस्ड, असंतुलित हो जायेगा। बाहर के लोगों को लाने से उसमें उदारता भी आयेगी, और चारों तरफ़ देख कर जो दृष्टिकोण बनाया जा सकता है, वैसा दृष्टिकोण उसका बनाया जा सकता

हमारे कुछ भाई कहते हैं कि अगर यूनिवर्सिटी को खुद-मब्तारी दे दोगे, तो शायद आगे चल कर खामोश तमाश्रवीन की तरह देखते रहोग, वहां बुराइयां होंगी, मबर कुछ नहीं कर पाधोगे । लेकिन मैं साफ़ तौर पर कहना चाहता हूं कि क्या [श्री स्थाम नन्दन मिश्र]

राज्य का यह बुनियादी घिष्ठकार खत्म हो जायेना कि हम वहा पर शिक्षा का जो स्टैडडं कायम करना चाहते हैं, वह स्टैडडं हम वहा पर रखें। जब हम देखेंगे कि उस स्टैडडं में, उस स्तर मे, जरा भी व्यतिकम होता है, तो फिर हम जिस तरह के रेगुलंटरी मेजजसं लेना चाहेंगे, वैसे लेंगे।

लेकिन इसके साथ साथ मली महोदय इस बात पर भी गौर करे कि एक तरफ तो बह युनिवर्सिटी को ज्यादा ग्रधिकार नही देना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने सारे ग्रधिकार एक तरफ से विजिटर के हाथों में केन्द्रित कर दिये हैं। करीब करीब सब ग्रब्स्यारात विजिटर के हाथों में केन्द्रित हैं। विजिटर के हाथों में सारे ग्रधिकार दे देने से युनिवर्सिटी के ग्रधिकारों के ज्यादा मानी नहीं रह जाते हैं।

विजिटर के पास कितने मधिकार है ? मनर विजिट महिव चाहें, तो वहां जो भी कान् वनेंगे, वह उन को मस्वीकार कर सकते हैं। वहां कोई भी नई सस्या विजिटर साहब की राय में ही बन संत्री, यनिवर्सिटी उसमें ज्यादा कुछ नहीं कर पायेगी। इस तरह से विजिटर को जो बहुत मधिकार दे दिये है, उससे भी जरा इमबैलेंस, मसन्तुलन, पैदा होता है। इतना इमबें नेस नहीं होना चाहिए।

फिर सवाल उठता है कि वाइस चास नर की नियुक्ति को दूसरे स्तर पर क्यो रखा गया है? यानी जिस तरह से चांसलर, प्रो० चांसलर की नियुक्ति होती है उसी तरह से बाइस चांसलर की नियुक्ति क्यों नहीं होगी? बाइस चांसलर की नियुक्ति के लिए भी एक पैनल कोर्ट की तरफ से जाना चाहिए मगर यहां वह बात नहीं रखीं गई। इस बिधेयक में पैनल पेश करने का विधान नहीं है, उसके बारे में यहां कुछ नहीं कहा गया है। इसलिए मेरी विनम्म राध है कि धाम बाइस-चांसलर की शी नियक्ति अगर उचित ढंग से करना चाहते है तो आपको यह अधिकार कोर्ट को देना चाहिए कि वह उसके लिए पैनल विजिटर के पास भेजे और उसके मुताबिक उसकी नियुक्ति हो ।

इन्ही शब्दो के साथ मिलाजुला कर कर इस विधेयक का स्वागत करता हूं। मैं समझता इ कि सरकार ने सही दिशा मे कदम उठाया है भीर इसका स्वागत होना चाहिए । हमारे ग्रल्पसख्यक भाइयों को सरकार पर विश्वास रखना चाहिए कि जिस सरकार मे इस हद तक उनके सारे शक शक्क को दूर करने की कोशिश की है उसी सरकार से उनको इसकी भी उम्मीद हो सकती है कि जो थोडी बहत बाते है उनको भी वह पूरी कर दे। उन्हें पूरा करने के रास्ते मे जो कठिनाई सूप्रीम कोर्ट ने रखी है, भव उस कठिनाई को हम हल करने के लिए सरकार ने सि बद्धि-मानी से काम किया है जिस बारीकी से काम किया है उसको हमारे झल्प-सख्यक भाई भ्रम्छी तरह, यह न समझें कि उससे कुछ कतराया गया है। यह सरकार कतराने वाली सरकार नही है भीर जहा तक मल्पसंख्यको की भावनाम्रो का सवाल है, उनके जजबात का सवाल है, उस मे यह सरकार कुछ धानाकानी नहीं करेगी । एक खास परिस्थिति में भगर उसने इस बृद्धिमानी से भीर बारीकी है, जैसा मैंने धर्ज किया, काम किया है तो उसका एप्रिसिएशन, उसकी सराहना मभी जगह पर होनी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं इस विश्वेयक का स्वागत करता हं।

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (Jadavpur): Mr. Chairman, Sir, we should see that measures like this should be discussed without any passion and we should try to discuss this matter as objectively as

possible keeping before us the question as to, how best to achieve true objective of the seat of learning, of the University. There is decision of the Supreme Court. There are several other views. But fact is that the Supreme Court came to the conclusion that the University, in fact, was set up by a statutory enactment and as such it was not established by a particular community, although I find that there is a recognition of that in the proposed amendment also that the nucleus of the University was founded by the Muslims of course with donations from different communities. That is a historical fact.

We believe that the minority in this country, especially the Muslims require due facilities and opportunities for their all round advancement including advancement in the educational field. There have been many occasions when the legitimate mands for the protections of the rights of the minorities in 'luding Muslims have not been given due re-We feel that, in the matter of education and social advancement removal of disparities between communities, removal of inadequate representation in the Government services, etc., the minorities have to be given a special consideration.

We respect the sentiments of our Muslims brothers in repect of Aligarh Muslim University, but the question we have to answer is what should be the nature of interest or control that would have to be exercised with regard to this University; and whether the proposals brought forward in this Bill maintain the true democratic character and at the same time, the secular character of the institution. We are sure that our Muslim brothers do no wish to make the University an exclusive preserve of any one section

or community of people. We appreciate and support the proposals giving greater emphasis for promotion of educational and cultural advancement the Muslims by this University.

It has been the sad experience in this country that wherever or whenever the strictly minority character has been conceded in an educational institution, the democratic functioning has been hampere resulting in may call undemocratic what one trends which, we are sure, our Muslim brothers and sisters would not tolearate or accept. Let us create an institution which may give rise to possibility, if not certainty, of coteries coming into power and control in the name of maintaining a parti-We want to avoid cular character. this great institution of leaning coming into the control of a handful of persons representing vested interests. We have to maintain the university as a great seat of learning, specially for the promotion and advancement of Muslim culture and education and at the same time we have to see that we do not disturb its essential secular character which alone can maintain its true tradition and help in the real advancement of the objects for which it has been established. Therefore, we have to consider seriously whether by insisting on the question that was established by the Muslim minorities as such, whatever the plications may be, its character as a Muslim minority institution will It may not have to be maintained. actually be desirable because such a demand will not help in democratisation of the institution; on the other hand there is great possibility undesirable tendencies devoloping in the management and administration of the university. We are sure that all right-thinking people believing in democratic rights will not desire that in the name of creating minority institution, undemocratic trends hold over the university anđ affairs.

[Shri Somnath Chatterjee]

Today the fact is that a guarantee of majority Muslim representation in the management, in the teaching staff as well as in the number of students. So far as the demand that all the facilities and advantages which are contemplated by article 30(1) of the Constitution should be conferred on this institution, is concerned, we have to appreciate the true ambit of article 30(1). Mishraji rightly said the right administer does not mean the right to maladminister, but in what fields, in what areas, even the courts or even this sovereign parliament can interfere-it is not easy to define. What this Parliament can concede or decide to be within the ambit and scope of article 30(1) of the Constitution is pardoubtful. Will this sovereign liament have the right to lay down as to the form of management of institutions like that? For example, laws can only indicate that if moneys have been advanced there should be proper accountability. I doubt whether parliament can lay down as to how money should be spent or who will form the managing committee of Court or academic council. liament cannot decide, nor can state legislatures do that and that has to be appreciated speaking for the party I am representing here, we have no manner of doubt that minority sentiments are based on good reasons in many cases, but I would appeal to all my friends that our greatest emphasis should be on maintenance of the democratic character of the institution where the objectives of educa tion, the objectives which prompted the founders of this University to set up this university, namely, to make it a great seat of learning irrespective of any particular consideration of caste creed or community, how to achieve that should be our biggest endeavour, My time is limited. I know there are various minority institutions, schools, colleges in country where we have found the teachers and the non-teaching staff have no manner of security of

Their service condition remains untouched or beyond reach of even legislative provision. We have seen how teachers are dismissed in minority institutions and when they went to the court, it was held that it was a minority institution and right to administer was coneded to them in the Constitution and that could not be interfered with. What will be even the qualification of a teacher, it has been held by many decisions, the court cannot interfere with Let us not try to assess the merits of the Admendment Bill on the basis of what the court can do and what the court cannot do. In the ultimate analysis one may have to face that Our aim should be how situation. best we can maintain and uphold this great university in its true form, in its true character. That would be our endeavour, at the same time removing any doubt from the mind of persons connected with the university as teachers, as students, as non-teaching staff about any undernocratic attitude of control developing in the University Therefore our sole mission before this august House and before the country is this,without meaning any disrespect to anybody, let us not discuss this matter with any passion feeling may not be developed-that the Future of this great institution will be bleak if a particular character is not conceded in law as such or that if that character is not conceded, the sentiments of the great muslim community in this country are not being properly respected. We would That is not our view. request the hon. Minister to kindly see that so far as the representation in the different bodies set up under the statute is concerned, they are taken there. So, far as acceptability to our friends belonging to the Muslim Community who are part and parcel of us is concerned, we should try to do away or minimise all avoid-. able feelings so that it becomes as much acceptable as possible.

We have given some amendments. I shall deal with them when the amendments come. But only on one aspect I may say about the Teachers and the Students Associations. There is an attempt in the Bill to try to foist upon the teachers and the students a particular type of Association, with control by the authorities, which is not desirable. We shall request the hon. Minister to consider that at the appropriate time.

SHRI RAM JETHMALANI (Bombay North-West): Mr. Chairman, I have heard with great admiration the speech of my very distinguished but young friend Shri Ram Vilas Paswan. I endorse every word of what he said and what he said would do honour and credit to many older statesmen both in this House and outside this distinguished House. If the munity of Muslims has like any other minority to live in honour and dignity and a sense of security in this country, the Government must learn to accept whole-heartedly, as a general rule, the recommendations of the Minority Commission which we have created.

17.00 hrs.

The minorities Commission mously made three recommendations in this matter-(a) the autonomous character of the university must be restored, (b) the democratic functioning of its various organs must be restored and (c) the minority character of the institution must acknowledged. The Janata Government deserves to be congratulated for having accepted the first demands and the Bill, I think, sufficiently meets the requirements both autonomy as well as democratic functioning, but I wish to my sense of distress and disappointment that we have not been to meet the substance of the lim demand, viz., that it should be understood, acknowledged and lared to be an institution established by the minority, so that the minority can exercise its constitutional rights under article 30 of our Constitution. The demand made by the community is not an unreasonable demand is not a demand that some Muslim obscurantists should take over institution and preach either violence or communalism in their teaching institutions. The demand is a symbolic demand that the munity must manage its affairs, while Parliament continues to retain paramount right to legislate and to administer the affairs of the university in the most important matters on which public control is essential and is required. This Parliament will still be in a position to lay down full conditions and restrictions about excellence of teaching standards, qualifications of about teachers. about conditions of employment, about discipline, about good man ners and about public order peace in that institution. What is Parliament is not debarred from legislating and laying provisions which will harmonise the aims and objectives of this university with the aims and objectives of a secular polity in which the instltution is established and will continuc to exist and flourish. On this occasion, it is well to recall the original intention of the founders of the university and the earlier nucleus-the school-was. It was then said that this college may expand into a university whose sons shall go forth throughout the length and breadth of the land to preach the gospel of free enquiry, the gospel of larged hearted toleration and the gospel of pure morality. If our Muslim friends will run this institution, and I have no doubt that they run it, in conformity with the declared objectives of the real founder of this great lastitution I have doubt that we need in this country not one Aligarh Muslim University but many su. " universities so that obscurantism should go, so that ultimately the nation is welded into one unified and strong nation,

It is true that there is some hostility to this institution, but let us re-

[Shri Ram Jethmalani]

call who is the cause of the hostility and when did the hostility commence? Upto 1965, nobody had doubted the minority character of this institution; nobody, not even a tyro of a lawyer ever thought that the Muslim Community was not entitled to administer this institution in accordance with article 30 But let me say it for the benefit of my distinguished sister, Shrımati Mohsina Kidand my good friend, Shri Banatawalla, that it was the Cong-Government of 1965 Muslim character first doubted the of this institution, that attached the Muslim character of the institution and that by the amending Act 1965 finally demolished and destroyed the Muslim character of this institution Those who claim to be champions of the rights of the Muslim community and those who honestly believe in the protestations which they make on the floor of the House and outside, I thought that they would in all honesty not ally themselves with the party opposite and vet continue to talk in the terms in which they talk It has the consistent policy of the Congress in the past to bribe some individual Muslims and give them what they do not deserve and at the same time to deprive the whole community nf what rightfully belongs to that deprivation of community and the the Muslims' right to the administration of this University is one spicuous illustration of that policy. I am sorry to say that some of those who are now beating their breasts about that University are those who have succumbed to this policy the past and are even today prepared to continue their political alliance with the evil forces which destroved the real character of the University.

Sir my Government ought to have accepted the minority character of this institution boldly and courageously. I understand its constraints. I understand its limitations, But I

neither sympathise with them nor accept them though I do understand them. It is no use taking shelter behind the judgement of the Supreme Court, a judgement which itself was founded on false affidavits, on false affidavits filed by people in the employment of the then Congress Government who went and swore untruth affidavits and the Court was misguided into rendering the judgment which it did. The Supreme Court was persuaded to accept an argument which ought not to have been made by the Government of that day that merely because the University was incorporated by an Act of the Leg'slature, therefore the Legislature created it It is as absurd for example, in England in good old times when divorce was not permissible by judicial action people had to go to the Parliament to nass the private bill of divorce If 'A' wanted a divorce from his w fe Parliament had to pass a pri-When the Parvate bill of divorce. liament did pass such and Act of divorce did it mean that it is Parliament which divorced the wife or divorced the husband? It is ultimately the husband who divorced the wife though he brought it about by an Act of Parliament It is matter of surprise that the Supreme Court accepted this hyper-technical When hundred people argument gather together to incorporate a company under the Companies Act, it is they who create the company and not the Registrar of Companies who issues the certificates of incorporation. Therefore I have not the slight at doubt that the judgement of the Supreme Court was wrong and if a courageous Janata Government acknowledges the minority character of that institution the Supreme Court is bound to reverse its own decision.

I do not need the presence of the Attorney-General here, I agree with every word which Shambabu said except his irrational desire to see the Attorney-General here. We all know that this decision of Supreme Court has been commented upon by a great constitutional writer, Mr. Seervai in the first volume of his monumental book. He devoted six pages to an analysia of this decision and he has come to the conclusion that this decision was clearly wrong and productive of grave public mischief. He is of the opinion, and current legal opinion and juristic opinion is almost unanimous, that the previous decision though not formally and expressly yet impliedly has been over-ruled by subsequent decisions of Supreme Court. Therefore I want that our Government should take courage in both hands and meet the substantial point of the Muslim demand and at the same time, educate our Muslim friends that in 1971 the Congress Election Manifesto declared that the minority character the institution shall be restored and yet that promise was not fulfilled by the Congress and Mrs. Gandhi, And what the poor Muslims of this country got was a further dose of diminution of their rights in the shape of 1972 Act which was a further crime w lich compounded the original crime of 1965 committed by the Congress Government. The moment we educate the Muslim masses and tell them 'we trust them, we give them love and trust their loyalty' voluntarily they will demonstrate that the University will further the a'ms of its real founder. Sir Syed Ahmed. We accept their right under article 30 of the Constitution, but I hope that someday those enlightened Muslims, while expecting us to respect their Fundamental Rights, will also apply their mind to the Directive Principles of the Constitution, leaders will come and the Muslim forward, their enlightened leaders, to respect article 44 of the Constitution and give this country a uniform civil code, which shall not interfere with the religious beliefs and practices of anyone, but shall make this nation into a true and full secular civic society.

I may say for the benefit of the Education Minister that this matter has not been sufficiently debated in the party's councils, and this matter should be proceeded with in this House only after the party has applied its mind at greater length than it has been possible for the party to do so.

Finally, I thank you for allowing me an opportunity to speak.

श्री राज नारायण (राय बरेली) : प्रान-ए-प्वाइन्फ प्राफ इन्फर्मेशन । मैं यह जानना चाहता हूं कि परसों उपाध्यक्ष की श्रोर से कहा गया था कि 5 बजे के बाद श्रापको बोलने का मौका मिलेगा । हस्पताल से हमने कहलवा दिया कि जब बोलने का होगा तो डाक्टर से पूछकर जायेंगे । मैं डाक्टर से पूछकर श्रा रहा हूं श्रीर मुझे श्रपना दांत भी दिखाना है । श्राप कृपा कर के मुझे बता दें कि मुझ को बोलने का मौका कब मिलेगा?

सभापति महोदय : परसों का घापने क्या फरमाया ?

श्री राज नारायण : परसों का मतलब यह है कि जब कि सैशन चल रहा था, कल छुट्टी थी । हमने उनसे कहा कि देखिये, श्रलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बारे में मैं जेल जा चुका हूं, 3 महीने काट चुका हूं, श्रान्दोलन कर चुका हूं। इस पर बोलने का मेरा एक प्रधिकार बनता है भौर हमारे पालियामेंटरी एफेयर्स के मिनिस्टर ने कहा कि इस पर शापको जरूर बोलने का मौका मिलेगा, पर शाज नहीं, श्राप श्रगले दिन बोलिये यानी टु-डें क के के बाद।

स्त्रापित महोदय : ग्रगर रिकार्ड पर ऐसा हो तो भ्रम्प बात है । मैं तो यहां या नहीं, मेरे पूर्व के अधिष्ठाता महोदय ने भ्रापका नाम 3 बजकर 38

मिनट पर बुलाया, उस समय ग्राप उपस्थित नहीं थे।

भी स्याम नन्दन मिश्र : यह ग्रस्पताल से भा रहे हैं। 5 बजे के बाद इन्हें बुलाया था ।

श्री राज नारायण : मैं ग्रस्पताल से म्राया था भीर मैंने कह दिया था कि मैं पुनः अस्पताल जा रहा हूं क्योंकि मेरे कुछ टैस्ट हो रहे हैं भीर 5 बजे के बाद ^{पुन्}होंने कहा था । मैं 5 बजे के बाद श्राया हूं, इसलिये मैं श्रापसे निवेदन करूंगा कि अगर कुछ अलियर हमको मौका बोलने का मिलेगा तो हमारे दांत का टैस्ट हो जायेगा ।

सभापति महोदय : मैं जांच करवा लेता हूं, दिखावा लेता हूं।

भीराजनारायण : देख लीजिये बड़े मजे में, क्योंकि मेरी प्रार्थना भ्रापसे यही है कि इस सदन में जो घोर फैनेटिक कम्युनलिस्ट हैं, घगर उनकी यह कोशिश हो कि हम बोलने न पार्ये तो यह भाप सफल मत होने दीजिये।

SHRI VAYALAR RAVI (Chirayinkil): Mr. Chairman; this Bill, has been brought forward day before yesterday with the object of defeating the Bill moved by Shri Banatwalla to seek to restore the minority character of the Aligarh Muslim University. Everybody expected this Government, especially as they proclaim from the housetops concern for the minorities, as has been explained by my good friend, Shri Jethmalani, that the interests of

the minorities will be protected and at least the symbol of the emergence of the cultural development of the Muslims, namely, the Aligarh University will be restored its minority character. But that hope of the Muslim minorities of this country has been betrayed by this Bill; in fact, I am using a mild term to express the situation.

University

(Amendt.) Bill

Sir, here I do not want to trace the whole history of the minority character of this institution, but it is relevant to refer to the Report submitted by the Minorities Commission. The Minorities Commission had discussed largely and extensively the minority character of institution and also they made some suggestions regarding the Judgement of the Supreme Court. was the demand all along? The demand of the Muslim minority was to make an amendment or to make an enactment on the floor of House to overcome the difficulties created by the Judgement of the Supreme Court. This is the point, Here Mr Jethmalani was referring to the observations made by Mr. Seervai. Here the Commission itself referred to the relevant portion,

Mr. Seervai writes:-

"As regards the meaning given by the Court to the word 'establish', it is submitted that the meaning is not correct. It was not disputed that 'to found' is one of the meainings of the verb to establish' and it is submitted that in the context, it is the correct meaning as is clear from the definition of the verb 'to found', namely 'set up or establish (especially endowments)' The Muslim community established the University and provided it with its endowments. Even if the definition given by the Court were correct, namely, to bring the University into existence, it is submitted that the Muslim Community brought the University into existence in the only manner in which a University could be brought into existence, namely, by involving the exercise by the sovrign authority of its lgislative power. The Muslim community provided lands, buildings, colleges and endowments for the University, and without these the university as a body would be an unreal abstraction."

Here again, it says how the university came into being. I quote:-

"How this University came into being is well known. After a careful study of the then prevailing conditions in India, that great man, the late Sir Syed Ahmed Khan, arrived at the conclusion that the backwardness of Muslim community was due to their neglect of modern education."

So, this is the main criterian behind the establishment of the University

The Report of the Minorities Commission further says how even Government itself has given the extension of support. Regarding this, it says that "this is the effort of the Muslim community in India to which His Majesty's Government extended all support". This is what the Commission itself acknowledged. In 1877 Lord Lytton, the Viceroy visited Aligarh and laid the foundation stone of the College and this is mentioned in the Report. But I do not want take the time of the House on this. It is very clear from the Report itself how the fund has come. Again, I quote from the Report:

"Fund collecting had begun in earnest. In January, 1911, a Muslim University Foundation Committee was established followed by a Constitution Committee set up in February to draft the Act, the Statutes and Regulation of the University." Then it goes on:

"Thus, as the Chatterjee Report records, "the movement for the establishment of the Muslim University continued to gather strength from year to year till on the 10th June, 1911, the Government of India communicated to the Secretary of the State the desire of the Muslim Community and recommended that sanction might be given to the establishment of such a University at Aligarh."

So, it is very clear from the Report of the Minorities Commission that it is the effort of the Muslim community that formed a Committee to collect funds. They have been given tull support by the British Government, they have been given land everything in the name of Muslim community and Muslim University is all along established. That is why Mr. Seervai himself says that merely on a technical interpretation of the word 'establish', it cannot take away the historical fact that the Muslim community has done all their best to establish the University and the Muslim character of the University exists. And every one knows-there may be other people who studied there-that this University at Aligarh always flourished as an embodiment of Muslim culture, the culture of the minority community in the country, and has also given leadership to the educational and cultural flourishing of the minority communities of the country.

The Chairman of the Minorities Commission, Mr. Masani, resigned because you refused even to acknowledge his letters properly. Mr. Masani sent you a letter stating: "Please do not rush the Bill through Parliament because we are seized of the matter", but you said there is nothing more to discuss. Mr. Masani is a good friend of Mr. Jethmalani. I do not know why Mr. Jethmalani was keeping quiet over his resignation. He asked for freedom of vote in the House. I expected he would have asked the Minister why he did not reply to Mr. Masani, who is one of the veteran politicians-of course, we disagree with him-and forced him to resign from the Commission. I was expect[Shri Vayalar Ravi]

ing him to say something about it, but I am sorry he did not say anything.

This Report itself goes to prove that the interest of the Government is to defeat the demand of the Muslim minority in this country. The Commission says:

"In our view, the judgment ignores the historical background to the founding of the University and the legal and moral commitments that the State accepted when it provided by the Act for the taking over of the assets of the original foundation at Aligarh as also the endowment which the Muslim community had collected."

And they conclude:

"Aligarh Muslim University occupies a position of unique importance and significance in the country precisely because it is an educational institution established by the Muslims."

I ask the hon Minister this precise question: do you accept this conclusion of the Minorities Commission? If you accept it, you have to accept the amendment moved by my hon, friend Shri Bantwalla. His amendment can be easily accepted because it reads:

"University" means the educational institution of their choice, established by the Muslims of India, and which was incorporated and designated as Aligarh Muslim University in 1920 by this Act."

It is very simple, you can accept it. But are you prepared to accept it?

You are talking of democratic functioning. The Statement of Objects and Reasons says:

"There had also been persistent demands both inside and outside Parliament for the restoration of the basic character of the University and its democratic functioning."

What is its basic character? I was expecting the hon. Minister to explain what he means by "basic character". I wish, when he replies to our arguments, he explains where he has restored the basic character of the University. Why are you completely taking away the minority's demand for the establishment of the minority character of the University? The basic character of the Aligarh University its minority character. That minority character you are taking away. How can you talk of democratic functioning.

democratic functioning Is there envisaged in the Bill? Only five are to be elected, the rest are to be nominated. The Executive Council has more power than the Court. It means that the functioning of the Court is subject to the control of the Executive Council, which is only a nominated body which is controlling the whole thing. It means the existence of Government control all the time. It means you are eroding further the rights of minorities to run their own University. So, I have no option but to oppose this Bill, because the intention of the Bill is to defeat the purpose of Mr. Banatwalla's Bill and hurt the feelings of the minority community in this country.

I have a genuine feeling that the linguistic minorities are also facing a threat from the hon. Minister's new education policy by which he is making a direct attack on the regional languages. You are introducing it not by the back door, but by the front door. So, you are against the religious as well as linguistic minorities. It means that the stream roller politics of the Hindi-speaking Janata party is coming. Religious and linguistic minorities have no option but to oppose and fight, and fight to the last till they succeed.

SHRI VASANT SATHE (Akola): Mr. Chairman, Sir, most of the points relating to this Bill have been debated and we find a consensus of what my good friend, an eminent lawyer, Mr. Ram Jethmalani, said just now and he told Mr. Shyamnandan Babu that, when he is there, why he is not an Attorney General. I can appreciate that. On all sides, there is a common agreement and, if the Education Min. ister has been able to appreciate, it is this that the basic demand of recognising the minority character of the Aligarh Muslim University has to be accepted. Any effort to dilute or deviate from it by any quibbling of words will only be a dishonest exercise.

In 1971, the Congress in its manifesto had said, "We will restore the minority character." We did not do so.

DR. PRATAP CHANDRA CHUN-DER: You took away more rights.

SHRI VASANT SATHE: We had eminent educationalists like Prof. Nurul Hasan who advised us otherwise and we accepted their advice. Now, the Janata Party also gave an assurance to the people that the minority character will be restored.

DR. PRATAP CHANDRA CHUN-DER: Question.

SHRI VASANT SATHE: But now they have an adviser in our other eminent educationist, the hon. Minister, Dr. Pratap Chandra Chunder. If he also goes down in history again defeating its objectives, I would say that the Muslim community in this country will have no hope. They had great hopes from the Janata Party. If the Janata Party also deceives them, in spite of Mr. Ram Jethmalani and friends like him, then the only meaning will be that the Janata Party is dominated by chauvinistic school of thought represented by men like

Mr. Kanwar Lal Gupta. I was shocked to hear the speech which he made today. He said that aticle 30 must be reviewed and done away with; the minorities must not be given any right in educational matters of their own; they must be brought into the mainstream. When somebody asked him, "Does that mean all must go to shakhas?", he said, "Yes; that is what I mean by 'mainstream' ". He say that. Everybody must be Indianised. This concept is so chauvinistic. Mr. Ram Jethmalani was waxing eloquent protecting the rights and the guarantees that they are giving to minorities. What happened in Jamshedpur and Aligarh is a proof of the guarantee.

What happened yesterday? There was some disturbance here. Today, I want to go on record to say that shopkeepers are being bullied to give false statements go as to implicate, under the pressure of RSS, some other people.

DR. PRATAP CHANDRA CHUN-DER: What about photographs? (Interrutions)

SHRI VASANT SATHE: Beware, Mr. Ram Jethmalani. That is why you do not have this honest approach to the minority character of the Aitgarh Muslim University.

What do you mean by "basic character"? The basic character is the minority character. If a Christian institution or a college is established, what is the basic character? The basic character is that it is a Christian institution. That is what is guaranteed by article 30. How can take that away? Merely by taking refuge under a wrong interpretation of the Supreme Court, can you say that you will deny this character? If you are honest to yourselves, two courses are open. One is, the Supreme Court itself, by Government, must be approached to re-The second—and this is simpler-is this: you have been

[Shri Vasant Sathe]

amending the Constitution left and right under Mr. Jethmalani; can't you bring about this one sensible amendment by saying that it will be 'deemed'? Even if you do not want to have a Constitutional amendment, if you accept Mr. Banatwalla's amendment to this Bill, the purpose will be served. That will clarify. Therefore, I would submit this to you: restore this character and the rest will follow. Once you guarantee that character, the rest should logically follow. The fear goes away The proof of the pudding is in the eating. The entire record of the Aligarh Muslim University has been a glorious record of secular character and behaviour and noble and broadminded approach. The people that have been its products have real nationalists. Exceptions can always be there; but, by and large, this is true. In the recent Aligarh riots, when RSS played havoc under the leadership of their leader Mr. Nauman, how did the Aligarh Muslim University people behave? went and distributed food to Hindus and Muslims; they gave treatment in their hospital to both Hindus and Muslims. We saw that with our own eyes. The University students were not in any way excited or they did not try to excite any communal feelings; they wanted to bring about peace. Is that not a noble example of what this University is trying to do? Then what are you afraid of? Therefore, give the autonomy. You must give full powers to their Court. Giving the powers to the Visitor will not do. The Visitor is the President and 'President' in a way means the Education Minister; the President cannot do anything; the President acts only on the advice of the Government. So, by that, in effect, you are taking that power, you are usuring that power. Please do not do that. Let us be honest. If you want to be fair to the Aligarh Muslim University people, then restore their minority character. This should be agreed on all sides. Regarding the lacunae that are there in this Bill, let us agree to Mr. Banatwalla's amendment. Let the Bill be sent to a Joint Committee. The Heavens are not going to fall. You accept in principle first here in the House that the minority character will be restored. Accept that amendment, and for remedying the rest of the shortcomings of the Bill, send it to a Joint Committee, so that the Joint Committee can examine clause by clause and a proper Bill giving in effect the rights, the autonomy and full freedom to run this institution to the Aligarh Muslim University, can come.

With these words, I conclude, and I thank you for giving me this opportunity to speak.

MR. CHAIRMAN: Now, the point is this. Everybody should help me in this matter. The practice has been established here that, once the Member who is called is absent he will be called only after the total list has been exhausted. Mr Raj Narain has just now told the House that, the day before yesterday, he made a request

श्री राज नारायण : मै अस्पताल से आ रहा हू और डाक्टर ने यह कहा है कि आप जल्दी आइएगा, तो हम आपरेशन कर देंगे और आज आपरेशन डे है हमारे वांत का !

AN HON. MEMBER: He was in the hospital.

MR. CHAIRMAN: I know that. But this should not be a precedent. As a special case . . .

SHRI G. M. BANATWALLA: A special case for those in the hospitals, for the hospitalised people . . .

MR. CHAIRMAN: Those who are in the hospital are not expected to come here for speaking. Moreover, if they are intending to come, they should send an intimation earlier.

So, this will be only one exceptional case,

Mr. Raj Narain.

PROF. P. G. MAVALANKAR (Gandhinagar): I am glad that you have allowed Mr. Raj Narain to speak, but I hope the House would extend the time so that some of us who are left out will get the opportunity.

समापति महोदय : श्री राज नारायण ।

श्री राज नारायण (राय बरेली): श्रीमन्, क्या मुझे ग्राप शाक्षा देंगे कि मैं बैठ कर बौलु?

सभापति महोदय : ग्राप बैठ कर बोलिये।

श्री राज नारायण (राय वरेली): श्रीमन्, मैं ब्रापका कृतज्ञ हुं कि ब्रापने विशेष कृपा कर मुझे बोलने का धवसर दिया । श्रीमन्, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लंगा पर मैं सदन के सम्मानित सदस्यों से इतना निवेदन भ्रवश्य करना चाहता हं कि झाज का जो विषय है, वह ऐसा विषय है कि जो सरकारों को उलट सकता है, पलट सकता है, खड़ा कर सकता है भीर बैठा सकता है । इसमिए इस विषय पर जरा गंभीरता से विचार हो । जो साहित्यकार है वे कहते हैं कि सरकार मंत्री होती है भीर बहरी होती है भीर जब वह यह होती है तो बराबर होती है। मैं गांधी जी का उद्धरण दे रहा हं किसी टोम, डिक, हेरी का नहीं । धव मैं संविधान के, जिसके प्रति हम ने शपय ली है, धनुष्छेद 30 (भ) की तरक माता हं---

"All minorities, whether based on religion or language, shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice."

यह संविधान का अनुष्केद 30(क) है। हमारे भाई, मिक्र, मिक्रा मंत्री अही हमारे सम्मुख बैठे हुए हैं। मैं उन से मह जानना चाहता हं कि यह जो संविधनन का सन् च्छेद है क्या यह विश्वेषक उसकी पूर्ति कर रहा है ? भीर भगर आह इसकी पृति नहीं कर रहा है सो अध्य यह इसंवैधानिक नहीं होता ? क्या किस संविधान के प्रति भीर जिस महात्का वांधी की समाधि पर हम ने सरकार में द्याने के पूर्व अपन ली की कि इस जोन गांधी जी के रास्ते पर चल कर अमरे देश का नव-निर्माण करेंगे, उस सब के प्रति हम लोग वफ़ाबार रहे हैं ? हमारा एक सिम्पल, नन्हा और निर्दोष विद्वारी के दोड़े के समान प्रश्न है----

> सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर देखन में छोटे समें बाब करें गंभीर।

धगर धाप इस बोहे को ठीक से समर्शेने तो पार्येने कि यह गंभीर चाव कर रहा है। मैं नहीं चाहता कि आप हमारी बात को न मानें भीर इस देश की गंभीर वाष पहुंचामें । मगर माप हमारी शत को धनसुनी करेंने तो इस देश की गंभीर वाव पहुंचेगा और पहुंच कर रहेगा । मैं पहुंचाने की कीशिश नहीं कहंगा मगर बाब बाने से भागुंशा भी नहीं । क्योंकि मैं उन अ्यक्तियों में हैं कि जब इन्दिरा जी की सरकार ने श्रलीशह मुस्लिम युनिवर्शिटी एक्ट पर संतीधन किया वा ती सारे उत्तर प्रदेश में हम सब लोगों ने बगाबत का झंडा खडा निया या और युव्य हुड़ताल की थी और जब मैं बा॰ प्रारीबी के साथ विश्वपतार कर के सम्बनक जेश में भेजन गया था तो को इस समम के इनार धश्यक्ष थे,

[श्रीराजनारायण]

श्री जल्फिकार उल्लाह माहब यहां विद्यमान हैं, ये हुमारी जात के साझी होंगे। मुझे समझाने के लिए श्रादरणीय चन्द्र भान गुप्त गए, बाबू विलोकी सिंह जी गए, बडी-बडी विभतियां गई भीर कहने लगीं भ्राप भ्रनशन तोड दें। मैंने कहा कि श्राप चले जायें। जब तक इस देश में इन्नाफ नहीं होगा, मुसलमानो, निखों, ईमाइयो, पारमियों भ्रीर जितने भी ग्रल्प-संख्यक कहे जाने वाले लोग हैं, जातियां हैं उनको उनका हक नहीं मिलेगा तब तक मेरी भूख हड़ताल टूटेगी नहीं। सारा जैल का रिकार्ड पड़ा हुन्ना है। मैं उन लोगों में नहीं हूं जो जेल का रिकार्ड बनवाते हैं केवल पोलिटिकल सफरर बनने कै लिए । दो तीन दिन के बाद मेरे मन मैं प्राक्ति जब ए' यातावरण बन गया है भीर कम ने कम पांच छः सी मुमलमान हमारे साथ थे भीर एक ढंग ने खाना एक ढंग मे उठना वैठना, प्रार्थना म्रादि को ले कर जो परिभाषा हमने रिलिजन की की है मुझे खुशी है कि वही परिभाषः डाक्टर फरीदी ने की ग्रीर तमाम मुसल मान लोग गदगढ हो गए भीर कहने लगे कि मच्चा रिलिजन यही है।

प्रव परम प्रादरणीय श्री श्री 108 डा॰ प्रताप चन्द्र चन्द्र वह हमें बताए कि इन मावनाओं की पूर्ति कै से होगी, कहां से होगी? प्रपने मिन्न राम जेठमलानी को मुन रहा था। वह वाम्बाटिस्क वर्ड इस्तैमाल कि रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं कि इस तरह से शब्दों को इस्तेमाल कर देने से क्वा समाज में ब्रामूल परिवर्तन हो जाएगा? उन से भी बहुत शब्छे लोग हैं जो वाम्बास्टिक इंग्लिश वर्ड यूज कर सकते हैं। डा॰ राष्ट्राकुण्णन की फिलौसोफ़ी को मैं जानता हूं, उनका मैं विद्यार्थों रह बुका हूं, साचार्य नरेन्द्र देव जी का विद्यार्थी मैं रह बुका हुं,

परम पूज्य धादरणीय मालबीय जी का विद्यार्थी में रह चुका हूं। मैं जानता हूं कि मानव त वाका सम्बन्ध कब कैसे होता है। और हम मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मुस्लिम कल्चर को, उनके तमहुन और दीन और ईमान को मह्स्कूज रखने का प्रक्रिकार नहीं देते हैं तो यह विद्येयक रही की टोकरी में कैंक देना चाहिए।

मुझे माफ करें मैं व मारी की स्थिति
मैं हं भीर बीमारी मैंने खुद बुलाई है
क्यों कि डाक्टर कहा करत थे कि भाप
एग्जास्ट हो रहे हैं, भपनी शक्ति
से अधिक काम कर रहे हैं, भाप
को कुछ विश्वाम करना चाहिये।
भामी मैं ने नो किताब विदेश से मंगाई है
उसका दसवा भाग ही टाइप करवा कर के
ला सका हू भीर शेष नौ भाग कल भाएंगे।
वन टैंय ही भाज मैं लाया हू—

सभापति महोदय : कितना समय घाप लेंगे ?

श्री राज नारायण : एक घंटा दो घंटा जितना ग्राप कहेंगे ले लूगा ।

सभापति महोदय: ग्रापने तो कहा या कि संक्षेप मे ग्राप ग्रपनी बात कहेंगे।

श्री राज नारायण : भ्राप हमारे परम भ्रादरणीय मिन्न रहे हैं। समय सब को बनाता है। इस वास्ते समय की गति को भ्राप भी पहचानें।

समापति महोदयः कितना समय पाहते हैं ?

भी राज नारायण : भनावस्थक समय नहीं लूंगा । जो टाइम मैं करवा कर लाया हूं वह चीज मैं भापके सामने रखना चाहता हूं।

"Extracts from the Americanintelligence sponsored research work.

MILITANT HINDUISM IN INDIAN POLITICS—A Study of the R.S.S.

इस स्टडी के कुछ पोर्शन को मैं धादरणीय सदन की सेवा में प्रस्तुत करूंगा इस निवेदन के साथ कि यह धादरणीय सदन देखे कि क्या यह पैरे-लाइण्ड बिल पंगु विद्येयक इस प्रकार के लोगों को उस में प्रवेश पाने से रोक सकेगा ?

मैं इस समय जल्दी-जल्दी में बता देना चाहता हुं, चुकि समय हमको शायब कम मिले।

"The genuine ideology of the Sangh is based upon principle, formulated by its founder Dr. Hedgewar. These principles have been consolidated and amplified by the present leader in a small book called "We or Our Nationhood Defined"."

भी शम्भू नाथ चतुर्वेदी : यह रैलेवेंट कैसे है साहब ?

भी राज नारायण : दिस इज मोस्ट रैले-वैन्ट । हमारा व्याइन्ट यह है कि जिनके विचार ऐसे हों, वह उसमें कैसे रोके जा सकते हैं ?

सभापति महोदय : ग्राप बैठकर बोलिए।

भी विनायक प्रसाद यादव (सहरसा) : सभापति महोदय, धादरणीय सदस्य को रोका जायेगा तो उठ जाना पड़ता ही है। इसलिए भीर मेम्बरों को शांत रखा जाये।

भी राज नारायण: हल्ला मत मचाइये।
चतुर्वेदी जी हमारे मित्र हैं, असेम्बली से ही
मित्र हैं, इनका पूरा चानदान हमारा मित्र है।
मुझे सकतोस है कि गांधीजी के बाक्यों में—
क्रम, पद, सत्ता का जीन बड़े—बड़े अनर्थ कराते

हैं। भादरणीय चतुर्वेदी जी, क्रुपया भाप मुझै सुनिये।

श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी मैंने राजनारायण हुजी से कहा जिलो 9/10 रह गया है, जब वह ग्राजाये तभी रखिए।

श्री राज नारायण वह भी झायेगा कि झार० एस० एस० को कब-कब सी० झाई०ए० ने र्रंस-कैसे पैसा दिया।

श्री अस्भूनाथ चतुर्वेदी: तो वह तभी कहिएगा।

MR. CHAIRMAN: It is already 5.50 p.m. The time-limit fixed for this Bill is 6 O'clock. Apart from Mr. Raj Narain, there are still four more speakers to participate in this discussion. They are Prof. Mavalankar, Mr. Chitta Basu and two members from Janata Party. The hon'ble Minister has also yet to reply. May I know from the hon'ble members as to how much time for discussions should be extended.

श्री श्रीकृष्ण सिंह: कल नहीं, ग्राज ही हो।

MR CHAIRMAN: There are two points to be decided. First, how much time is to be extended and secondly whether we have to sit today and finish it. First, let me understand from the House as to what is the desire of the House as to how much time is to be extended.

अस तथा संसवीय कार्य संत्रालय में

राज्य मंत्री (श्री लारंग साय): माननीय

सिवस्यों की जो लिस्ट है, उसमें ऐसा लगता है

कि वो-चार रह गये हैं। धगर सबस्य को-धाप
रेट करें तो जल्दी भी यह हो सकता है और

धावा चंटा भीर बढ़ाकर इसे पूरा कर सकते

हैं। धाज ही पूरा होना चाहिए।

एक बालनीय सदस्य : सदस्यों को एत-राज न हो तो झाज ही पूरा हो जाये ।

श्री विनायक प्रसाद यादव : सभापति महोदय, समय बढ़ा दिया जाये धौर इसको कल ले लिया जाये । (Interruptions)

MR. CHAIRMAN. Is it the pleasure of the House to extend the time by one hour more for general discussion and also whether all the hon'ble Members are prepared to sit for one hour more after 6 O'clock?

SOME HON'BLE MEMBERS: Not today. Let it be tomorrow.

MR. CHAIRMAN: What does the Minister say?

श्री लारंग साय : यदि सब की राय है तो कल भी कर सकते है।

MR. CHAIRMAN: So, we will have one hour more for general discussion tomorrow. The convention is unless all the members agree the time of the House cannot be extended. Now, I will request Mr. Raj Narain to continue with his speech and conclude before 6 O'clcok.

श्री राज नारायण : सभापति महोदय, ग्राप सदन को मर्योदित रखने की ग्रनुकंपा करें, जिससे बीच में कोई मुझे डिसटर्व न करे।

सभापित महोदय : मैं सभी माननीय सदस्यों से कहुंगा कि बीच में कोई कतई न बोले ।

श्री रोज नारायण । धव माननीय सदस्य जरा भ्यान से सुनें :

On September 1, 1949, the Sangh chieftain was reported to have stated that—

"We cannot make progress unless our social and political institutions are based on Bharatiya ideal," The Sangh uses the term 'Culture' in its widest sense. Political, economic, religious and social activities are aspects of 'Culture'.

मैं इसे इस लिए पढ़ रहा हूं कि भाज बहुत से लोग समाचार पत्नों के जरिए यह विवाद खड़ा करते हैं कि

We are cultural. We are political. At the time of merger, this idea was not discused. This is absolutely false. At the time of merger, this idea was fully discussed.

एक माननीय सदस्य : यह डिसकमन किस पर हो रहा है ?

श्री राज नारायण: डिसकशन इस बात पर हो रहा है कि भ्रलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट में जो संशोधन हो रहा है, उस संशोधन मात्र से मुसलमानों की भावनाओं की पविद्यता की रक्षा नहीं होगी। इस लिए मैं यह उदाहरण दे रहा हूं। (ब्यवधान) भार० एस० एस० जाये जहसुम में (ब्यवधान)

The genuine ideology of the Sangh is based upon principles formulated by its founder, Dr. Hedgewar. These principles have been consolidated and simplified by the present leader in a small book called "We or Our Nationhood defined." written in 1939.

Please hear Mr. Mishra ji. This was written in 1939.

'We can be described as the BSS Bible'. It is the basic Primar in the indoctrination of Sangh volunteers. The principles contained in it are still considered entirely applicable by the Sangh membership.

भागे कहा गया है :--

The basic principle that Hedgewar emphasised unceasingly in the training of his followers was 'Hindustan is for the Hindus'.

मैं पूछना चाहता हूं कि जिन्होंने भारत के क्रि संविचान की सपय ग्रहण की है,

Do they share this idea that Hindustan is only for Hindus? If you say that 'Hindustan is only for Hindus', my dear friend, you are a traitor. भागे देखिये गरा— This is the basic theme of "We". Golwalkar begins "We" by defining what he considers to be the true meaning of concept of Nation.

"... the idea contained in the work 'Nation' is the compound of five distinct factors fused into one indissoluble whole. The famous five "Unites" ... Geographical (country), Racial (race), Religious (Religion), Cultural (culture) and Linguistic (language)".

Those who do not believe in the religion of RSS have got no right to remain in India. How by this arrangement Aligarh Muslim University will work or the Administration of the Aligarh Muslim University will exclude these people from going there to join the agitation? The whole bill is bogus. Then I come to the next point,

"There are only two courses open to the foreign elements either to merge themselves in the national race and adopt its culture or to live at the sweet will of the national race."

या हो बह मर्ज करें या उन की स्वीटविस पर रहें, बरना हिन्दुस्तान में उन के लिए बगह नहीं है।

सरदार पटेल की डेफिनिशन से लोगों की सांचें चौंक जार्येगी कि उन्होंने इन का क्या डिफाइन किया है: ". . . mon-Hindu people in Hindustan must either adopt the Hindu culture and language, must learn to respect and hold in reverence Hindu religion, must entertain no idea but those of glorification of the Hindu race and culture, i.e. they must not only give up their attitude of intolerance and ungratefulnes, towards the land and its age-long traditions but must also cultivate the positive attitude of love and devotion instead—"

forms the foundation for contemporary RSS plans and activities. It fosters an outlook that is critical of Congress policies, strengthens the view that the Muslims are traitors to the country and instils finally an intense desire for "Akhand Hindustan"

MR. CHAIRMAN: Now, Mr. Raj Narain, you please finish your speech.

SHRI RAJ NARAIN: Please give me two minutes more. I will finish my speech. Let the Muslim Members belonging to Congress and Janata Party understand what the RSS is.

SHRI SAUGATA ROY: Ig he speaking on banning the RSS?

PROF. P. G. MAVALANKAR: Is it all relevant to the Bill?

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN: He says that RSS has influenced this Bill.

SHRI RAJ NARAIN: This Bill will help RSS. That is the whole point.

DR. PRATAP CHANDER CHUN-DER: He has not even read this Bill. He got a copy from me just now.

MR. CHAIRMAN: Please conclude now.

SHRI RAJ NARAIN: I will only quote what Sardar Patel said:

"There is a group in this country which is not satisfied even by the assassination of Mahatma Gandhi. I am prepared to prove it to anybody. This group intends to assassinate **Jawaharlal** Nehru. This information has been given to me by a person connected with L. B. Bhopatkar, the ex-President of the Hindu Mahasabha. A group connected with the Hindu Mahasabha has assassinated Mahatma Gandhi. I was bitterly criticised when Mahatma Gandhi was assassinated for having failed to protect his life. But when I had begun to take proper steps to prevent further crimes, you say that the civil liberties are in danger."

MR CHAIRMAN: I am sorry, the time is over. Your speech is deemed to be over. Now I call the next speaker, Prof. P. G. Mavalankar. He will speak tomorrow.

18.03 hrs.

The Lok Sabha then adjournel till Eleven of the Clock on Thursday, May 3, 1979/Vaisakha 13, 1901 (Saka).